सोमवार,
२९ मार्च, १९५४

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

छठा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

—:o:—

भाग १—प्रश्न और उत्तर

लोक सभा

सोमवार, २९ मार्च, १९५४

सभा दो बजे समवेत हुई

[उपाध्यक्ष-महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

सेना की अतिरिक्त सामग्री का उत्सर्जन

*१३५५. **सरदार हुक्म सिंह** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या १९५३–५४ में संभरण तथा उत्सर्जन के महानिदेशक को और भी किसी सामग्री के बारे में यह सूचित किया गया था कि वह सेना की आवश्यकता से अतिरिक्त है; तथा

(ख) इस अवधि में संभरण तथा उत्सर्जन के महानिदेशकालय द्वारा कितनी अतिरिक्त सामग्री का निबटारा किया गया था ?

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) हां।

(ख) १ अप्रैल १९५३ से जनवरी १९५४ के अन्त तक संभरण तथा उत्सर्जन के महानिदेशकालय द्वारा कुछ १००० 'बी' वाहनों एवं ३४०० 'ए' वाहनों के अलावा लगभग १८००० टन अतिरिक्त सामग्री का निबटारा किया गया।

सरदार हुक्म सिंह : क्या रक्षा विभाग ने स्वयं अपनी ओर से किसी अनुपयुक्त सामग्री या रद्दी सामान का निबटारा किया था ?

श्री सतीश चन्द्र : रद्दी सामान तथा स्थान स्थान पर पड़ी हुई सामग्री की अल्प मात्रा को छोड़ कर, जिनका पुस्तक मूल्य ५००० रुपयों से अधिक नहीं होगा, किसी अन्य अतिरिक्त सामग्री का निबटारा स्वयं रक्षा विभाग द्वारा नहीं किया जाता।

सरदार हुक्म सिंह : क्या इस वर्ष ऐसी किसी सामग्री का निबटारा किया गया ?

श्री सतीश चन्द्र : जैसे कि मैंने कहा है, रद्दी सामान के अलावा और किसी का नहीं।

सरदार हुकम सिंह : रक्षा विभाग ने अपने खुद के नीलाम करने वालों द्वारा जिस रद्दी सामान को बेचा था उसका मूल्य क्या था ?

श्री सतीश चन्द्र : इसके लिए मझ पूर्व सूचना चाहिए। युद्ध सामग्री के सारे कारखानों में तथा भण्डारों में रद्दी सामान तो होता ही है और वह स्थानीय कमांडरों द्वारा निबटाया जाता है। मुझे इस प्रश्न के लिए पृथक पूर्व सूचना चाहिये।

श्री एम० एल० द्विवेदी : जो सर्प्लस स्टोर्स आर्डनेन्स डिपोज में जगह जगह पड़े हुए हैं, और जिनके अलग करने के लिये सरकार

के पास वक्तन फवक्तन याददेहानी आती रहती ह, वह क्या अलग कर दिये गय ह, या इसके लिये कोई प्रयत्न किया जा रहा है ? यदि किया जा रहा है, तो अभी तक कितने स्टोस बेचे गये हैं ?

श्री सतीश चन्द्र : अभी तक इन्हीं बातों का जवाब मैं दे रहा था ।

दिल्ली में बच्चों का अपहरण

*१३५६. **सेठ गोविंद दास :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) सन् १९५३ में अनैतिक पथ सम्बन्धी कितने अभियोग दिल्ली के पुलिस विभाग एवं न्यायालयों की समीक्षा में आये; अपर

(ख) इस अवधि में छोटे बालकों के अपहरण के सम्बन्ध में कितनी रिपोर्टें दिल्ली में प्राप्त हुईं ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) ८३ ।

(ख) ३२ ।

सेठ गोविंद दास : १९५२ में इस प्रकार के जो जुर्म हुए हैं, उनकी संख्या १९५३ में घटी है या बढ़ी है ?

श्री दातार : १९५३ में अधिक लड़कियों की पुनः प्राप्ति की गई । एक बार बहुत बड़े पैमाने पर धावा किया गया तथा कई लड़कियों को पुनः प्राप्त किया गया । इसलिए १९५३ में यह संख्या कुछ बढ़ी है ।

सेठ गोविंद दास : और जहां तक बच्चों का सम्बन्ध है ?

श्री दातार : संख्या ज्यों की त्यों है, इसके बारे में कोई खास बात नहीं है ।

श्री मुनिस्वामी : क्या मैं जान सकता हूं कि इन अपराधों को रोकने के लिए कौन से विशेष प्रभावी उपाय किये गये हैं ?

श्री दातार : सरकार ने विशेष उपाय किये हैं; पहले तो कई लड़कियों की पुनः प्राप्ति के सम्बन्ध में—और अब उनके रहने का उचित प्रबन्ध भी किया गया है । अधिक से अधिक अपहर्ताओं पर अभियोग चलाने की कोशिश की जा रही है । बहुत बड़ी संख्या में—अब तक कुल ८२—अभियोग आरम्भ कर दिये गये हैं ।

सरदार ए० एस० सहगल : क्या यह सच है कि जो लोकल सोशल संस्थायें हैं उनके ज़रिये से जो किडनैप्ड बच्चे और लड़कियां हैं, उनके निकालने का प्रयत्न किया जा रहा है ?

श्री दातार : मैं प्रश्न का अभिप्राय समझ नहीं सका । मेरा अनुमान है कि कुछ आरोप लगाये गये हैं ।

सरदार ए० एस० सहगल : मैं इसे अंग-रेजी में दोहराता हूं । क्या यह सच है कि स्थानीय सामाजिक संस्थायें अपहृत लड़कियों तथा बच्चों की पुनः प्राप्ति में सहायता दे रही हैं ?

श्री दातार : वे बहुत कुछ सहायता दे रही हैं ।

सरदार ए० एस० सहगल : वे संस्थायें कौन कौन सी हैं जो सहायता दे रही हैं ?

श्री दातार : मेरे पास उनके नाम नहीं हैं किन्तु कई एक सामाजिक कार्यकर्ता, खास कर महिला कार्यकर्त्रियां, हमारी अत्यधिक सहायता कर रही हैं ।

श्रीमती जयश्री : ऐसी लड़कियों की संख्या कितनी है जिन्हें अभी नहीं छुड़ाया गया है ?

श्री दातार : निश्चित संख्या का पता लगाना तो मुश्किल है किन्तु हम अपनी ओर से अधिक से अधिक लड़कियों को छुड़ाने की भरसक कोशिश कर रहे हैं ।

राष्ट्रीय बचत अन्दोलन

*१३५७. **श्री झूलन सिन्हा :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार को १९५३-५४ में राष्ट्रीय बचत आन्दोलन की प्रगति के बारे में राज्यों से कोई प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) क्या कोई राज्य चालू वर्ष के लिये निश्चित लक्ष्य से आगे बढ़ गया है अथवा बढ़ने की आशा करता है;

(ग) क्या इस वर्ष स्थानीय विकास के लिये किसी राज्य को एकत्रित किये गये धन में से कुछ धन नियत किया गया है; तथा

(घ) क्या किसी राज्य ने केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की है कि उनके क्षेत्रों के विकास के लिये इस वर्ष राष्ट्रीय बचत प्राप्ति नियत कर दी जाये ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : (क) नहीं, श्रीमान्। राष्ट्रीय बचत आयुक्त से मासिक प्रतिवेदन प्राप्त होते हैं।

(ख) कुछ मासों के पश्चात् ही परिणाम का पता लगेगा।

(ग) तथा (घ). निश्चित प्रबन्ध के अनुसार, प्रत्यक राज्य को वह धन ऋण-रूप में प्राप्त होता है जो उसके क्षेत्र से उसके लिये निर्धारित लक्ष्य से अधिक एकत्रित होता है। १९५२-५३ में एकत्रित हुए धन में से, २½ करोड़ रुपया तदनुसार ऋण रूप में उन राज्यों को दिया गया है जहां उनके लक्ष्य से अधिक रुपया एकत्रित हुआ था। चालू वर्ष के परिणामों के आधार पर आगामी वर्ष भी ऐसे ही ऋण दिये जायेंगे।

श्री झूलन सिन्हा : इस बात में कितनी सचाई है कि बिहार सरकार ने केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की है कि वहां इस वर्ष की राष्ट्रीय बचत प्राप्ति का सारा धन उस राज्य को विकास कार्यों के लिये ऋण-रूप में दे दिया जाये ?

श्री ए० सी० गुहा : मेरे पास कोई सूचना नहीं है कि बिहार सरकार ने सारा धन ऋण-रूप में दिये जाने की प्रार्थना की है या नहीं। मैं नहीं समझता कि ऐसा प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर भी, यह प्रार्थना स्वीकार की जा सकती है, क्योंकि फिर प्रत्येक राज्य के लिये लक्ष्य निर्धारित करने का कोई लाभ न होगा।

श्री एन० एल० जोशी : क्या मध्य भारत सरकार को चम्बल परियोजना के लिये एकत्रित किया गया सारा धन व्यय करने का अधिकार दे दिया गया है ?

श्री ए० सी० गुहा : मध्य भारत सरकार के साथ कुछ ऐसी व्यवस्था निश्चित हुई थी।

श्री भक्त दर्शन : क्या यह सच है कि भारत सरकार ने सब राज्यों में औथोराइज्ड एजेन्सी की प्रणाली फिर से जारी कर दी है, और क्या मैं जान सकता हूं कि इसके द्वारा इस बचत-आन्दोलन को कितना लाभ पहुंचा है ?

श्री ए० सी० गुहा : अधिकार देने की प्रणाली लगभग सारे राज्यों में लागू की जाती है। यदि माननीय सदस्य प्रत्येक राज्य में धन-प्राप्ति के बारे में जानना चाहते हैं, तो वह प्रश्न इस प्रश्न के पूरक के रूप में उत्पन्न नहीं होगा।

श्री एल० एन० मिश्र : इस धन प्राप्ति में कौन कौन से राज्य अपने लक्ष्य से आगे बढ़ गये हैं ?

श्री ए० सी० गुहा : यदि माननीय सदस्य इस वर्ष के आंकड़े जानना चाहते हैं, तो मुझे डर है कि इस वर्ष के आंकड़े अभी उपलब्ध

नहीं है। वैत्तिक वर्ष के अन्त तक ठीक आंकड़े प्राप्त न हो सकगे।

श्री झूलन सिन्हा : क्या मध्य भारत सरकार को ऋण-रूप में नियत किय गये धन में उन राज्य के लिये निर्धारित लक्ष्य से अधिक प्राप्त किया गया धन भीसम्मिलित है ?

श्री ए० सी० गुहा : मध्य भारत सरकार के लिये विशष रूप से ऐसा किया गया था। मेरा ख्याल है कि उस सरकार की विशेष परिस्थितियां होने की दृष्टि से कुछ असामान्य व्यवस्था की गई थी। वह व्यवस्था सारी सरक रों के लिये, विशेषकर भाग क राज्यों के लिये, नहीं की जा सकती है।

शिक्षा पर प्रति व्यक्ति व्यय

*१३५८. **श्री एस० एन० दास :** (क) क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार ने शिक्षा पर प्रति व्यक्ति जो व्यय किया है उसके आंकड़े उपलब्ध हैं या नहीं ?

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उनका एक विवरण सदन-पटल पर रखेगी ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) हां, १९५२–५३ के लिये।

(ख) १९५२–५३ में केन्द्रीय सरकार ने प्रति व्यक्ति लगभग ०·२३ रुपये व्यय किया था।

श्री एस० एन० दास : क्या पिछले वर्षों के आंकड़े उपलब्ध हैं; तथा यदि हां तो वे आंकड़े क्या हैं ?

डा० एम० एम० दास : मुझे खेद है कि १९५२–५३ से पूर्व केन्द्रीय सरकार द्वारा किय गये प्रति व्यक्ति व्यय के आंकड़े तत्काल उपलब्ध नहीं हैं, क्योंकि अन्य केन्द्रीय मंत्रालयों द्वारा किये गये व्यय के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं। माननीय सदस्य की सन्तुष्टि के लिये हमने १९५२–५३ के आंकड़े अन्य मंत्रालयों से प्राप्त कर लिये हैं और वे उत्तर में दिये गये हैं।

श्री एस० एन० दास : क्या केन्द्र में ऐसी कोई संस्था है जो विभिन्न राज्यों से ये आंकड़े प्राप्त होने पर उनका आगणन करती है तथ यदि हां, तो वह संस्था कब से कार्य कर रही है ?

डा० एम० एम० दास : राज्य सरकारें वे आंकड़े हम को भेजती हैं तथा हम इन आंकड़ों को एकत्रित करते हैं। यह कार्य सम्बन्धित विभागों द्वारा ही हो रहा है। इसके लिये पृथक् या अतिरिक्त कर्मचारियों की आवश्यकता नहीं है।

श्री हेडा : मैं जानना चाहता हूं कि क्या वे आंकड़े जो मंत्री महोदय ने भाग (ख) के उत्तर म बताये हैं, भारत भर के लिये केन्द्र द्वारा किये गये व्यय के हैं अथवा उन भागों के हैं जो केन्द्रीय सरकार के प्रशासन में हैं ?

डा० एम० एम० दास : मेरे ख्याल में भाग क, ख, ग तथा घ राज्यों के हैं।

कुमारी एनी मस्करीन . क्या सरकार के पास इस विषय पर राज्यानुसार सूचना है ?

डा० एम० एम० दास : मुझे खेद है कि यह सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री एस० एन० दास : क्या विभिन्न राज्यों के उस व्यय के आंकड़े, जो उन्होंने प्रति व्यक्ति किया है, उपलब्ध हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह उसी प्रश्न का दूसरा रूप है।

वाइकाउन्ट विमान

*१३५९. **श्री राधा रमण :** (क) क्या रक्षा मंत्री अतारांकित प्रश्न संख्या ४९४ के उत्तर का, जो १७ दिसम्बर १९५३ को दिया गया था, निर्देश करने और यह बताने की कृपा

करेंगे कि क्या यह सच है कि वाइकाउन्ट विमान यहां कभी आगामी वर्ष में आयेंगे ?

(ख) इन विमानों की विशेषतायें क्या हैं ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) इन विमानों में रोल्स रायस-डार्ट-प्रोपैलर-टरबाइन इंजिन है और ये अधिक लम्बी तथा अधिक ऊंचाई पर उड़ान कर सकते हैं। इनमें अधिक सुरक्षा की व्यवस्था है जो प्रतिष्ठित व्यक्तियों को ले जाने के लिये अति आवश्यक है। एक साधारण वाइकाउन्ट विमान में ४० व्यक्तियों के बैठने का स्थान होता है जबकि डकोटा में २७ का और डेवोन में ५ से ले कर ७ तक व्यक्तियों के बैठने का स्थान होता है। श्रीमान्, आपकी अनुमति से मैं यह और बताना चाहता हूं कि ये विमान चार इंजिन वाले होने के कारण, वर्तमान विमानों की अपेक्षा अधिक तीव्रगामी होने के अतिरिक्त अधिक सुरक्षित हैं।

श्री राधा रमण : सरकार को कब तक इन विमानों के भारत आने की आशा है ?

सरदार मजीठिया : प्रथम विमान १९५५ के मध्य में, मेरा विचार है, जून में, यहां आयेगा, तथा दूसरा सितम्बर १९५५ में।

श्री राधा रमण : क्या इन विमानों के लिये मूल्यावेदन-पत्र (टेंडर) आमन्त्रित किये गये थे और यदि हां, तो किन किन देशों ने मूल्यावेदन-पत्र प्रस्तुत किये, तथा आर्डर किस को दिया गया है ?

सरदार मजीठिया : मूल्यावेदन पत्र आमन्त्रित नहीं किये गये थे क्योंकि हमें जो विमान उपलब्ध हैं उनकी उड़ान की जांच करनी होती है तथा यह चुनना होता है कि हमें कौन सा विमान लेना है। विदेशों से तीन या चार प्रकार के विमानों की जांच करने के पश्चात् यह निश्चय किया गया कि उपलब्ध विमानों में यह सर्वोत्तम था। इसलिये हमने उसके लिये आर्डर दे दिया।

श्री राधा रमण : क्या आजकल प्रयोग होने वाले दो डकोटा, जिनके स्थान पर ये वाइकाउन्ट विमान आयेंगे, हमें नये विमान प्राप्त होने तक प्रयोग में रहेंगे ? क्या वर्त्तमान डकोटाओं का उस समय तक प्रयोग में आते रहना सुरक्षापूर्ण होगा ?

सरदार मजीठिया : हां। इन डकोटाओं को प्रयोग में रखना पूर्णतया सुरक्षापूर्ण है—हम अपने प्रतिष्ठित व्यक्तियों के साथ कोई जोखिम नहीं उठाते हैं। नये विमानों के आने तक ये पूर्णतया प्रयोग योग्य रहेंगे—यहां तक कि उनके आने के पश्चात् भी वे प्रयोग-योग्य रहेंगे।

श्री रघुनाथ सिंह : क्या हम जान सकते हैं कि वी० आई० पी० (प्रतिष्ठित व्यक्तियों) में कौन कौन से लोग आते हैं ?

सरदार मजीठिया : राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री, रक्षा मंत्री तथा रक्षा-संगठन मंत्री, केन्द्रीय केबिनेट के अन्य मंत्री तथा रक्षा उपमंत्री, चीफ आफ स्टाफ, सेना के महा-सेनापति, नौसेना के महा सेनापति तथा वायु सेना के महासेनापति—पीछे के अधिकारियों को विमान उपलब्ध होने पर यह सुविधा दी जाती है।

श्री राधा रमण : भारत में यह "वी० आई० पी०" सर्वप्रथम कब प्रयोग में आई ?

सरदार मजीठिया : मैं यह नहीं बता सकता कि यह कब आरम्भ हुई परन्तु यह एक साधारण बात है। वी० आई० पी० का अर्थ है अत्यधिक प्रतिष्ठित व्यक्ति।

डा० राम सुभग सिंह : अन्य उपमंत्री, राज्यों के मंत्री तथा केबिनेट के श्रेणी के मंत्री तथा उप-राष्ट्रपति इस शीर्षक के अन्तर्गत क्यों नहीं आते हैं ?

सरदार मजीठिया : विमान इतने थोड़े हैं कि उन्हें सारे मंत्रियों के लिये उपलब्ध नहीं किया जा सकता है । अन्य व्यक्तियों के सम्बन्ध में भी, मैं ने अन्त में एक शर्त रखी थी अर्थात् विमानों की उपलब्धता के अनुसार । यदि विमान उपलब्ध हैं, तो रक्षा मंत्री से आग के व्यक्तियों को इनमें स्थान प्राप्त होता है, अन्यथा नहीं । मुख्यत: यह दो व्यक्तियों के लिये हैं, अर्थात् राष्ट्रपति तथा प्रधान मं ी ।

ताज महल उद्यान

*१३६०. **डा० राम सुभग सिंह :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या कोई ऐसा प्रस्ताव है कि भारत सरकार ताजमहल के उद्यानों का प्रबन्ध उत्तर प्रदेश सरकार से अपने हाथ में ले ले; तथा

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्री के सभा सचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) हां श्रीमान् ।

(ख) जहां कहीं, जैसा कि इस मामले म है, पुरातत्वीय उद्यान राष्ट्रीय महत्व के स्मारक के अभिन्न अंग होते हैं, वहां यह आवश्यक है कि वह विभाग, जो स्मारक की देख भाल करता है, उद्यानों का भी प्रबन्ध करे । मैं माननीय सदस्य को सूचनार्थ यह भी बता दूं कि १९४६ के पहिले पुरातत्वीय स्मारकों तथा उद्यानों की देख-भाल तथा उन्हें ज्यों का त्यों बनाये रखने का काम क्रमश: केन्द्रीय निर्माण विभाग तथा प्रान्तीय निर्माण विभाग करता रहा है । १९४६ में यह निश्चय हुआ था कि पुरातत्व विभाग को स्मारकों तथा उद्यानों दोनों पर प्रत्यक्ष नियन्त्रण रखना चाहिये । इस निश्चय के उपरान्त, जनवरी १९५० में दिल्ली के उद्यान केन्द्रीय निर्माण विभाग से ले लिये गये थे । अब आगरा के उद्यान लिये जायेंगे ।

श्री टी० एन० सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि गत छ: या सात वर्षों में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इन उद्यानों के रखरखाव में जो राशि खर्च की गयी है सरकार उसे वापस देगी ?

डा० एम० एम० दास : उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बिल्कुल रुपया व्यय नहीं किया गया है, वरन् हमने ही उसे इन उद्यानों के रखरखाव के लिए रुपया दिया है ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या यह रुपया वापिस दिया जायगा ?

श्री बी० एस० मूर्ति : क्या सरकार का विचार उन सब उद्यानों को अपने हाथ में ले लेने का है जहां कि पुराने स्मारक हैं ?

डा० एम० एम० दास : जहां तक भाग 'क' के राज्यों का सम्बन्ध है, केवल पंजाब में एक उद्यान है--पिंजोर उद्यान । पंजाब सरकार ने केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की है कि वह उसे इन उद्यानों के रखरखाव की अनुमति दे दे जिसके लिए वह कोई एजेंसी शुल्क नहीं लेगी । केन्द्रीय सरकार ने सन् १९५५ तक इसकी अनुमति दे दी है । सन् १९५५ में मामले पर फिर विचार किया जाएगा । जहां तक भाग 'क' के राज्यों का सम्बन्ध है, राज्य के लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रबन्धित और कोई उद्यान नहीं है । जहां तक भाग 'ख' के राज्यों का प्रश्न है मैसूर में दो और राजस्थान में एक उद्यान है । इन तीनों उद्यानों का प्रबन्ध इस समय राज्य के लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जा रहा है ।

नरतत्वीय खोज

*१३६१. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि बंगाल तथा उत्तर प्रदेश के लोगों के जीवन तथा सामाजिक

स्वरूपों के सम्बन्ध में नरतत्वीय खोजें की जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कब प्रारम्भ हुआ था;

(ग) क्या अब तक संकलित आंकड़े क्रमबद्ध किये जा चुके हैं; और

(घ) यदि हां, तो अब तक क्या-क्या समानताएं ज्ञात हुई हैं ?

शिक्षा मंत्री के सभा सचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) जी हां ।

(ख) बंगाल में सन् १९५० में और उत्तर प्रदेश में १९५३ में ।

(ग) जी हां ।

(घ) दोनों राज्यों में विभिन्न बातों के लए खोजें की गयी थीं । अतएव कोई तुलना नहीं की जा सकती ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं जान सकता हूं कि अब तक बंगाल तथा उत्तर प्रदेश में कितना रुपया खर्च किया गया है ?

डा० एम० एम० दास : जहां तक इन खोजों का सम्बन्ध है, बंगाल में सन् १९५०-५२ में कुल १२,२१० रु० व्यय हुए और उत्तर प्रदेश में सन् १९५३ में कुल ३,९३० रु० व्यय हुए ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं जान सकता हूं कि इस प्रकार के प्रयोग देश के अन्य भागों में भी किये जा रहे हैं ?

डा० एम० एम० दास : सामाजिक अंतरवर्गीय तनावों पर देश के विभिन्न भागों में प्रयोग किए गये हैं; बम्बई में बम्बई विश्वविद्यालय के श्री सी० एन० वकील के अन्तर्गत; लखनऊ में प्रो० काशी प्रसाद के अन्तर्गत; पंजाब में डा० परशराम के अन्तर्गत; अहमदाबाद में प्रो० कमला चौधरी के अन्तर्गत; बंगाल में केन्द्रीय सरकार के नरतत्वीय संचालक डा० बी० एस० गुहा के अन्तर्गत ।

श्री एस० सी० सामन्त : इस बात की दृष्टि में कि सरकार लोगों के जीवन तथा सामाजिक स्वरूपों पर नरतत्वीय अनुसन्धान कर रही है, क्या मैं जान सकता हूं कि परिणाम प्राप्त करने के लिए अन्य स्थानों के लोगों के सम्बन्ध में वह इसी प्रकार के तथ्यों से तुलना करेगी ?

डा० एम० एम० दास : उत्तर प्रदेश में समुदायों के स्वरूप मालूम करने के लिए खोजें की गयी हैं और अभी जारी हैं । मुझे नहीं मालूम कि सरकार का इरादा इन की तुलना बंगाल के लोगों से करने का है या नहीं । मैं मालूम कर के माननीय सदस्य को सूचित करूंगा ।

श्री एन० बी० चौधरी : क्या मैं जान सकता हूं कि सामाजिक तनाव का सामाजिक स्वरूपों से क्या सम्बन्ध है ?

डा० एम० एम० दास : दोनों में कोई सम्बन्ध नहीं है ।

श्री अच्युतन : क्या मैं जान सकता हूं कि इस अनुसन्धान को देश के सभी भागों में न कर के एक राज्य विशेष में ही क्यों किया जा रहा है ?

डा० ए० एम० दास : माननीय सदस्य की सूचना के लिए मैं बतला दूं कि नरतत्वीय अनुसन्धान दक्षिण भारत सहित देश के सभी राज्यों में किए गये हैं और किए जा रहे हैं ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या मैं जान सकती हूं कि इस मामले को हाथ में क्यों लिया गया है ? क्या किसी समिति ने सामाजिक तनाव के परीक्षण की आवश्यकता इंगित की थी ? अथवा क्या विशिष्ट कारण था ?

डा० एम० एम० दास : सरकार का विश्वास था कि देश में सामाजिक तनावों के

अनुसन्धान के सम्बन्ध में एक बड़ा क्षेत्र है, और अक्तूबर १९४८ में उस ने देश के समस्त विद्यालयों से इस प्रश्न पर विचार करने के लिए समितियां स्थापित करने की प्रार्थना की । यूनेस्को भी शामिल हुआ तथा केन्द्रीय सरकार ने यूनेस्को की सहायता से कई दल नियुक्त किए । जैसा मैं बतला चुका हूं, बम्बई विश्वविद्यालय के प्रो० वकील.....

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री जो कुछ कह चुके हैं उसे दोहराने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री बी० एस० मूर्त्ति : क्या मैं जान सकता हूं कि नरतत्वीय अनुसन्धान में लगे व्यक्तियों को क्या सहायता दी जा रही है ?

डा० एम० एम० दास : केन्द्रीय सरकार के नरतत्वीय विभाग द्वारा जो खोजें की गयी हैं.....

उपाध्यक्ष महोदय : क्या किन्हीं गैर-सरकारी व्यक्तियों को भी सहायता दी जाती है ।

डा० एम० एम० दास : उन के अलावा जिन्हें सरकार के नरतत्वीय विभाग द्वारा चुन लिया गया हो, और किसी को सहायता नहीं दी जाती । अन्य अनुसन्धानों का वित्तीय भार, यूनेस्को द्वारा उठाया जाता है ।

सरकारी कर्मचारियों द्वारा परिसम्पत की घोषणा

*१३६२. **पंडित डी० एन० तिवारी :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) सन् १९५२ और १९५३ में सरकारी कर्मचारियों ने कितने मामलों में अपनी तथा अपने निकट सम्बन्धियों की सम्पत्ति का विवरण दिया; और

(ख) विवरणों की सत्यता या असत्यता के सम्बन्ध में कितने मामलों में जांच की गयी ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) और (ख). जैसा कि श्री वी० पी० नायर द्वारा २६ नवम्बर, १९५३ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ३२२ के उत्तर में बतलाया गया था, मौजूदा नियमों के अनुसार केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों से उन की नियुक्ति के समय अपनी अपनी अचल सम्पत्ति की घोषणा करने की अपेक्षा की जाती है और तत्पश्चात् वे जब भी कोई सम्पत्ति अर्जित करें तब । कितने मामलों में सन् १९५२ और १९५३ में सम्पत्तियां घोषित की गयीं और कितने मामलों में जांच की गयी, यह सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है । इस के संकलन करने में देश भर में केन्द्रीय सरकार के सभी विभागों से पूछताछ करनी पड़ेगी और इस में काफी समय लग जाएगा ।

पंडित डी० एन० तिवारी : क्या मैं जान सकता हूं कि सन् १९५२ और १९५३ में किसी सरकारी कर्मचारी ने नवीन सम्पत्ति प्राप्त करने सम्बन्धी अनुमति मांगी है ?

श्री दातार : मुझे यह सूचना नहीं है ।

पंडित डी० एन० तिवारी : क्या मैं जान सकता हूं कि नौकरी में प्रविष्ट होते समय सम्पत्ति घोषित करने की इस प्रथा का सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति के समय परिपालन किया जाता है या नहीं ?

श्री दातार : नौकरी में प्रविष्ट होते समय इस का पालन किया जाता है । बाद को जब भी वे सम्पत्ति अर्जित करते हैं उन्हें इस का पालन करना होता है ।

श्री वी० पी० नायर : क्या मैं जान सकता हूं कि निवृत्त होने वाले कर्मचारियों का निवृत्ति-वेतन निर्धारित करने तथा दिए जाने से पूर्व, सरकार उन से समस्त सूचना मांगती है, और क्या मैं यह भी जान सकता हूं कि इन नियमों का पालन न करने की दशा में, सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कोई

पग उठाती है कि महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त कर्मचारियों ने भ्रष्टाचार द्वारा सम्पत्ति तो इकट्ठी नहीं कर ली है ?

श्री दातार : निवृत्ति के समय, सामान्यतः समस्त प्रश्नों का विचार किया जाता है । नवीन नियम बनाते समय माननीय सदस्य के सुझाव का भी ध्यान रखा जाएगा ।

श्री मुनिस्वामी : क्या मैं जान सकता हूं कि निकट सम्बन्धियों की सम्पत्तियों की घोषणा करने में किन-किन सम्बन्धियों की सम्पत्ति-घोषणा की आशा की जाती है ?

श्री वी० पी० नायर : दामाद की ?

श्री दातार : बहुत निकट के तथा आश्रित सम्बन्धी ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि इस प्रकार के कोई मामले हुए हैं जिन में कि १९४७ के दण्ड विधि संशोधन अधिनियम की धारा १६१ के अन्तर्गत सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी हो और पाया गया हो कि उन्हों ने अपने साधनों से अधिक सम्पत्ति एकत्रित कर ली है ?

श्री दातार : धारा १६१ के अन्तर्गत जब भी कोई जांच होती है तो इन सब रिपोर्टों पर ध्यान दिया जाता है और तब मामला चलाया जाता है ।

श्री एल० एन० मिश्र : विवरण में माननीय मंत्री जी ने योजना आयोग का निर्देश किया है । क्या मैं जान सकता हूं कि सरकारी सेवाओं के पुनर्संगठन के सम्बन्ध में योजना आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए अब तक कोई कदम उठाए गये हैं और यदि हां, तो क्या ?

श्री दातार : मैं सदन में बतला चुका हूं कि हम ने योजना आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखा है तथा केन्द्रीय सेवाओं एवम् अखिल भारतीय सेवाओं के लिए हम नियम बना रहे हैं ।

विदेशी भाषाओं में शिक्षा

*१३६४. **श्री कृष्णाचार्य जोशी :** क्या **रक्षा** मंत्री उन व्यक्तियों की संख्या बताने की कृपा करेंगे जिन्हों ने १९५३ में विदेशी भाषाओं के स्कूल से विदेशी भाषाओं की परीक्षा पास की है ?

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : १०२.

श्री कृष्णाचार्य जोशी : रूसी तथा चीनी भाषाओं में कितने द्विभाषिये प्रशिक्षित किए गए हैं ?

श्री सतीश चन्द्र : दो रूसी भाषा में और दो चीनी भाषा में ।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : वहां कौन-कौन सी मुख्य भाषायें पढ़ाई जाती हैं ?

श्री सतीश चन्द्र : फ्रांसीसी, चीनी, जर्मन, फारसी तथा रूसी भाषायें पढ़ाई जाती हैं और इस वर्ष से जापानी, तिब्बती तथा एक अन्य भाषा भी पढ़ाई जाने की व्यवस्था करने का विचार किया जा रहा है ।

श्री भक्त दर्शन : इस से पहले माननीय मंत्री जी ने यह आश्वासन दिया था कि तिब्बती भाषा की भी व्यवस्था की जायगी । क्या मैं जान सकता हूं कि उस की व्यवस्था कर दी गई है ? और उस के कितने विद्यार्थी पढ़ रहे हैं ?

श्री सतीश चन्द्र : जी हां, मैं ने कहा कि तिब्बती और जापानी भाषा अब शुरू की जाने वाली है ।

श्री भक्त दर्शन : मैं जानना चाहता हूं कि कितने छात्र इस की शिक्षा पा रहे हैं ?

डा० राम सुभग सिंह : अभी शुरू की जाने वाली है ।

डा० सुरेश चन्द्र : क्या मैं जान सकता हूं.....

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री एक प्रश्न को सुन रहे हैं।

डा० सुरेश चन्द्र : उन्हों ने उस का उत्तर पहले ही दे दिया है।

श्री सतीश चन्द्र : मैं ने १०२ छात्र संख्या बताई है। प्रश्न का यह मुख्य उत्तर है।

डा० सुरेश चन्द्र : क्या मैं इन भाषाओं के अध्यापकों के लिये आवश्यक अर्हताओं को जान सकता हूं और क्या यह सच है कि इन में कुछ ऐसे भी अध्यापक हैं जो इन भाषाओं को नहीं जानते हैं ?

श्री सतीश चन्द्र : इन भाषाओं के अधिकांश अध्यापक उसी देश के हैं जिस में वह भाषा बोली जाती है। सामान्य सिद्धान्त तो यही है वैसे इन में एक-दो अपवाद भी हो सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : कोई व्यक्ति वह भाषा कैसे पढ़ा सकता है जिसे वह स्वयं ही नहीं जानता ? यह बात समझ में नहीं आती और इस में अपवाद भी कैसे हो सकता है।

श्री सतीश चन्द्र : मैं ने यह कहा था कि साधारणत: उसी देश के व्यक्ति द्वारा पढ़ाई जाती है जिस में वह बोली जाती है। एक-दो उदाहरणों में जैसे फारसी, सम्भवत: एक भारतीय सज्जन पढ़ाते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : किन्तु कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं जो उस भाषा को जानता ही न हो ?

श्री सतीश चन्द्र : नहीं, श्रीमान्, मैं ने देश के विषय में अपवाद कहा था।

श्री मुनिस्वामी : क्या यह स्कूल पूर्ण-रूपेण केवल सरकारी कर्मचारियों के लिये ही है ?

श्री सतीश चन्द्र : कर्मचारियों तथा सरकार के अन्य असैनिक कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जाती है। मैं समझता हूं कि और लोग भी इस में प्रवेश पा सकते हैं।

डा० सुरेश चन्द्र : इस स्कूल में जर्मन, फ्रांसीसी तथा चीनी अध्यापकों की कितनी संख्या है ?

श्री सतीश चन्द्र : यदि माननीय सदस्य चाहें तो मैं वह सची पढ़ कर सुना सकता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं। जो जर्मन भाषा जानता होगा वही पढ़ाता होगा। माननीय मंत्री को उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है।

लंदन में रिजर्व बैंक की शाखा

*१३६५. **श्री गिडवानी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) रिजर्व बैंक आव इण्डिया की एक शाखा तथा उस की एजेंसी लन्दन में क्यों चलाई जा रही है ;

(ख) वहां इस ने किस प्रकार का कार्य किया है; तथा

(ग) इस की देख-रेख पर किया जाने वाला योग वार्षिक व्यय ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : (क) तथा (ख). रिज़र्व बैंक आफ इण्डिया की एजेंसी की लन्दन में व्यवस्था नहीं है किन्तु उस की एक शाखा अवश्य है। लन्दन में एक शाखा रखना आवश्यक समझा गया है। बैंक की लन्दन शाखा द्वारा किये गए अन्य कार्यों के साथ उस के ये कार्य भी हैं—(१) भारत सरकार द्वारा रुपयों में लिये गये उस ऋण सम्बन्धी कार्य, जिस का भुगतान लन्दन में किया जाना है, (२) लन्दन में नियुक्त भारत के उच्चायुक्त का लेखा रखना; (३) भारत में बैंक के कार्यालयों द्वारा जारी किये गये उन ड्राफ्टों से सम्बन्धित कार्य करना, जिन का भुगतान लन्दन की शाखा करेगी, (४) भारतीय दूतावासों, सरकारी प्रतिनिधियों

तथा सरकार की ओर से शिक्षा प्राप्त करने के लिये भजे गये व्यक्तियों आदि को रुपया भजने की सुविधायें देना ।

(ग) इस शाखा पर पिछले तीन वर्षों में किया गया शुद्ध व्यय नीचे दिया गया है :—

	रु० आ० पा०
१९५०–५१	१,१४,३३–१३–४
१९५१–५२	१,३७,९३४– ६–३
१९५२–५३	१,१०,८५७– ५–४

श्री गिडवानी : क्या यह सच है कि इस स्तर का अन्य किसी भी देश का कोई बैंक अपने राज्य क्षेत्र के बाहर इस प्रकार की कोई शाखा नहीं रखता है ?

श्री ए० सी० गुहा : अन्य देशों की प्रणाली क्या है, यह मैं नहीं कह सकता, किन्तु हम ने इसे आवश्यक समझा है । इस प्रश्न पर हाल ही में विचार किया गया था और जो कुछ कार्य यह शाखा वहां कर रही है उस की दृष्टि से इस को चलाते रहने का निश्चय किया गया है ।

श्री गिडवानी : यह शाखा तो अंगरेज़ी शासन काल में खोली गई थी, और मैं एक प्रश्न पूछता हूं कि क्या बैंक आफ इंगलैंड की कोई शाखा इंगलैण्ड के बाहर संसार के किसी भाग में है ।

उपाध्यक्ष महोदय : वह कह चुके हैं कि वह इस विषय में नहीं जानते ।

श्री गिडवानी : क्या यह सच है कि बैंक आफ इंगलैण्ड के लिये, रिज़र्व बैंक आव इण्डिया को कुछ संविहित निक्षेप रखने पड़ते हैं ?

श्री ए० सी० गुहा : मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा संविहित उपबन्ध है । किन्तु मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता, अतः मैं पूर्व सूचना चाहूंगा ।

सरदार ए० एस० सहगल : क्या यह सच है कि तम्बाकू के छोटे-छोटे उत्पादकों से भी तम्बाकू-कर वसूल किया गया है, और जिन्हों ने कर का भुगतान नहीं किया है, उन की सम्पत्तियां जब्त कर ली गई हैं ? (हंसी की ध्वनि) मुझे खेद है । मैं समझता था कि हम तारांकित प्रश्न संख्या १३६७ पर विचार कर रहे हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य सदन के कुछ आगे चल रहे हैं ।

सरदार हुक्म सिंह : विशेष कर तम्बाकू के विषय में ।

श्री टी० एन० सिंह : क्या सरकार ने इन कार्यों को इम्पीरियल बैंक आफ इण्डिया से एजेण्ट के रूप में करवाने की सम्भाव्यता पर विचार किया है, जिस से रिज़र्व बैंक की एक नियमित शाखा रखने की आवश्यकता न रहे ?

श्री ए० सी० गुहा : जैसा कि मैं अभी कह चुका हूं, रिज़र्व बैंक ने हाल ही में इस प्रश्न पर विचार किया है और इस शाखा को चालू रखना आवश्यक समझा गया है । भविष्य में क्या हम करेंगे इस सम्बन्ध में हम अभी कुछ नहीं कह सकते हैं । किन्तु इस प्रश्न पर अभी हाल ही में विचार किया गया है और फिलहाल रिज़र्व बैंक ने इस शाखा को चालू रखने का निश्चय किया है ।

तम्बाकू की खेती

*१३६६. **श्री संगण्णा :** क्या **वित्त** मंत्री उड़ीसा राज्य में तम्बाकू पर कर लगने से पूर्व तथा बाद के उस क्षेत्र को बताने की कृपा करेंगे जिस पर तम्बाकू की खेती की जाती है ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : उपलब्ध सूचना वाला एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ९१**]

सरदार ए० एस० सहगल : क्या यह सच है कि तम्बाकू के छोटे-छोटे उत्पादकों से भी तम्बाकू-कर वसूल किया गया है और जिन्हों ने कर का भुगतान नहीं किया है, उनकी सम्पत्तियां ज़ब्त कर ली गई हैं ?

श्री ए० सी० गुहा : मूल प्रश्न उड़ीसा राज्य में केवल तम्बाकू की खेती के अन्तर्गत क्षत्र से ही सम्बन्ध रखता है। मैं नहीं जानता कि आप इस सहायक प्रश्न को न्याय संगत समझगे अथवा नहीं ?

सरदार ए० एस० सहगल : बहुत से छोटे-छोटे कृषकों से कर वसूल किया गया है, और कर का भुगतान न करने वाले की सम्पत्तियां ज़ब्त कर ली गई हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य वित्त मंत्रालय के सम्बन्ध में भाषण दे रहे हैं। यह उड़ीसा राज्य में कृषि के अन्तर्गत् क्षेत्र का प्रश्न है, किन्तु माननीय सदस्य तो मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। इस के साथ ही यह क्षेत्र के सम्बन्ध में वार्ता चल रही है जब कि माननीय सदस्य उपकर के विषय में पूछ रहे हैं।

सरदार ए० एस० सहगल : यही प्रश्न उड़ीसा के विषय में पूछा जा सकता है ?

उपाध्यक्ष महोदय : जब तक कि क्षेत्र एक विशेष सीमा से अधिक न हो तब तक कर नहीं सकता।

श्री संगण्णा : जिस क्षेत्र में से पैदावार के स्थानीय उपभोग करने के लिये अनुमति प्राप्त है, क्या वह क्षेत्र कर से मुक्त है ?

श्री ए० सी० गुहा : प्रत्येक क्षेत्र की अपनी वैयक्तिक उपभोग की एक नियत मात्रा है जिस पर कर नहीं लगता है। मेरे पास अब आंकड़े नहीं हैं। किन्तु मैं नहीं समझता कि एसा भी कोई क्षेत्र होगा जिस को वैयक्तिक उपभोग के लिये छट न दी गई हो।

श्री संगण्णा : मेरा प्रश्न यह है कि जहां तक स्थानीय उपभोग का सम्बन्ध है क्या किसी क्षेत्र को कर से मुक्त किया गया है ?

श्री ए० सी० गुहा : छट साधारणतः कुछ मात्राओं के आधार पर उस स्थान के लोगों की आदतों पर दी जाती है। किन्तु साधारण रूप से मैं यह कह सकता हूं कि हम कुछ ऐसे क्षेत्रों को इस में सम्मिलित नहीं करते हैं जहां तम्बाकू कम बोई जाती है। जिन छोटे छोटे भू-खण्डों में तम्बाकू बोई जाती है उन को छूट दे दी गई है, किन्तु इन क्षेत्रों के बारे में मेरे पास आंकड़े नहीं हैं।

श्री संगण्णा : क्या मैं छूट दिये गये क्षेत्रों को जान सकता हूं ?

श्री के० सी० सोधिया खड़े हुए—

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अपना अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री के० सी० सोधिया : मैं अगला प्रश्न रखना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं ने समझा था कि माननीय सदस्य इसी सम्बन्ध में अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहते हैं। माननीय सदस्य बहुत आगे चल रहे हैं।

नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक

*१३६७. **श्री के० सी० सोधिया :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार का संविधान के अनुच्छेद १४९ के अनुसार नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक के कर्तव्यों तथा शक्तियों को नियमित करने के लिये एक विधेयक प्रस्तुत करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो कब; और

(ग) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

वित्त उपमंत्री (श्री एम० सी० शाह) : (क) तथा (ख). यह विषय विचाराधीन है किन्तु इस समय यह नहीं बताया जा सकता कि संसद् में विधेयक कब पुरःस्थापित किया जायेगा ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री के० सी० सोधिया : इस समय ये किस अधिनियम के अन्तर्गत विनियमित किये जा रहे हैं ?

श्री एम० सी० शाह : १९४७ के एक आदेश द्वारा संशोधित १९३६ के एक आदेश के अन्तर्गत ।

श्री के० सी० सोधिया : क्या उसके बाद से उसके कर्त्तव्य और उत्तरदायित्व काफी बढ़ नहीं गये हैं ?

श्री एम० सी० शाह : वे कर्त्तव्य और उत्तरदायित्व तो वही हैं जो कि १९५० से पूर्व महालेखा परीक्षक द्वारा किये जाते थे ।

श्री जोकीम आल्वा : भारत के नियंत्रक तथा लेखपरीक्षक का पद अत्यधिक महत्व-पूर्ण होने के कारण इस पद पर अगले व्यक्ति की नियुक्ति के लिये क्या सरकार ने उसे इन दो कसौटियों पर कस लिया है :

(१) वारिष्ठता का ध्यान रखे बिना क्या वह व्यक्ति सारे भारत में सब से उत्तम व्यक्ति है और (२) क्या उस व्यक्ति का आचरण और उसकी ईमानदारी सर्वथा निर्दोष पाई गई है ?

श्री एम० सी० शाह: मुझे यह समझ नहीं आता कि यह प्रश्न यहां कैसे उठता है ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न कैसे उठता है ?

श्री अलगू राय शास्त्री : यह तो उप-देशमात्र है ।

उपाध्यक्ष महोदय : जब महालेखा-परीक्षक के सम्बन्ध में कोई प्रश्न आता है तो महालेखापरीक्षक के सम्बन्ध में सब बातें पूछ ली जाती हैं ; जब तम्बाकू के बारे में कोई प्रश्न आता है, तो तम्बाकू के बारे में सभी कुछ पूछ लिया जाता है ।

श्री एस० एन० दास : १९५२-५३ के विभागीय वृत्तांत में यह कहा गया था कि एक प्रारूप विधेयक तैयार है और उसे अन्तिम रूप दिया जा रहा है, क्या मैं इस विषय में अधिक विलम्ब होने का कारण जान सकता हूं ? क्या इस विधेयक के सम्बन्ध में नियं-त्रक तथा महालेखापरीक्षक से कोई सुझाव प्राप्त हुए हैं ?

श्री एम० सी० शाह : नहीं । अभी तक महालेखा परीक्षक से सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं । मेरे मित्र श्री दास के एक पहले प्रश्न के उत्तर में यह बताया गया था कि इस के सम्बन्ध में दो पदाधिकारी कार्य कर रहे हैं । वे इन सब प्रश्नों पर महालेखापरीक्षक से बातचीत कर रहे हैं और आशा है कि महालेखापरीक्षक से बातचीत के पश्चात् शीघ्र ही उनका प्रतिवेदन प्राप्त हो जायेगा ।

बाढ़ों में रेल के स्लीपरों का बह जाना

***१३६८. श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि १९ फरवरी १९४५ को जम्मू से २० मील दूर अखनूर के समीप चनाब नदी में बाढ़ आ जाने के कारण लकड़ी के एक लाख स्लीपर बह कर पाकिस्तान की सीमा में चले गये :

(ख) यदि हां, तो क्या उन्हें प्राप्त करने का कोई प्रयत्न किया गया; तथा

(ग) यदि हां, तो पाकिस्तान से कितने स्लीपर प्राप्त हुए ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) नदी के हमारी ओर के किनारे पर बचे हुए शेष लकड़ी के स्लीपरों की अभी गिनती की जा रही है और जून में बहाने की ऋतु के पश्चात् ही ठीक ठीक हानि का पता लग सकेगा। अब तक ५०,००० से एक लाख तक स्लीपरों की हानि का अनुमान लगाया गया है।

(ख) तथा (ग). इन का उत्तर नकारात्मक है।

श्री रघुनाथ सिंह : मैं यह जान सकना चाहता हूं कि यह जो टिम्बर के स्लीपर्स पाकिस्तान साइड में बह कर चले गये थे, उनमें से अभी तक कुछ वापिस हुए कि नहीं ?

डा० काटजू : अभी तक तो वापिस होने की मुझे इत्तिला नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या १३६९--श्री भीखाभाई।

श्री दातार : श्रीमान्, क्या श्री भीखाभाई यहां हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य कृपा करके खड़े हो कर साफ साफ बोला करें। अन्यथा मैं उन्हें देख नहीं सकता। श्री भीखाभाई अनुपस्थित हैं। अगला प्रश्न।

अस्पृश्यता के विरुद्ध प्रचार

*१३७०. **श्री धूसिया** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त ने सरकार को इलाहबाद के गत कुम्भ के मेले में अस्पृश्यता निवारण के हेतु लिखित तथा मौखिक रूप से कुछ विशेष प्रचार करने की सलाह दी थी ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या विशेष कार्यवाही की गई थी और कितनी राशि व्यय की गई थी ; और

(ग) वहां यह कार्य कितने दिन तक जारी रहा ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) जी हां।

(ख) अस्पृश्यता की प्रथा के विरुद्ध अनुभवी भजनीकों तथा प्रचारकों के द्वारा बहुत अधिक और विस्तार से प्रचार किया गया था और 'हरिजन स्मृति' नामक एक लेख की जिस में धार्मिक आधार पर अस्पृश्यता का खण्डन किया गया है, साठ हजार प्रतियां मुफ्त बांटीं गई थीं; हरिजनों से समान व्यवहार, सब समुदायों के व्यक्तियों के इकट्ठे खाने और इकट्ठे बैठने इत्यादि बातों का प्रचार करने वाले पोस्टर और पुस्तिकायें निकाली गई थीं। और नाटक तथा चित्र-प्रदर्शन किये गये थे। कुल १६,५५७ रुपये ८ आने व्यय किये गये थे।

(ग) यह प्रचार कार्य कुम्भ मेले के प्रथम स्नान दिवस १४ जनवरी, १९५४ से १७ फरवरी, १९५४, रविदास जयन्ती दिवस तक, ३५ दिन तक जारी रहा था।

श्री धूसिया : इस विषय में अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों के अतिरिक्त अन्य कितने संगठनों ने सहयोग और सहायता दी है और उन के पास नाम क्या हैं ?

श्री दातार : इस कार्य में न केवल अनुसूचित जाति के लोगों ने, अपितु सामान्यतया अन्य लोगों ने भी सहयोग दिया था।

श्री धूसिया : यह व्यय किस ने उठाया है, सरकार ने या कई संगठनों ने ?

श्री दातार : सरकार ने जो कार्य किया था उस का व्यय भी सरकार ने ही उठाया है। अन्य गैर सरकारी संगठनों ने जो व्यय किया है उस का हमें ज्ञान नहीं है।

श्री वेलायुधन : मंत्री जी ने बताया कि सब समुदायों को एक साथ मिला कर

खिलाना भी अस्पृश्यता निवारण का एक कार्यक्रम है। क्या अन्तर्जातीय विवाह भी इस का एक अंग है ?

श्री बी० एस० मूर्ति : क्या सरकार का इस व्यवस्था को स्थाई रूप से बनाये रखने का इरादा है ?

श्री दातार : यह तो उत्तर प्रदेश सरकार की व्यवस्था थी और मैं समझता हूं कि जब कभी ऐसा अवसर आयेगा तो अन्य राज्य सरकारें भी इसी प्रकार का प्रचार करेंगी ।

श्री बी० एस० मूर्ति : क्या सरकार का विचार राजस्थान और पैप्सू जैसे राज्यों में जहां कि यह अस्पश्यता का रोग बहुत फैला हुआ है इसे दूर करने के लिये कोई संस्था बनाने का है ?

श्री दातार : मैं माननीय सदस्य के सुझाव को समझा नहीं ।

श्री बी० एस० मूर्ति : संविधान में अस्पृश्यता को दूर करने का वचन दिया गया है और सरकार ने इसे दूर करने की प्रतिज्ञा की है । क्या सरकार एक ऐसा प्रचारक दल बनाने का प्रयत्न कर रही है जो इस बात का प्रचार करता फिरे कि अस्पृश्यता दूर करो ?

श्री दातार : यह कार्य राज्य सरकारें करेंगी । हम ने अस्पृश्यता के विरुद्ध प्रचार के लिये ५० लाख रुपये अलग रख दिये हैं । अगले वर्ष यह राशि बढ़ा दी जायेगी और राज्य सरकारें प्रचारकों तथा अन्य तरीकों पर ध्यान देंगी । इस कार्य को करना उन का काम है ।

श्री नवल प्रभाकर : क्या मैं जान सकता हूं कि यह जो साहित्य वितरित किया जाता है वह किन किन भाषाओं में होता है ?

श्री दातार : सभी भाषाओं में; किन्तु कुम्भ मेले में केवल हिन्दी का प्रयोग किया गया था ।

श्री जांगड़े : क्या माननीय मंत्री मुझे बतलायेंगे कि इंडियन फिल्म्स डिवीज़न के द्वारा छुआछूत दूर करने का प्रचार किया जाता है, या किये जाने की सम्भावना है ?

श्री दातार : मेरे विचार से यह काम तो पहले ही किया जा रहा है ।

वायुयान पैट्रोल

***१३७१. श्री एच० एन० मुकर्जी** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि सितम्बर, १९५३ में या इस के आस-पास मैसर्स बर्मा शेल द्वारा दायर किये गये कुछ कमी सम्बन्धी दावे ठीक नहीं पाये गये थे और सीमा शुल्क समाहर्त्ता ने उन के सम्बन्ध में जांच करवाई थी ;

(ख) क्या यह सच है कि उस के कुछ समय पश्चात् केन्द्रीय राजस्व बोर्ड ने जांच पूरी होने से पहिले ही विशेष मामलों के रूप में उन दावों को मंजूर कर दिया था ;

(ग) क्या यह सच है कि उन दावों का निर्यात करने की सामान्य सूची में दिखाई गई मात्राओं से कोई सम्बन्ध नहीं था ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस विषय की जांच की है ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : (क) हां जी ।

(ख) नहीं, श्रीमान् ।

(ग) माननीय सदस्य का सम्भवत: किन्हीं और दावों से अभिप्राय है । उनके सम्बन्ध में एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ९२]** ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : सीमा शुल्क नियम पुस्तिका के इस विशेष निदेश को ध्यान में रखते हुए कि जब तक माल सूची में जहाज में माल लदान का बिल न दिखाया गया हो, तब तक किसी भी वापिसी के दावे का भुगतान नहीं किया जाना चाहिये तो सीमा शुल्क समाहर्त्ता ने सितम्बर, १९५३ तक माल सूची की जांच पड़ताल किये बिना बर्मा-शेल कम्पनी के दावों का भुगतान करने के सम्बन्ध में विशेष छूट देने के लिये किन विशेष परिस्थितियों में लिखा पढ़ी की ? सीमाशुल्क समाहर्त्ता की इस असामान्य सिपारिश को सरकार द्वारा स्वीकार किये जाने के क्या विशेष कारण थे ?

श्री ए० सी० गुहा : यह छूट विशेष रूप से बर्मा-शेल कम्पनी के मामले में ही नहीं की गई है । यह छूट दम दम से निर्यात करने वाले सभी तेल निर्यातकों को दी जाती है और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सीमाशुल्क अधिकारी माल की जांच पड़ताल करके इस बात से पूर्ण रूप से सन्तुष्ट हैं--विमान में तेल भरे जाते समय कुछ अधिकारी उपस्थित थे---इस सामान्य निर्यात माल सूची की जांच करना आवश्यक नहीं समझा गया था । इसे तेल निर्यात के लिये न केवल बर्मा-शेल अपितु अन्य सभी के लिये भारत में प्रवर्त्तित नहीं किया गया है ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : क्या यह सच है कि जिस क्लर्क के कहने से यह सूचना सीमाशुल्क गुप्तचर शाखा को भेजी गई थी तथा जिसने जहाज़ में माल लदान के बिलों तथा सामान्य निर्यात माल सूची में अन्तर का पता लगाया था, उसका इस कार्य के कारण स्थानान्तरण कर दिया गया था ?

श्री ए० सी० गुहा : मुझे इसकी पूर्व सूचना चाहिये । मैं तो माननीय सदस्य को केवल यही आश्वासन दे सकता हूं कि जिस मामले का उन्होंने निर्देश किया है उसमें १९५२-५३ में पेट्रोल के आयात के केवल एक ही मद पर कम्पनी द्वारा भुगतान किये गये १६४२ रुपये की तुलना में केवल ६,००० रुपये ही हैं । इन ६,००० रुपयों को बहुत मामूली राशि समझना चाहिये और कम्पनी ने भी इस बात को मान लिया है कि इसके अधिकारियों से कुछ गलती हो गई थी और उसने इस राशि को देने की बात को मान लिया है ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : क्या सीमा शुल्क गुप्तचर शाखा ने इसकी जांच की थी जिससे इस कम्पनी के उच्च अधिकारियों के सम्बन्ध में गम्भीर बातें मालूम हुईं और यह भी मालूम हुआ कि इसमें लगभग १५ लाख रुपया अर्न्तग्रस्त था ?

श्री ए० सी० गुहा : धन केवल इस मामले में ही नहीं अपितु अन्य मामलों में भी अर्न्तग्रस्त था । मेरे पास एक विवरण है । इस में अब ५ लाख रुपये अर्न्तग्रस्त हैं ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : जांच का क्या हुआ ? क्या इसके परिणाम सदन पटल पर रखे जायेंगे ?

श्री ए० सी० गुहा : मैं नहीं जानता कि माननीय सदस्य किस विशेष जांच का निर्देश कर रहे हैं । यदि वह मुझे विस्तृत बातें बतायें तो मैं देखूंगा कि इसमें क्या किया जा सकता है ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य का निर्देश गुप्तचर पुलिस की जांच से है ।

श्री ए० सी० गुहा : मुझे खेद है कि गुप्तचर पुलिस की अन्वेषण रिपोर्ट सदन पटल पर नहीं रखी जा सकती ।

उपाध्यक्ष महोदय : अगले प्रश्न के सम्बन्ध में मुझे यह सूचना मिली है कि प्रश्नकर्त्ता माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि उसे कोई अन्य सदस्य पूछे। मैं उस प्रश्न को सब से बाद में लूंगा ।

भूत पूर्व जरायम पेशा जातियां तथा पिछड़े वर्ग कल्याण निधि

***१३७३. श्री रघुरामय्या** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या आंध्र राज्य को चालू वर्ष के लिये (१) भूतपूर्व जरायमपेशा जातियां तथा पिछड़े वर्ग कल्याण निधि, (२) अन्य पिछड़े वर्गों को कल्याण निधि, में से कोई राशियां दी गई हैं ; तथा

(ख) यदि ऐसा है, तो इस प्रकार निर्धारित की गई कुल राशि कितनी है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) तथा (ख). जी हां; (१) १,५०,००० रुपये भूतपूर्व जरायम पेशा जातियों के लिये तथा (२) ५०,००० रुपये पिछड़े वर्गों के लिये । चूंकि भूतपूर्व जरायम पेशा जातियों के कल्याण से सम्बन्धित योजनाएं वर्ष में राज्य सरकारों से बहुत देर से मिली थीं, अत: केन्द्रीय सरकार केवल १०,००० रुपये की मंजूरी दे सकी थी । अन्य पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित योजनायें अभी तक प्राप्त नहीं हुई हैं । इस लिये इस के लिये कोई राशि मंजूर नहीं की गई है ।

श्री मुनिस्वामी : क्या इन राशियों के वितरण के लिये सरकार ने गैर सरकारी संस्थाओं को अभिज्ञात कर लिया है ?

श्री दातार : यह करना राज्य सरकार का काम है । हमने उसे यह सुझाव दिया है कि जहां तक सम्भव हो यह कार्य गैर-सरकारी अभिकर्त्ताओं द्वारा किया जाना चाहिये ।

श्री वेलायुधन : क्या पिछड़े वर्ग संगठनों के लिये केन्द्रीय सरकार स्वयं ही कोई राशियां खर्च कर रही है ?

श्री दातार : जहां तक केन्द्रीय सरकार का सम्बन्ध है, इसने पिछड़े वर्गों के लिये २० लाख रुपये अलग रख दिये हैं, और इस राशि का बहुत बड़ा भाग पहिले ही खर्च कर दिया गया है ।

श्रीमती कमलेंदुमति शाह : उत्तर-प्रदेश की पहाड़ी आदिम जातियों या पिछड़े वर्गों के लिये कितनी राशि अलग रख दी गई है ?

श्री दातार : पहाड़ी आदिम जातियां या तो अनुसूचित आदिम जातियों या पिछड़े वर्गों के अन्तर्गत आती हैं और इस प्रश्न को तय करना उत्तर प्रदेश सरकार का काम है ।

उपाध्यक्ष महोदय : ऐसा प्रतीत होता है कि अब यह प्रश्न आंध्र के स्थान पर उत्तर प्रदेश के बारे में पूछा जाने लगा है ।

श्री बी० एस० मूर्ति : चूंकि केन्द्रीय सरकार का भूतपूर्व जरायमपेशा जातियों का सुधार कार्य करने वाली गैर सरकारी संस्थाओं से कोई सम्बन्ध नहीं है, यदि आंध्र राज्य के समान जिस ने इस प्रकार का कार्य करने से मना कर दिया है, कोई राज्य आदिम जातियों के कल्याणकारी कार्य नहीं करता, तो केन्द्रीय सरकार का क्या कार्य करने का विचार है ?

श्री दातार : यह राज्य अभी थोड़े दिन पहले ही बना है, और इस बात की पूरी सम्भावना है कि वह अगले वर्ष इस कार्य के लिये गैर सरकारी संस्थाओं को अभिज्ञात कर लेगा, किन्तु यदि वह ऐसा नहीं करता, तो हम इस प्रश्न पर विचार करेंगे और हम इस कार्य के लिये किसी अखिल भारतीय संस्था को अभिज्ञात कर लेंगे ।

श्री नानादास : इस बात को ध्यान में रखते हुऐ कि आंध्र राज्य केवल पहिली अक्टूबर को बना था, क्या मंजूर की गई ये राशियां अगले वर्ष के आय-व्ययक में जोड़ दी जायेंगी ?

श्री दातार : हमारे पास इसके लिये अगले वर्ष के लिये पृथक राशियां हैं, किन्तु हमारी कठिनाई यह है कि राज्य सरकार इस धन को उचित प्रकार से अपने अधिकार

में नहीं लेती और वह अपनी योजनायें समय पर नहीं भेजती ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि आंध्र राज्य अपने निर्धारित धन में से धन व्यय नहीं करना तो क्या इसे इस कार्य के लिये अगले वर्ष के हिसाब में डालने की अनुमति दे दी जायेगी ।

श्री दातार : यह धन अगले वर्ष के हिसाब में नहीं डाला जायेगा, यह व्यपगत हो जायगा । इस प्रश्न पर अगले वर्ष के आय-व्ययक निर्धारण के समय विचार किया जायगा ।

झण्डा दिवस निधि

***१३७४. डा० नटवर पांडे** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या १९५२ में झण्डा दिवस पर एकत्रित किया गया धन उचित प्रकार से व्यय कर दिया गया है ; तथा

(ख) यदि ऐसा है, तो भूतपूर्व सैनिकों के लाभ के लिये तथा, काम पर लगे हुए सैनिकों की सुविधाओं के लिये कितना धन व्यय किया गया था ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) १९५२ में एकत्रित किया गया धन वितरित कर दिया गया था और इस वर्ष के दौरान में खर्च कर दिया जायगा ।

(ख) भूतपूर्व सैनिकों के लाभ के लिये ५,४५,१८६ रुपये अलग रख दिये गये हैं और १,९८,००० रुपये काम पर लगे सैनिकों के लिये अलग रखे गये हैं ।

सोने के दाम

***१३७५. श्री पी० सी० बोस** : क्या **वित्त** मंत्री १० मार्च १९५४ को पूछे गये प्रश्न संख्या ८८५ के उत्तर का निर्देश करते हुए यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) भारत में सोने के मूल्य तथा भारत में स्थित विदेशी बस्तियों में सोने के मूल्यों में कितना अन्तर है ; तथा

(ख) भारत में सोने के मूल्य की तुलना में अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य कितना है ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : (क) एक विवरण, जिसमें भारत में तथा भारत में स्थित विदेशी बस्तियों में सोने के नवीनतम मूल्य दिये हुए हैं, सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ९३]**

(ख) सोने का अन्तर्राष्ट्रीय अधिकृत मूल्य ३५ डालर प्रति औंस और ६२ रुपये ८ आने प्रति तोला है ।

श्री पी० सी० बोस : विवरण से मुझे पता लगता है कि गोआ, आदि भारत में स्थित विदेशी बस्तियों में तथा बम्बई तथा कलकत्ता जैसे शहरों में सोने के मूल्यों में अन्तर १६ रुपया प्रति तोला है । क्या सरकार ने इस बात की कोई जांच की है कि इनमें इतना अन्तर क्यों है ?

श्री ए० सी० गुहा : गोआ के मामले में १६ रुपये का अन्तर है । फ़्रांसीसी बस्तियों में मूल्य लगभग वही हैं—वास्तव में पांडीचेरी में कुछ अधिक है । वर्तमान मूल्य ये हैं : बम्बई ८८ रुपये १२ आने ; कलकत्ता ८९ रुपये ; पांडीचेरी ९२ रुपये ८ आने ; कराईकल ८९ रुपये ; माही ८९ रुपये ८ आने । मैं नहीं जानता कि इस मामले में सरकार क्या जांच कर सकती है ।

आसाम नगरीय क्षेत्र किरायेदारी विधेयक

***१३७७. श्री के० पी० त्रिपाठी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री ९ दिसम्बर, १९५३, को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ७९५ के प्रति दिए गए उत्तर की ओर निर्देश करते हुए यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या आसाम सरकार तथा भारत सरकार के प्रतिनिधियों के मध्य

आसाम नगरीय क्षेत्र किरायेदारी विधेयक के सम्बन्ध में सम्मेलन हो चुका है ; तथा

(ख) यदि ऐसा है तो उस सम्मेलन में क्या फैसला हुआ ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) जी हां ।

(ख) कोई अन्तिम निर्णय नहीं हुआ है । किन्तु भारत सरकार हुई चर्चा को दृष्टिगत रखते हुए इस विषय पर अग्रेतर विचार कर रही है ।

श्री के० पी० त्रिपाठी : क्या यह समझना चाहिये कि उक्त सम्मेलन में कुछ भी निश्चय नहीं किया गया ?

श्री दातार : आसाम से एक मंत्री आए थे और हमारी ओर से की गई आपत्तियों के बारे में चर्चा हुई थी । अब समझौता तो हो गया है किन्तु आसाम सरकार, अथवा सम्बद्ध मंत्री, की यह इच्छा है कि हम एक विधेयक का प्रारूप तैयार करें । हम ने विधि मंत्रालय को प्रारूप बनाने के लिये कहा है जो आसाम सरकार को भेज दिया जायगा ।

श्री के० पी० त्रिपाठी : इस विधेयक का प्रारूप तैयार करने और वहां भेजने में कितना समय लगेगा ?

श्री दातार : हम यथाशीघ्र ऐसा कर रहे हैं, लगभग एक महीने के अन्दर ।

श्री के० पी० त्रिपाठी : यह विषय कब से भारत सरकार के विचाराधीन है, तीन वर्ष से या चार वर्ष से ?

श्री दातार : नहीं, यह केवल गत चार या पांच महीनों से ही विचाराधीन है ।

श्री के० पी० त्रिपाठी : क्या सरकार को ज्ञात है कि आसाम में इस विधेयक के बारे में कितना क्षोभ हो रहा है ?

श्री दातार : सरकार को इस विधेयक की अत्यावश्यकता का बोध है, अतः वे इस विषय में पूर्ण शीघ्रता से काम ले रहे हैं ।

कैप्टन नाम जोशी के आश्रितों को क्षतिपूर्ति

*१३७८. **श्री टी० बी० विट्ठल राव** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिवंगत कैप्टन नाम जोशी जो दिसम्बर १९५३, में बंगलौर में वायु-दुर्घटना में मारे गए थे के परिवार को क्षतिपूर्ति के रूप में कुल कितनी राशि दी गई है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : हिन्दुस्तान एयरक्राफट लिमिटिड द्वारा दिवंगत कैप्टन नाम जोशी के वैध उत्तराधिकारियों को देय कुल राशि ५९,३८९ रुपये है जिस में ५०,००० रुपये की राशि बीमे सम्बन्धी क्षतिपूर्ति के रूप में सम्मिलित है । इस राशि का भुगतान उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र अथवा अन्य उचित दस्तावेज़ों की प्रस्तुति पर किया जायगा । श्रीमती नामजोशी को कम्पनी द्वारा इनकी प्रस्तुति के लिये कह दिया गया है ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : दिवंगत कैप्टन नाम जोशी द्वारा एयरक्राफ्ट कैरियर के विकास कार्य में तथा चालकों के प्रशिक्षण में की गई सेवा को दृष्टिगत रखते हुए क्या सरकार का विचार कुछ अधिक भुगतान करने का है ?

सरदार मजीठिया : मैं एयरक्राफ्ट कैरियर के विकास के बारे में कुछ नहीं जानता ।

जहां तक चालकों के प्रशिक्षण का प्रश्न है वे असैनिक उड्डयन के अधीन चालकों के प्रशिक्षक थे । रक्षा मंत्रालय का इस विषय से कुछ सम्बन्ध नहीं है । उन्हें हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट के अधीन सेवायुक्त हुए अभी केवल एक वर्ष ही हुआ था और जैसा कि सदन को ज्ञात है हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट एक सार्वजनिक सीमित समवाय है । वे १९ जून १९५२ को उक्त कम्पनी में सेवायुक्त हुए थे । इस बात को देखते हुए और ५०,००० रुपये की बीमे

की राशि जो क्षतिपूर्ति के रूप में मिलेगी, तथा जिस का प्रिमियम भी हिन्दुस्तान एयर-क्राफ्ट द्वारा ही दिया गया था, उसे ध्यान में रखते हुए हमें इसे पर्याप्त क्षतिपूर्ति समझते हैं।

सशस्त्र बल भर्ती संगठन

***१३७९. सरदार हुक्म सिंह** : (क) क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५३–५४ में सेना के भर्ती संगठन में पुन-र्संगठन करने के फलस्वरूप कौन कौन से प्रधान कार्यालय और उपकार्यालय बन्द कर दिये गये थे ?

(ख) क्या उक्त वर्ष में किसी स्थान पर बिल्कुल ही नये प्रधान कार्यालय या उपकार्यालय खोले गये थे ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) कोई भी नहीं।

(ख) जी नहीं।

सरदार ए० एस० सहगल : भर्ती संगठनों का पुनर्संगठन करने से पहले भर्ती कैसी होती थी और उस के बाद कैसी होती रही है ?

सरदार मजीठिया : मेरे पास आंकड़े हैं। पुनर्संगठन से पहले समस्त केन्द्रों में औसतन मासिक भर्ती २९६१ थी और पुन-र्संगठन के बाद औसतन मासिक भर्ती बढ़ कर ३६२४ हो गई।

सरदार ए० एस० सहगल : पुनर्संगठन के फलस्वरूप कितने रुपये की बचत हुई थी ?

सरदार मजीठिया : वार्षिक बचत १,८२,४६० रुपये है।

धूप चूल्हे (सोलर कुकर)

***१३८०. सेठ गोविन्द दास** : क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री १३ अगस्त, १९५३ को पूछे गये तारांकित **प्रश्न संख्या** ४५८ के उत्तर का निर्देश करते हुए यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) वर्ष १९५३ में भारत में कितने सोलर कुकर बनाये गये;

(ख) इस वर्ष में कितने सोलर कुकर बेचे गये; और

(ग) क्या दिल्ली में इन के विक्रय की कोई शाखा (एजेन्सी) है ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) २६४.

(ख) २२७.

(ग) मेसर्स सोलर कुकर डिस्ट्रीब्यूटर्स, ९० चांदनी चौक, दिल्ली।

सेठ गोविन्द दास : क्या इस सम्बन्ध में सरकार के पास ऐसी कोई रिपोर्ट भी है कि जहां जहां इस का उपयोग हुआ है वह सफल हुआ है या नहीं ?

श्री के० डी० मालवीय : सरकार के पास तो ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है कि इस की उपयोगिता के बारे में लोगों की क्या राय है लेकिन हम ने एक प्रयोग किया और अब उस का इंडस्ट्रियल इस्तैमाल कुछ कारखानों ने हम से ले लिया है और वह कर रहे हैं। मैं आप की इजाजत से, उपाध्यक्ष महोदय, यह कहूंगा कि इस के बारे में जगह जगह थोड़ा भ्रम फैल रहा है। मैं यह नहीं कहता कि यह जो सूर्य रश्मि का उपयोग करने का प्रयोग है यह केवल हमारा ही मुल्क दुनिया में कर रहा है मगर दो तीन देश ऐसे हैं जो इस में काफ़ी काम कर रहे हैं और चूंकि भविष्य में इस की बहुत उपयोगिता सिद्ध होने वाली है इसलिए जो काम इस समय हो रहा है उस काम को सरकार काफी उपयोगी समझती है। अभी इस सम्बन्ध में नेशनल फिजिकल लाबारेटरी में काम आगे बढ़ रहा है और ऐसी आशा की जाती है कि इस में काफी तरक्की हो जायगी।

श्री मुनिस्वामी : हमारे देश में कितनी फर्में धूप चूल्हे बना रही हैं ?

श्री के० डी० मालवीय : एक फर्म पहले ही से बना रही है और दूसरी बनाने का काम आरम्भ करने वाली ही है।

श्री बी० एस० मूर्ति : क्या कोई एकस्व है और यदि हां, तो किस कम्पनी का ?

श्री के० डी० मालवीय : वैज्ञानिक तथा औद्योगिक गवेषणा परिषद् ने एकस्व प्राप्त कर लिया है और कुछ शर्तों पर उसे बम्बई की एक फर्म और कलकत्ते की एक फर्म को बेच दिया है ।

श्री दाभी : धूप चूल्हे का वर्तमान मूल्य क्या है तथा क्या इस पर चपातियां बनाई जा सकती हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : धूप चूल्हे से चपातियां कैसे बनाई जा सकती हैं ?

श्री के० डी० मालवीय : वर्तमान निर्माताओं ने धूप चूल्हे का विक्रय मूल्य घटा कर ६९ रुपये कर दिया है । जहां तक चपातियों के बनाने का सवाल है यह बहुत कुछ धूप चूल्हे की कार्यकुशलता पर निर्भर है जो कि अच्छी रही है ।

श्री नवल प्रभाकर : बम्बई और कलकत्ते में इन का जो निर्माण हो रहा है उन में कौन सा अच्छा है, बम्बई का या कलकत्ते का ?

श्री के० डी० मालवीय : अभी कलकत्ते के बारे में तो कोई राय नहीं दी जा सकती ।

श्री एन० एल० जोशी : इन धूप चूल्हों के विक्रय के लिये क्या भारत और अन्य स्थानों में एजेन्सियां खोल दी गई हैं ?

श्री के० डी० मालवीय : एक दिल्ली में है जैसा कि मैं ने अभी बताया—सोलर कुकर डिस्ट्रीब्यूटर्स । अन्य के बारे में मुझे पता नहीं है क्योंकि व्यापारी इस बारे में ज्यादा अच्छा काम कर सकते हैं ।

श्री दाभी : माननीय मंत्री ने इस धूप चूल्हे की कार्यकुशलता का उल्लेख किया है । इस की उच्चतम कार्यकुशलता क्या है ?

श्री के० डी० मालवीय : मैं यह नहीं समझ पाया हूं कि उच्चतम कार्यकुशलता से माननीय सदस्य का क्या अभिप्राय है किन्तु यदि उन का निर्देश इस बात से है कि देवी दयाल सन्स द्वारा बनाये गये धूप चूल्हे का तापक्रम कहां तक पहुंच जाता है तो शायद वह ३०० केन्डिल पावर होता है ।

श्री सारंगधर दास : क्या इन धूप चूल्हों से बरसात के महीनों में भी काम लिया जा सकता है ?

श्री के० डी० मालवीय : स्वाभाविक ही है कि नहीं ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

***१३६३. श्री एम० आर० कृष्ण** : क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार एक यान्त्रिक इंजीनियरी गवेषणा संस्था खोलने का है; तथा

(ख) यदि हां, तो सरकार को इसे खोलने में कितना समय लग जायेगा ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) जी हां ।

(ख) संस्था के सम्बन्ध में विस्तृत योजना बनाने के लिये वैज्ञानिक तथा औद्योगिक गवेषणा परिषद् द्वारा एक योजना कमेटी नियुक्त की जा रही है, जो कुटीर उद्योग तथा कृषि के सम्बन्ध में काम आने वाले यांत्रिक औज़ारों तथा उपकरणों के बारे में विचार करेगी ।

सेवाओं में अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों का प्रतिनिधित्व

***१३६९. श्री भीखाभाई** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों के आयुक्त यह आंकड़े इकट्ठे कर के अपनी रिपोर्ट में

शामिल नहीं कर सके हैं कि संविधान लागू होने के पश्चात् से सेवाओं की विभिन्न पदालियों में अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों के वास्तव में कितने कर्मचारी भर्ती किये गये हैं; तथा

(ख) यदि हां, तो क्या तीसरी रिपोर्ट के लिये सरकार का विचार सूचना को राज्यवार संग्रह करने का है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त की रिपोर्टों में अब यह सूचना शामिल कर ली गई है कि विभिन्न सरकारी कार्यालयों में काम करने वाले लोगों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की प्रतिशतता क्या है । फिर भी, यह विचार है कि भविष्य में वास्तविक संख्याओं का उल्लेख किया जाये ।

(ख) जी हां ।

नेताजी सुभाष विद्या निकेतन

***१३७२. श्री दशरथ देव**: क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) त्रिपुरा में अगरतला के नेताजी सुभाष विद्या निकेतन के सम्बन्ध में तदर्थ कमेटी नियुक्त करने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या इस कार्यवाही के विरोध में कोई अभिवेदन सरकार को प्राप्त हुआ है; तथा

(ग) सरकार का इस सम्बन्ध में क्या करने का विचार है ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद): (क) से (ग) कुछ कथित अनियमितताओं के कारण पश्चिमी बंगाल के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने पुरानी प्रबन्ध कमेटी के स्थान पर एक तदर्थ कमेटी नियुक्त की थी, किन्तु प्रबन्ध कमेटी ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में प्रार्थना-पत्र दिया है तथा मामला विचाराधीन है । ऐसा समझा जाता है कि राज्य सरकार को भी एक अभिवेदन दिया गया है ।

आय-कर (राजस्थान)

***१३७६. श्री बलवन्त सिंह महता**: क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्रमश: १९५०–५१, १९५२–५३ और १९५३–५४ वर्षों में राजस्थान में आयकर से कितनी राशि प्राप्त हुई थी ?

वित्त उपमंत्री (श्री एम० सी० शाह):

वर्ष	
१९५०–५१	१०,१४,०००
१९५२–५३	६४,०९,०००
१९५३–५४ (फरवरी १९५४ तक) . . .	५१,८५,०००

अन्तर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी

***१३८१. डा० राम सुभग सिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या १९५३–५४ में भारत में कोई अन्तर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी हुई थी;

(ख) यदि हां, तो कहां और कब;

(ग) प्रदर्शनी में कितने देशों ने भाग लिया था;

(घ) क्या सरकार ने प्रदर्शनी में किसी प्रकार की सहायता दी थी; तथा

(ङ) यदि हां, तो क्या ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद): (क) हां, श्रीमान् । द्वितीय अन्तर्राष्ट्रीय अर्वाचीन कला प्रदर्शनी का संगठन अखिल भारतीय ललित कला तथा शिल्प समिति, नई दिल्ली ने किया था ।

(ख) इस का उद्घाटन ५ मई, १९५३ को नई दिल्ली में हुआ था । इस के पश्चात् उसे कलकत्ता, पटना, कानपुर, हैदराबाद और

बम्बई में दिखलाया गया था । अब उसे अमृतसर में दिखलाया जा रहा है ।

(ग) २७ देशों ने ।

(घ) तथा (ङ). सरकार द्वारा कोई वित्तीय सहायता नहीं दी गई लेकिन प्रदर्शनार्थ वस्तुओं के इधर उधर ले जाने के किराये में सार्वजनिक किराये से आधे की रियायत कर दी गई और समिति के उन दो प्रतिनिधियों के किराये में भी रियायत कर दी गई जिन्हें प्रदर्शनी के साथ जाना पड़ता है । बाहर से आने वाली प्रदर्शनार्थ वस्तुओं को भी इस शर्त पर सीमा शुल्क से मुक्त कर दिया गया कि उन्हें आयात किये जाने के ६ महीने के अन्दर अन्दर या उस अवधि में जिसे सरकार तय कर दे पुनः निर्यात कर दिया जायेगा ।

विशेष पदों के लिये उम्मीदवारों का चुना जाना

***१३८२. श्री एस० सी० सामन्त :** क्या **गृहकार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि बार बार विज्ञापन देने पर भी कुछ अत्यधिक टेकनिकल या विशेष पदों के लिये उम्मीदवार नहीं आते;

(ख) १९५३ में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा कौन कौन से "अत्यधिक टेकनिकल अथवा विशेष पद" भरे गये थे;

(ग) ऐसे पदों की संख्या कितनी है जो इस प्रकार भरे गये हैं; तथा

(घ) क्या कोई पद अब भी भरे जाने हैं; यदि हां तो कितने ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): (क) जी हां ।

(ख) उन पदों के नाम जिन के लिये संघ लोक सेवा आयोग ने १९५३ में उपयुक्त व्यक्तियों को भरती करने का प्रयत्न किया, सदन-पटल पर रखे गये विवरण में दिये गये हैं । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ९४]**

(ग) इन में से २९ पद भरे जा चुके हैं ।

(घ) शेष २४ पद अभी भरे जाने हैं ।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि में डालर क्रय

***१३८३. श्री के० सी० सोधिया :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) १९५२–५३ में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-निधि में से डॉलर खरीदने के सम्बन्ध में कुल कितना सेवा व्यय हुआ; तथा

(ख) यह कार्य किस के द्वारा किया जाता है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : (क) कोई सेवा-व्यय नहीं दिया गया । परन्तु १९५२–५३ में १,५१६,०२९ डॉलर (७२,३१,७४० रुपये) ब्याज के रूप में दिये गये थे ।

(ख) सरकार द्वारा निधि को सीधे ही भुगतान किया जाता है ।

अफगानी सांस्कृतिक प्रतिनिधि मंडल

***१३८५. { श्री रघुनाथ सिंह : श्री डी० सी० शर्मा : श्री एम० एल० द्विवेदी :**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) अफ़गानी सांस्कृतिक प्रतिनिधि-मण्डल ने भारत में कितने स्थानों का भ्रमण किया है; और

(ख) भारत सरकार ने इस पर कितना व्यय किया ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) २८.

(ख) इस के लिये ४५,००० रुपया मंजूर किया गया था । वास्तविक व्यय के बारे में अभी सूचना उपलब्ध नहीं है ।

अभ्यस्त अपराधियों के बारे में विधान

*१३८६. **सरदार हुक्म सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सारे राज्यों द्वारा अभ्यस्त अपराधियों के बारे में कोई विधान बनाया गया है; तथा

(ख) क्या इस सम्बन्ध में राज्यों द्वारा अनुसरण किये जाने के लिये कोई एकरूप आदर्श विधान बनाया गया है ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): (क) बम्बई, मद्रास, राजस्थान, पंजाब, सौराष्ट्र, भोपाल, मैसूर, उत्तर-प्रदेश और उड़ीसा ने अभ्यस्त अपराधियों के बारे में विधान बनाये हैं। दिल्ली और अजमेर राज्यों में मद्रास अपराधी प्रतिबन्ध अधिनियम लागू कर दिया गया है। पैप्सू, बिहार, मध्य भारत और हैदराबाद द्वारा अपनी राज्य विधान सभाओं में ये विधान पुरःस्थापित कर दिये गये हैं। पश्चिमी बंगाल इस प्रकार का विधान बनाने की कार्यवाही कर रहा है। शेष राज्य इस के लिये कार्यवाही नहीं कर रहे क्योंकि वे इसे आवश्यक नहीं समझते।

(ख) जी हां। प्रारूप विधेयक राज्यों को, उन के विचार जानने के लिये, भेज दिया गया।

उड़ीसा में सोने की खानें

*१३८७. **सेठ गोविन्द दास** :
सरदार ए० एस० सहगल :
श्री बी० सी० दास:
श्री राधा रमण :
श्री हेम राज :
पंडित डी० एन० तिवारी :
डा० सत्यवादी :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री एम० एल० द्विवेदी :
डा० राम सुभग सिंह :

क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री ४ मई १९५३ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १८२४ के उत्तर की ओर निर्देश करते हुए यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) उड़ीसा में सोने की खानों की खोज में कहां तक सफलता मिली है; और

(ख) किस कम्पनी को यह खोज करने का अधिकार दिया गया है ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) तथा (ख). उड़ीसा में क्योंझार ज़िले की चम्पुआ तहसील में लगभग ४० मील लम्बे और १ मील चौड़े क्षेत्र में भारतीय खान विभाग द्वारा सोने की खानें खोजने का काम किया जा रहा है। यह काम जुलाई १९५३ में शुरू किया गया था और अभी चल रहा है। पथरीले टुकड़ों के शोधन से अब तक यह पता चला है कि एक टन में से ३ या ४ ग्रेन सोना प्राप्त हो सकता है। ये परिणाम काफी उत्साह-जनक बताये जाते हैं और ऐसी आशा की जाती है कि और अच्छी तरह शोधन किये जाने पर अधिक सोना प्राप्त हो सकता है।

नैरोबी में शिक्षा कार्यालय

*१३८८. **श्री के० सी० सोधिया** :(क) क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या नैरोबी स्थित भारतीय कमीशन में और बौन स्थित दूतावास में शिक्षा विभाग खोल दिये गये हैं; यदि हां, तो कब ?

(ख) प्रत्येक का वार्षिक व्यय कितना है और उन विद्यार्थियों की संख्या क्या है जिन के हितों का इन के द्वारा ध्यान रखा जाता है ?

(ग) इस समय इन दोनों स्थानों पर भारतीय विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या है ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) जी हां। शिक्षा विभाग नैरोबी के भारतीय कमीशन में फ़रवरी १९५३ में और भारतीय

दूतावास, बौन में मई १९५३ में खोला गया था ।

(ख) एक विवरण सदन-पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ९५]

(ग) ब्रिटिश पूर्वी अफ्रीका में कोई भारतीय विद्यार्थी नहीं है; पश्चिमी जर्मनी में भारतीय विद्यार्थियों की संख्या लगभग २०० है ।

साहित्यिक कार्यशाला , मैसूर

२७५. **श्री राचय्या : क्या शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि फ़रवरी, १९५४ में मैसूर की साहित्यिक कार्यशाला पर कितना व्यय किया गया ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आज़ाद) : लगभग १२,५०० रुपये ।

हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड

२७६. **श्री वी० पी० नायर : क्या रक्षा** मंत्री सदन-पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिस में बताया गया हो कि १५ जनवरी, १९५४ को (१) हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड, बंगलौर में कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी है (नैमित्तिक और अस्थायी कर्मचारियों की संख्या अलग अलग दी जाये), (२) एयरक्राफ्ट और रेलकोच प्रतिष्ठापनों में कर्मचारियों की श्रेणीवार अथवा वर्गवार संख्या कितनी है और (३) २ रुपये या कम मूल मज़दूरी पाने वाले कर्मचारियों की संख्या कितनी है ?

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : एक विवरण सदन-पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ९६]

स्वयं सेवक सामाजिक संस्थायें

२७७. **श्री बी० के० दास : क्या शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) स्वयं सेवक सामाजिक संस्थाओं को सहायता देने के लिये योजना में जो ४ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है उस में से विभिन्न वर्षों में खर्चे के लिये कितनी कितनी राशि नियत की गई है;

(ख) योजना काल के पिछले दो वर्षों में कितनी राशि खर्च की गई; तथा

(ग) (१) सामाजिक सेवा के वर्तमान कार्यों, (२) नये कार्यक्रमों के बनाने और (३) अग्रिम परियोजनाओं को क्रियान्वित करने के लिये कितनी कितनी राशियों की व्यवस्था की गई है ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) सामाजिक कल्याण के सम्बन्ध में १९५३–५४ के लिये २५,००,००० रुपये की व्यवस्था की गई है और १९५४–५५ के आय-व्ययक में १,५०,००,००० रुपये का उपबन्ध करने की प्रस्थापना की गई है ।

(ख) कुछ नहीं । सामाजिक कल्याण बोर्ड ने इसी वर्ष से कार्य करना आरम्भ किया है ।

(ग) विभिन्न कार्यों के लिये रुपये के वितरण के प्रश्न पर बोर्ड द्वारा हाल ही में विचार किया गया है और अगले दो वर्षों में उपलब्ध कुल राशि में से वितरण का प्रबन्ध निम्न प्रकार से किया गया है :—

(१) व (२) स्वयं सेवक सामाजिक कल्याण संस्थाओं को, उचित स्तर बनाये रखने और अपने कार्यक्रम का विस्तार करने के लिये, सीधे सहायक अनुदान (गैर सरकारी प्रशिक्षण संस्थाओं को कल्याण कार्य कर्त्ताओं के प्रशिक्षण

के लिये दिये गये अनुदान सहित).... २·४५ करोड़ रुपये ।

(३) कल्याण विस्तार परियोजना में.. १·२५ करोड़ रुपये ।

मनीपुर में डाक विवेचन

२७८. **श्री रिशांग किशिंग :** क्या राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि मनीपुर में पिछले चार या पांच वर्षों से अपराध अन्वेषण विभागों द्वारा आने व जाने वाले पत्रों का अत्यधिक विवेचन किया जा रहा है; तथा

(ख) यदि हां, तो मनीपुर में पत्रों का अब भी विवेचन करने के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा०काटजू): (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

संघ लोक सेवा आयोग

२७९. **श्री के० सी०सोधिया :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि संघ लोक सेवा आयोग ने १९५१–५२ व १९५२–५३ में विज्ञापनों के सम्बन्ध में तथा परीक्षकों को दिये गये पारिश्रमिक के रूप में कितना खर्च किया ?

गृहकार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : संघ लोक सेवा आयोग से सूचना देने के लिये प्रार्थना की गई है जो, प्राप्त होते ही सदन पटल पर रख दी जायेगी ।

सारनाथ की खुदाई

२८०. **श्री गणपति राम :** क्या शिक्षा मंत्री ५ मार्च, १९५३ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या ४१४ के उत्तर की ओर निर्देश करते हुए यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) सारनाथ की खुदाई से प्राप्त वस्तुओं के संरक्षण एवं संधारण पर १९५३-५४ में कितना व्यय हुआ और उस में क्या सुधार किये गये; और

(ख) कलकत्ता स्थित भारतीय संग्रहालय (म्यूजियम) को इन में से कौन सी वस्तुएं भेजी गई हैं ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) २०,५०० रुपये ।

(ख) एक विवरण सदन-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ९७]**

तस्कर व्यापार

२८१. **श्री एल० जोगेश्वर सिंह :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) भारत-बर्मा सीमांत पर लेडो मोर्च और चूराचोंदपुर स्थानों पर १९५३-५४ में चोरी छिपे लाये ले जाये गये माल में क्या क्या वस्तुएं पाई गई हैं;

(ख) कुल कितने मूल्य का सामान चोरी छुपे ले जाया गया; और

(ग) उस का किस प्रकार निबटारा किया गया ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : (क) से (ग). जानकारी एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रखी जायेगी ।

Par. S. 18. III. 33. 54
285

अंक ३ .

संख्या ३३

सोमवार

२९ मार्च, १९५४

1st Lok Sabha

संसदीय वाद विवाद

लोक सभा

छठा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

(अंक ३ में संख्या ३१ से संख्या ४५ तक है)

भाग २--प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही

विषय-सूची

२८ मार्च, १९५४ को भारतीय वायुसेना के प्रदर्शन के समय व्यवस्था [पृष्ठ भाग २२९७--२३०१]

सदन से अनुपस्थिति की अनुमति—सदन की बैठकों से सदस्यों के अनुपस्थित रहने सम्बन्धी समिति की सिफारिशें [पृष्ठ भाग २३०१]

अनुदानों की मांगें—

मांग संख्या १७--शिक्षा मंत्रालय [पृष्ठ भाग २३०१—२३३४]

मांग संख्या १८--पुरातत्व [पृष्ठ भाग २३०१--२३३४]

मांग संख्या १९--अन्य वैज्ञानिक विभाग [पृष्ठ भाग २३०१--२३३४]

मांग संख्या २०--शिक्षा [पृष्ठ भाग २३०१--२३३४]

मांग संख्या २१—शिक्षा मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय [पृष्ठ भाग २३०१--२३३४]

मांग संख्या ४३—खाद्य तथा कृषि मंत्रालय [पृष्ठ भाग २३३४--२४१२]

मांग संख्या ४४--वन [पृष्ठ भाग २३३४—२४१२]

मांग संख्या ४५--कृषि [पृष्ठ भाग २३३४—२४१२]

मांग संख्या ४६—असैनिक पशु चिकित्सा सेवाएं [पृष्ठ भाग २३३४—२४१२]

मांग संख्या ४७—खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय [पृष्ठ भाग २३३४—२४१२]

मांग संख्या १२२—वनों पर पूंजी व्यय [पृष्ठ भाग २३३४—२४१२]

मांग संख्या १२३--खाद्यान्नों का क्रय [पृष्ठ भाग २३३४--२४१२]

मांग संख्या १२४--खाद्य तथा कृषि मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय [पृष्ठ भाग २३३४—२४१२]

संसद सचिवालय, नई दिल्ली।

(मूल्य ६ आने)

165 PSD

लोक सभा

सोमवार २९ मार्च १९५४

सभा दो बजे समवेत हुई ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(देखिये भाग १)

३ म० प०

२८ मार्च १९५४ को भारतीय वायु सेना के प्रदर्शन के समय व्यवस्था

उपाध्यक्ष महोदय : भारतीय वायुसेना के प्रदर्शन के अवसर पर कल "यातायात रुक जाने" और "सुविधाओं के न होने" के सम्बन्ध में मुझे तीन सदस्यों से सूचना मिली है । अन्य सदस्य भी इस पर चर्चा करना चाहते हैं । श्री गोपालन ।

श्री ए० के० गोपालन (कन्नानूर) : नियम २१५ के अधीन मैं निम्न लोक महत्व के विषय की ओर रक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

कल हजारों व्यक्ति तिलपत रेंज पर भारतीय वायु सेना के प्रदर्शन देखने गये थे । इनके लिए सरकार ने पानी पीने तथा सुरक्षा का प्रबंध नहीं किया । उनके स्वास्थ्य का प्रबंध नहीं किया और कई घंटों तक यातायात रुका रहा जिससे लोगों को बड़ी कठिनाई हुई ।

श्री एन० सी० चटर्जी (हुगली) : नियम २१५ के अन्तर्गत कोई चर्चा नहीं हो सकती । अतएव हमें नियम २१२ के अन्तर्गत चर्चा करने दी जाए ।

उपाध्यक्ष महोदय : पहले नियम २१५ के अधीन वक्तव्य समाप्त हो जाने दीजिये ।

श्री बंसल (झज्जर–रिवाड़ी) : श्रीमान्, इस पर बहुत से अल्पसूचना प्रश्नों की भी सूचना दी गई है । किसे पूर्ववर्तिता प्राप्त होगी—इन प्रश्नों को कि प्रस्तावों को ?

उपाध्यक्ष महोदय : अल्प सूचना प्रश्न अभी स्वीकृत नहीं हुये हैं । क्या रक्षा मंत्री कुछ कहना चाहते होंगे ?

प्रधान मंत्री तथा वैदशिक कार्य एवं रक्षा मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : हम सब को मालूम है कि कल यातायात रुक गया था, उसके बारे में थोड़ी बातें सब को मालूम हैं । बहुत से सदस्यों को खुद इसका अनुभव हुआ होगा । मुझे नहीं मालूम कि किस बात पर ये वाद विवाद करना चाहते हैं तथा वैसा करने से क्या लाभ होगा । यह आवश्यक है कि विशेषज्ञ इस बात की जांच करें । वास्तविक कारण तो यह था कि वहां जाने वाली एक दो सड़कों से जितने लोग जा सकते हैं उनकी अपेक्षा अत्यधिक व्यक्ति वहां देखने के लिये गये । इसकी आशा भी नहीं थी । संभव है अनुभव के पश्चात् स्थिति सुधर जाये पर मैं नहीं समझता कि बहुत अनुभव और संगठन के पश्चात् भी स्थिति सुधरेगी ।

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

हां, एक दो और सड़कें बनाने से स्थिति सुधरेगी ।

श्री एस० एस० मोरे (शोलापुर): इतने अधिक लोगों को क्यों आमंत्रित किया गया था ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : आमंत्रित किये गये लोगों के कारण नहीं .....

उपाध्यक्ष महोदय : इस नियम के अधीन वाद विवाद नहीं हो सकता । माननीय सदस्य ने ध्यान आकर्षित कर दिया है । माननीय मंत्री संक्षेप में एक वक्तव्य दे दें और यदि उन के पास तथ्य नहीं है तो बाद में कल परसों वक्तव्य दे दें ।

श्री जवाहरलाल नेहरू : जो बातें मुझे मालूम हुई हैं वे मैं सहर्ष सदन के समक्ष रख दूंगा । मैं ने सूचना केवल १० मिनट पहले देखी थी अतएव इस समय कुछ नहीं कह सकता । दो तीन दिन के बाद मैं वक्तव्य दे दूंगा । कुछ बातें तो बिल्कुल स्पष्ट हैं । बहुत से लोगों को असुविधा हुई है । एअर मार्शल को भी असुविधा हुई और वे वहां समय पर न पहुंच सके । एक माननीय सदस्य ने पूछा कि इतने अधिक व्यक्ति क्यों आमंत्रित किये गये थे । आमंत्रित व्यक्तियों के कारण नहीं अपितु बिना बुलाये गये लोगों के कारण यातायात रुक गया था ।

कुछ माननीय सदस्य : नहीं, नहीं ।

श्री जवाहरलाल नेहरू : अनुमान है कि ३,००० व्यक्ति वहां थे और १,००० व्यक्ति सड़कों पर थे । ये ४००० व्यक्ति आमंत्रित नहीं किये गये थे— कुछ आमंत्रित किये गये थे ।

श्री ए० के० गोपालन : क्या सर्वसाधारण के लिये आमंत्रण नहीं था ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : माननीय सदस्य ठीक कहते हैं कि जनता से आने के लिये कहा गया था तथा जनता बड़ी संख्या में आई । परन्तु वहां जाने के लिये केवल एक सिंगल सड़क तथा एक दो अन्य सड़कें थीं अतएव यातायात रुक गया । संभव है दशा सुधारी जा सकती थी परन्तु इस पर सदन में चर्चा करने से लाभ नहीं है । इस पर विशेषज्ञों को जांच करनी चाहिये ।

श्री एस० एस० मोरे : सारा प्रबन्ध विशेषज्ञों ने ही किया था ।

श्री जवाहरलाल नेहरू : मुझे कोई आपत्ति नहीं यदि सदन इस पर वाद विवाद करना चाहता है । मुझे नहीं मालूम कि इस पर कैसे वाद विवाद हो सकता है ।

उपाध्यक्ष महोदय : नियम के अनुसार वाद विवाद नहीं हो सकता है .....

श्री जवाहरलाल नेहरू : जैसा कि मैंने कहा मैं दो तीन दिन में सदन के समक्ष संग्रहीत तथ्य रख दूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह कहा नहीं जा सकता कि सब व्यक्ति आमंत्रित किये थे कि नहीं । जो असुविधायें हुई हैं उनको ध्यान में रख कर भविष्य में अच्छा प्रबन्ध किया जा सकता है । इस नियम के अधीन वाद विवाद नहीं हो सकता । माननीय मंत्री दो तीन दिन में तथ्य उपस्थित कर सकते हैं । तथा स्पष्टीकरण कर सकते हैं ।

श्री एस० एस० मोरे : हमने प्रार्थना की थी कि इस पर दो घंटे वाद विवाद किया जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : किसी ने प्रार्थना नहीं की ।

श्री एस० एस० मोरे : मेरी समझ में सदन के सब दलों के सदस्य वाद विवाद

चाहते हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि अल्प-सूचना प्रश्न भी लिये जायें ताकि हमें पूरी स्थिति मालम हो।

उपाध्यक्ष महोदय : सब अल्प सूचना प्रश्न तथा प्रस्ताव रक्षा मंत्री के पास भेज दिये जायेंगे जिससे कि मिला जुला एक वक्तव्य दिया जा सके।

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : गृहकार्य मंत्री नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : रक्षा मंत्री का भी इससे सम्बन्ध है।

मुझे श्री गोपालन का प्रस्ताव सब से पहले मिला। अतएव उसे पूर्ववर्तिता प्राप्त होगी। डा० सिन्हा का प्रस्ताव वाद विवाद के लिये था। रक्षा मंत्री द्वारा संग्रहीत तथ्य प्राप्त होने पश्चात् ही मैं इस पर विचार करूंगा।

सदन से अनुपस्थिति की अनुमति—सदन की बैठकों से सदस्यों के अनुपस्थित रहने सम्बन्धी समिति की सिफारिशें

उपाध्यक्ष महोदय : समिति ने अपने पहले प्रतिवेदन में सिफारिश की है कि श्री बीरेन दत्त, डा० एम० बी० गंगाधर शिवा, श्री सादत अली खां और श्री ए० वी० टामस को प्रतिवेदन में दी गई अवधि के लिये अनुपस्थित रहने की अनुमति दी जाये।

तदनुसार सदस्यों को इस प्रकार की सूचना भेजी जा रही है।

अनुदानों की मांगें—(जारी)

मांग संख्या १७—शिक्षा मंत्रालय

मांग संख्या १८—पुरातत्व

मांग संख्या १९—अन्य वैज्ञानिक विभाग

मांग संख्या २०—शिक्षा

मांग संख्या २१—शिक्षा मंत्रालय के अधीन विविध विभाग, तथा व्यय

उपाध्यक्ष महोदय : अब सदन शिक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा जारी करेगा। मौलाना आज़ाद।

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेशण मंत्री (मौलाना आज़ाद) : जनाब, परसों बहस मेरे दोस्त आचार्य कृपलानी ने शुरू की थी। उन्होंने अपनी तकरीर में इस बात पर जोर दिया कि तालीम का जो सिस्टम इस वक्त मुल्क में जारी है वह नीचे से ले कर ऊपर तक दुरुस्त नहीं है और इसमें रिफार्म्स होने चाहियें। जिस वक्त उन्होंने यह बहस शुरू की तो मुझे खयाल हुआ कि गालिबन् वह यह चाहते हैं कि एजूकेशन मिनिस्ट्री ने इधर रिफार्म का जो कदम उठाया है और अभी जनवरी में सेंट्रल एडवाइज़री बोर्ड आफ एजूकेशन ने जो कार्यवाइयां की हैं उस पर बहस करें और इस बारे में कुछ अपनी तजवीज़ें पेश करें। लेकिन मुझको यह देख कर ताज्जुब हुआ कि उन्होंने यह कहा कि हमने एक कमीशन बिठाया था यूनिवर्सिटी एजूकेशन के लिये, फिर एक कमीशन बिठाया गया सैकन्डरी एजूकेशन के लिये और अब शायद चन्द दिनों के बाद एक कमीशन बिठाया जायेगा प्रायमरी एजूकेशन के लिये, इससे मालूम हुआ कि गवर्नमेंट जिस ढंग पर एजूकेशन का काम कर रही है उसका उन्हें कोई आइडिया नहीं है। शायद उन्हें मौका नहीं मिलता कि वह इन चीज़ों को पढ़ें, वरना उनका कहना कि अब एक कमीशन न बिठाया जायेगा इब्तदाई तालीम पर गौर करने के लिये कितना बेमानी है। क्योंकि जहां तक इब्तदाई तालीम का ताल्लुक है, आज नहीं, आज से पांच वर्ष पहले गवर्नमेंट यह फैसला कर चुकी है कि वह बेसिक पैटर्न की होगी।

[मौलाना आज़ाद

तमाम स्टेट गवर्नमेंटों ने यह चीज़ मंजूर कर ली है और इसी पर अमल कर रही है। अब जो सवाल था वह यूनिवर्सिटी एजूकेशन और सैकन्डरी एजूकेशन का था। यूनिवर्सिटी एजूकेशन से भी ज्यादा अहम सवाल था सैकन्डरी एजूकेशन का। क्योंकि हकीकतन् अगली खराबी जो हमारे मौजूदा सिस्टम में है वह हमको वहीं ढूंढनी चाहिये। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यह सिस्टम इसलिये जारी किया था कि मुल्क के अवाम को तालीम दी जाय बल्कि इसलिये जारी किया था कि उनको खास तरह के अंग्रेजी जानने वालों की अपने दफ्तर का कारोबार चलाने के लिये ज़रूरत थी इसलिये उन्होंने यूनिवर्सिटियां कायम कीं। यूनिवर्सिटी की तालीम कायम नहीं रह सकती थी जब तक कि सैकन्डरी एजूकेशन भी न हो और आपकी एजूकेशन न हो। इसलिये सैकन्डरी एजूकेशन की तालीम कायम की गई। लेकिन वह सिर्फ इसीलिये कायम की गई थी कि यूनिवर्सिटी में जाने का एक ज़रिया है "मीन्स" है। यह नहीं सोचा गया कि मुल्क के लाखों करोड़ों बाशिन्दे जो यूनिवर्सिटी तालीम तक नहीं जा सकते उन के लिये सकन्डरी एजूकेशन महज़ तालीम में एक "मीन्स" की जगह नहीं रखेगी बल्कि "एंड" होगी और इसलिये सैकन्डरी एजूकेशन का ढंग ऐसा होना चाहिये और इसमें ऐसा ऐलीमेंट होना चाहिये कि जो सौ में ९० आदमियों के लिये तालीम में "एण्ड" का काम दे मास "मीन्स" का काम न दे। नतीजा इसका यह हुआ कि हमारी तालीम का पूरा सिस्टम गलत हो गया। बहरहाल सब से ज्यादा ज़रूरी चीज़ यह थी कि सैकन्डरी एजूकेशन के मुताल्लिक एनक्वायरी की जाय और उसके बाद सैकन्डरी एजूकेशन को नये सिरे से आरगेनाइज़ किया जाय। चुनांचे कमीशन कायम किया गया। नौ महीने के अन्दर उसने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी। अब वह रिपोर्ट सेंट्रल एडवाइज़री बोर्ड के सामने आई। सेंट्रल एडवाइज़री बोर्ड ने नवम्बर में एक कमेटी क़ायम की कि वह उस रिपोर्ट पर गौर करे और गौर करने के बाद जनवरी में बोर्ड के जलसे के सामने अपनी सिफारिशें रखे। चुनांचे जनवरी में बोर्ड का फिर जलसा हुआ। उसके सामने वह सिफारिशें आईं। बोर्ड ने उनको मंजूर किया और मंजूर करने के बाद अपना प्रोग्राम बनाया। यह कह देना कि जहां तक एजूकेशन के रिफार्म्स का ताल्लुक है कुछ नहीं हो रहा यह बिल्कुल गलत और बेमानी है और यह भी एक आजकल फैशन हो गया है कि जो शख्स खड़ा होता है, निहायत ही सस्ती सी बात सामने रख लेता है कि एजूकेशन का सिस्टम ठीक नहीं है, रिफार्म्स होने चाहियें। लेकिन बातों के तोता मैना बनाने से तो कुछ होता नहीं। गौर करना चाहिये कि रिफार्म हो तो किस तरीके से हो। एजूकेशन मिनिस्ट्री ने इस पर गौर किया और यह दावे से कहा जा सकता है कि जो प्रोग्राम उसने इस वक्त रिफार्म का अपने सामने रखा है वह ही सही प्रोग्राम है और हमें स्टेट गवर्नमेंटों ने पूरी तरह से कोआपरेशन दिया तो हम थोड़े अरसे के अन्दर सैकन्डरी एजूकेशन को रिआरगेनाइज़ करेंगे और उसके बाद जहां तक यूनिवर्सिटी एजूकेशन का ताल्लुक है उसके लिये भी ज़रूरत थी कि कोई न कोई एजेंसी ऐसी कायम हो कि जिसके ज़रिये से ज़रूरी रिफार्म्स प्रेक्टिस में लाय जायें। चुनांचे आपको मालूम है कि यूनिवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन कायम किया जा चुका है वह काम शुरू कर दिया गया है और उम्मीद है कि जहां तक यूनिवर्सिटी एजूकेशन का ताल्लुक है अब निहायत तेजी के साथ उस तरफ कदम उठेगा।

उसके बाद श्री पुरुषोत्तम दास ने तकरीर की । चूंकि एजूकेशन रिफार्म्स का तज़करा शुरू हो गया था, इसलिये उन्होंने भी कुछ अल्फाज़ इस बारे में कहे । लेकिन दरअस्ल उनका असली मकसद वह नहीं था । इसलिये मैं भी इस पर ज्यादा तवज्जह नहीं करता । मैं भी उनसे कहूंगा कि जहां तक एजूकेशन रिफार्म्स का ताल्लुक है आप अपने दमाग को तकलीफ न दीजिये । इसे दूसरों के लिये छोड़ दीजिये .....

श्री टंडन (ज़िला इलाहाबाद पश्चिम) : मगर दूसरे बहुत गलत सोच रहे हैं छोड़ कैसे दूं ।

मौलाना आज़ाद : उसे अभी दूसरों पर छोड़ दीजिये । दूसरे मौजूद हैं जो गलती पकड़ेंगे । इसके लिये आप नहीं हैं ।

श्री अलगू राय शास्त्री (ज़िला आजमगढ़—पूर्व व ज़िला बलिया—पश्चिम) : यह आपका गलत खयाल है ।

मौलाना आज़ाद : बहरहाल वह हिन्दी के मसले पर और दरअसल उसी के लिये तैयार हो कर आये थे । हिन्दी के मुताल्लिक मैं तसलीम करता हूं कि यह एक अहम मुआमला है । कान्स्टीट्यूशन में इसका भरोसा दिलाया गया है कि पन्द्रह साल के बाद अंग्रेज़ी हटेगी और उसकी जगह हिन्दी ज़बान देवनागरी स्क्रिप्ट में आयेगी । इसलिये हमारा फर्ज है कि हम इस पर गौर करें । मैं निहायत खुश होता अगर श्री टंडन हमें बतलाते कि एजूकेशन मिनिस्ट्री ने जो प्रोग्राम अपने सामने रखा है और कामों का जो एक नक्शा बनाया है उसके मुताल्लिक उनकी क्या तजवीज़ें हैं । वह अपनी कुछ तजवीज़ें पेश करते । लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जिस तरीके से उन्होंने इस बहस को शरू किया, शुरू होते ही यह चीज़ बिल्कुल वाजह हो गई कि उनके सामने यह नहीं है कि वह कोई कंस्ट्रक्टिव तजवीज़ पेश करें । पहले उन्होंने एजूकेशन मिनिस्ट्री के खिलाफ अपने दिमाग में एक मुखालिफाना नक्शा बनाया और नक्शा बनाने के बाद अब वह अपना एक केस बनाना चाहते हैं और उसका मैटीरियल ज़मा करना चाहते हैं ख्वाह वह सही हो या गलत हो । चुनांचे मैं अभी आपको बतलाऊंगा कि उन्होंने क्या नक्शा बनाया ? नक्शा यह बनाया कि एजूकेशन मिनिस्टर के मुताल्लिक हमें मालूम है कि कांस्टीट्यूएंट एसेम्बली में जब बहश शुरू हुई थी तो वह हिन्दुस्तानी के हक में थे । चुनांचे अब भी एजूकेशन मिनिस्टर जो कुछ काम कर रहे हैं जो कुछ मदद दे रहे हैं वह हिन्दी के लिये नहीं दे रहे हैं बल्कि हिन्दुस्तानी के लिये दे रहे हैं । यह उन्होंने केस बनाया .....

श्री टंडन : मौलाना मुझे माफ करें अगर मैं उनसे कहूं कि जिस नाप तौल के साथ मैं ने कहा था, आप भी ज़रा उसी नाप तौल से बात कीजिये । मैं ने यह नहीं कहा कि हिन्दी नहीं चाहते । मैं ने तो कुछ सैंस आफ प्रपोर्शन को सामने रख कर कहा था कि उधर ज्यादा झुकाव है । एक महज गुस्से में अपनी तौल न छोड़ दीजिये । तौल रखिये और तौल कर बात कीजिये ।

मौलाना आज़ाद : मेरे गुस्से की फिक्र मत कीजिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं दोनों माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे मुझे सम्बोधन करें, एक दूसरे को नहीं ।

मौलाना आज़ाद : टंडन जी ने अभी यह कहा कि मैंने यह नहीं कहा । मेरा मकसद यह नहीं था कि एजूकेशन मिनिस्ट्री हिन्दी के लिये कुछ नहीं करती । हिन्दुस्तानी के

[मौलाना आज़ाद]

लिये करती है। बल्कि मेरा मकसद यह था कि एजूकेशन मिनिस्ट्री का ज्यादा झुकाव हिन्दुस्तानी की तरफ है। ठीक है। लेकिन मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि यह अज़ सर तापा गलत है। इस के लिये उन्होंने दलील क्या पेश की। आप यह बात देखें कि कहां तक दयानतदारी के साथ उन्होंने अपना नक्शा बनाया। दलील में उन्होंने पहली चीज़ यह पेश की कि एजूकेशन मिनिस्ट्री वरधा की हिन्दुस्तानी प्रचार सभा को मदद दे रही है। अब यह जाहिर है कि हिन्दुस्तानी प्रचार सभा के नाम में हिन्दी का लफ्ज़ नहीं है। हिन्दुस्तानी का लफ्ज़ है। इसको एजूकेशन मिनिस्ट्री मदद दे रही है। तो सुनने वालों के दिमाग पर यही असर पड़ेगा कि वाकई एजूकेशन मिनिस्ट्री का झुकाव हिन्दुस्तानी की तरफ है। क्योंकि वह हिन्दुस्तानी प्रचार सभा वरधा को मदद दे रही है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि इस के अन्दर एक पुरफरेब तखैयुल है। वाकया क्या है मैं आपको बतलाता हूं।

श्री टंडन : डिप्टी स्पीकर साहब, मुझे ऐतराज़ है इस लफ्ज़ पर। पुरफरेब के क्या मानी ? मैं कहता हूं मौलाना साहब से कि मिनिस्टर होने से वह मुझसे ज्यादा ईमानदार नहीं हो गये। इस बात का उनको मुझसे सबक सीखना पड़ेगा। डिप्टी स्पीकर साहब, शिक्षा मंत्री को मुझसे सबक लेना पड़ेगा कि शब्द कैसे बोलना चाहिये। पुरफरेब का लफ्ज़ मेरे लिये इस्तेमाल करते हैं। गलत है। पुरफरेब वह बोल रहे हैं इन दोनों चीज़ों को साथ रख कर मैंने कहा था कि वह हिन्दी की संस्था है, हिन्दी की प्रतिनिधि संस्था है, उसे एक पैसा नहीं देते और हिन्दुस्तानी सभा को इतने रुपये ? आप एक ही लें। आप लिस्ट पढ़ दीजिये। मैंने पढ़ा था। यह तकरीर पुरफरेब है कि एक लफ्ज़ को चुन लिया जाय और उसके ऊपर यह दावा किया जाय और कुल तकरीर का जो रौ है उसको छोड़ दिया जाय। आप पूरी फेहरिस्त पढ़ें। मैंने पूरी फेहरिस्त पढ़ कर कहा था कि यह मेरा यकीन है।

श्री एस० एस० मोरे : इस शब्द का क्या अर्थ है ? हम समझ नहीं सकते।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को शिकायत क्या है ?

मौलाना आज़ाद : बहस में यह फरेब का लफ्ज कहना हरगिज पार्लियामेंट की जबान के खिलाफ नहीं है। पुरफरेब के मानी यह हैं कि बहस में एक शख्स कह सकता है कि दूसरे आनरेबिल मेम्बर ने एक चीज़ को जिस रूप में पुट किया है और पेश किया है वह साफ नहीं है। पुरफरेब है। पुरफरेब के मानी यह हैं कि जरा सफाई नहीं है। और इसलिये मैं यह नहीं मानता कि इस लफ्ज़ का कहना पार्लियामेंटरी ज़बान के खिलाफ है बहरहाल मुझको इस लफ्ज़ पर इसरार नहीं है। मुझ यह कहना है कि जिस शक्ल में इसको उन्होंने पेश किया मैं उसको कुछ सही शक्ल नहीं समझता। मैं बतलाना चाहता हूं कि हिन्दुस्तानी प्रचार सभा वरधा .....

उपाध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों से अपील करता हूं कि वे अन्तर्बाधा न करें। यदि कोई शब्द असंसदीय हो मुझे बतलायें यदि ऐसी कोई बात नहीं है तो मैं माननीय मंत्री से भाषण जारी रखने के लिये कहूंगा।

श्री एस० एस० मोरे : हमारी कठिनाई यह है कि हम वह शब्द नहीं समझ सकते (अन्तर्बाधा)।

श्री टंडन : प्रधान मंत्री जी से उसका अर्थ पूछ लीजिये ।

श्री वी० जी० देशपांडे (गुना) : न तो सभापति न हम इस शब्द को समझ पाये हैं । उसका यथार्थ मतलब जाने बिना विनिर्णय न दिया जाना चाहिये । माननीय मंत्री उर्दू में बोल रहे हैं यद्यपि हिन्दी राष्ट्र भाषा है । यह आवश्यक है कि सभापति और हम उस शब्द का अर्थ जानें ।

श्री अलगूराय शास्त्री : मौलाना ने अपनी तकरीर में दो फ़ेजेज़ इस्तेमाल किये । पहले तो यह कहा कि कहां तक दयानतदारी का नक्शा सामने बनाया । दूसरा यह कहा कि पुरफरेब तखैयुल । दोनों लफ्ज़ों के माने हैं "वान्ट आफ आनेस्टी" और "फ़ाडुलैंट" अंग्रेज़ी में । मौलाना साहब ने माननीय पुरुषोत्तम दास टंडन के ऊपर आनेस्टी आफ पर्पज़ के न होने और फ़ाडुलैंट चीज़ के कहने का चार्ज लगाया है । इससे खराब बात और क्या हो सकती है । यह नहीं होना चाहिये । यह गलत माने कनवे करता है और अन-फार्चुनेट है । इसे वापिस लिया जाय ।

मौलाना आज़ाद : मैं समझता हूं कि हर मेम्बर को यह हक हासिल है कि वह इस बहस के मुताल्लिक यह कहे कि यह बहस इस शक्ल में की गई है, या सही तरीके पर कोई चीज़ नहीं पेश की गई है । यह भी वह कह सकता है कि दयानतदारी के साथ नहीं पेश की गई है । इसका जवाब देना चाहिये कि दयानतदारी के साथ पेश की गई है ।

श्री अलगूराय शास्त्री : उपाध्यक्ष महोदय, अगर इतन बड़े और सीनियर मेम्बर यहां पर इन वाक्यों का प्रयोग करेंगे और ऐसे एक्स्प्रशन्स का प्रयोग करेंगे तो उसी की नकल को साधारण सदस्य भी कर सकते हैं और यहां सिवा झगड़े और गाली गलौज़ के सच्ची बहस और भलमनसाहत की बहस नहीं हो सकेगी ।

श्री टंडन : मैं ने एक लफ्ज़ भी मौलाना की शान के खिलाफ इस्तेमाल न करने का बराबर प्रयत्न किया । मैंने जो कुछ कहा था या दलील दे कर कहा था ।

मौलाना आज़ाद : बहरहाल मुझे किसी खास लफ्ज़ पर इसरार नहीं है । अगर यह अल्फाज़ इस्तेमाल न करने चाहियें तो मैं इस पर ऐतराज़ नहीं करता ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव) : क्या मैं कुछ शब्द कहूं ?

मौलाना आज़ाद : मैं यह कहना चाहता हूं....

पंडित ठाकुर दास भार्गव : इसका मतलब "बेइमानी से" तथा "धोखा देने के लिये" है ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री का आशय टंडन जी के प्रति अपशब्द कहने का नहीं । यदि शब्द खराब थे तो मंत्री जी ने उन्हें वापिस ले लिया है ।

मौलाना आज़ाद : हां, अब मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि .....

श्री सी० के० नायर (दिल्ली–बाह्य) : इसका अर्थ केवल "भ्रामक" होता है ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री अपना भाषण जारी रखें ।

मौलाना आज़ाद : बहरहाल आप गौर कीजिये कि हिन्दुस्तानी प्रचार सभा जो है उसका मुआमला किस तरह मिनिस्ट्री के सामने आया । यह सभा दरअसल गांधी जी ने बनाई थी । जैसा कल श्री टंडन जी ने बयान किया कि जब गांधी जी का हिन्दी

[मौलाना आज़ाद]

साहित्य सम्मेलन से इख्तिलाफ हुआ तो आप उससे अलग हो गये। और उन्होंने एक सभा बनाई। डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद उसके चेयरमैन हुये। काका साहब कालेलकर और बहुत से दूसरे लोग उसके मेम्बर हुये। तकरीबन गांधी जी की जिन्दगी में ही जितने आदमी गांधी जी की तरफ देखने वाले थे उनकी बड़ी तादाद इसकी मैम्बर थी। जब गांधी जी का इन्तकाल हो गया तो डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद ने इसकी मीटिंग बुलाई। एक यह सवाल पैदा हुआ कि इसको कायम रखा जाय, यह काम न रोका जाय। यही राय डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद की थी और दूसरे मैम्बरों की भी कि यह गांधी जी की यादगार है। इसको कायम रखा जाय। चनांचे इसको कायम रखा गया। फिर इसके बाद इसका एक जलसा हुआ। उसमें यह सवाल उठा कि इसकी आमदनी का ज़रिया जो था वह बाकी नहीं रहा। अगर इसको कायम रखना है तो इसको मदद मिलनी चाहिये। चुनांचे डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद ने इस चीज़ पर गवर्नमेंट की तवज्जह दिलाई। मैंने पूछा कि हमें मालूम हो कि क्या स्कीम है और कितने रुपयों की ज़रूरत है। तो एक स्कीम बना कर पेश की गई थी जिसके लिये बहुत ज्यादा रुपये की ज़रूरत थी। कहा गया कि देहली में इसका आफिस लाया जाय। इसके साथ एक प्रेस हो। जिसके मानी थे कि कई लाख रुपये की नान रिकरिंग और तकरीबन एक लाख रुपये की रिकरिंग मदद की जाय। एजूकेशन मिनिस्ट्री ने इससे इनकार किया। लेकिन इससे उसने इत्तिफाक किया कि इसको कायम रखने के लिये जो ज़रूरी रकम हो, गवर्नमेंट आफ इंडिया उसको देने के लिये तैयार हो जायेगी। चुनांचे एक रकम मंजूर की गई। यह बात भी आप याद रखिये कि अगर इसका नाम अभी तक हिन्दुस्तानी प्रचार सभा है, लेकिन, प्रैक्टिकली काम वह जो कुछ कर रही है, हिन्दी के लिये कर रही है। चनांचे वह रकम मंजूर की गई। अब मैं पूछता हूं अपने दोस्त से कि वह डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद की निसबत क्या समझते हैं। वह हिन्दी के विरोधी हैं या हामी। वह हैं इसके चेयरमैन और जो इसके और मैम्बर हैं वह क्या हैं।

डा० एस० एन० सिन्हा (सारन पूर्व) : श्रीमान्, औचित्य प्रश्न है। क्या प्रैसीडेंट का नाम यहां लिया जा सकता है? और उनकी की हुई कार्यवाही के बारे में कोई चर्चा की जा सकती है? मैं समझता हूं कि नहीं।

डा० राम सुभग सिंह : उस दिन भी कहा गया था, और कहने से रोक भी दिया गया था।

मौलाना आज़ाद : जिस दिन यह सवाल उठा था उस दिन वह प्रेसीडेंट नहीं थे। इसके चेयरमैन ही थे। वह अब भी चेयरमैन हैं। लेकिन जिस वक्त वह मुआमला आया था उस वक्त प्रेसीडेंट नहीं थे। इसलिये मैंने पिछली बातों को बयान कर दिया है। यह फैक्ट्स हैं। इनको बयान न करने का सवाल ही पैदा नहीं होता।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या अनुदान उस समय दिया गया था जब डा० राजेन्द्रप्रसाद राष्ट्रपति नहीं थे।

मौलाना आज़ाद : हां। जब रिकमेंडेशन पेश की उस वक्त वह प्रसीडेंट नहीं थे।

श्री जवाहरलाल नेहरू : जब रिकमेंडेशन की उस वक्त वह प्रेसीडेंट नहीं थे।

श्री टंडन : मैं ने तो उस समय दी गई राशि की बात उठाई थी जब वे राष्ट्रपति थे।

कल शिक्षा मंत्री ने कहा था कि राष्ट्रपति की सिपारिश पर राशि बजट में नियत की गई थी।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं औचित्य प्रश्न समझ गया हूं। निश्चय करने में सदन राष्ट्रपति के नाम से प्रभावित नहीं हो सकता। डा० राजेन्द्रप्रसाद ने उस समय सिफारिश की थी जब वे राष्ट्रपति नहीं थे। उस समय वे महत्वपूर्ण व्यक्ति थे आज वे राष्ट्रपति हैं। इसका अधिक प्रभाव नहीं पड़ सकता। माननीय मंत्री डा० राजेन्द्रप्रसाद की ओर निर्देश करें।

मौलाना आजाद : कल भी जब मैंने कहा था तो मैंने प्रेसीडेंट का नाम नहीं लिया था। मैंने कहा था डाक्टर राजेन्द्रप्रसाद। बहरहाल जिस चीज पर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं वह यह है कि जहां तक हिन्दी प्रचार सभा का ताल्लुक है जो मदद उस को दी गयी उससे यह नतीजा निकाल लेना कि एजूकेशन मिनिस्ट्री का झुकाव हिन्दुस्तानी की तरफ है। हिन्दी की तरफ नहीं है, सही नहीं है। क्योंकि यह एक ऐसी बाडी है जो खास हालात में कायम की गयी थी, समझा गया था कि यह गांधी जी की यादगार है। उन्होंने मरने से पहले यह कहा था कि मैं इसको हमेशा कायम रखूंगा चाहे मैं तनहा ही रह जाऊं। इसलिये यह मुनासिब समझा गया कि इसको खत्म न किया जाय। और जो वह काम करती है हिन्दी के लिये करती है। हिन्दुस्तानी का सवाल नहीं है। तो मैं यह तवज्जह दिलाना चाहता था कि जो मेरे दोस्त ने यह जोर दिया और यह नतीजा निकालना चाहा कि एजूकेशन मिनिस्ट्री का झुकाव हिन्दुस्तानी की तरफ है यह सही नहीं है।

सेठ गोविन्द दास (मंडला—जबलपुर—दक्षिण) : हिन्दुस्तानी कल्चर सोसायटी तो उससे अलग है। उसको भी तो मदद दी गयी है।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों ने उस दिन जो कहा था उसे माननीय मंत्री ने पूरी तरह से सुना है। आप स्पष्टीकरण कर रहे हैं। उन्हें शंका नहीं होनी चाहिए।

श्री ए० पी० सिन्हा (मुज्जफरपुर पूर्व) : हमने टंडन जी और सेठ गोविन्द दास जी के भाषण शान्त होकर सुने वे हमें माननीय मंत्री का भाषण क्यों नहीं सुनने देते। श्रीमान् आपको चाहिए कि आप यह व्यवस्था करें जिससे कि शांति से भाषण सुनने को मिले।

मौलाना आजाद : उसके बाद फिर टंडन जी ने एक दूसरे आइटम का जिक्र किया और उस पर बहुत जोर दिया। वह यह कि शिबली एकेडेमी को इस वर्ष ६०,००० रुपया की नान-रिकरिंग ग्रांट दी गयी है। यह एकेडेमी कोई ३०–४० बरस से कायम है। यह सही है कि इसने जितनी किताबें शाया की हैं उर्दू जबान में की हैं और इसकी किताबों को गांधीजी ने पसन्द किया था, इसकी सरपरस्ती की थी और कई आर्टिकल इस के मुताल्लिक लिखे थे। बहरहाल इसने उर्दू जबान में एक मुफीद और कीमती काम किया है। चूंकि शिबली ऐकेडमी में जो लोग काम करते हैं वह कांग्रेस मूवमेंट में शरीक थे, तो कांग्रेस के लोगों से भी उनकी मुलाकात और मिलना जुलना है। कुछ आठ महीने हुए कि वह बतौर एक डेप्यूटेशन के पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास आये और उन्होंने अपनी ऐकेडमी की हालत बयान की और यह कहा कि पार्टीशन के पहले उनकी ज्यादातर किताबें पंजाब और सिन्ध में जाती थीं। अब वह बन्द हो गयी हैं और रुपये की कीमत की वजह से भी बड़ा उलझाव पैदा हो गया है। और अब हालत यह हो गयी है कि अगर उसको कोई फौरी मदद नहीं मिलती है तो उसको बन्द करने पर मजबूर हो

[मौलाना आज़ाद]

जायेंगे । उन्होंने फौरी मदद मांगी । यह नहीं कहा कि हम को रिकरिंग ग्रान्ट दी जाये और हर बरस मदद दी जाय । उन्होंने कहा कि हमारे शुमार और फ़िगर्ज़ ऐसे हैं कि अगर हम को ६०,००० की मदद मिल जाय तो हम एडजस्ट कर लेंगे और यह सोसायटी कायम रह जायगी । प्राइम मिनिस्टर ने एक चिट्ठी फाइनेंस मिनिस्ट्री को लिखी और एक चिट्ठी एजूकेशन मिनिस्ट्री को लिखी और यह ख्याल जाहिर किया कि यह सोसायटी कायम रहे और इसी तरह काम करती रहे । यह अच्छी बात नहीं होगी कि इस थोड़ी सी रकम की वजह से यह मजबूर हो कर बन्द हो जाये । इसलिये इस पर गौर करना चाहिये । मिनिस्ट्री ने भी उस वक्त यह ख्याल किया कि यह चीज बेहतर है । अगर यह थोड़ी सी रकम इसको न दी गयी तो यह सोसाइटी बन्द हो जायेगी और पाकिस्तान भी इसका प्रोपैगैंडा करेगा कि पार्टीशन के बाद अब हिन्दुस्तान की ऐसी हालत हो गयी है कि वहां कोई इस तरह की सोसाइटी जिन्दा नहीं रह सकती । तो मैंने भी इस से इत्तफाक़ किया कि ६०,००० की एक नान रिकरिंग ग्रांट ही लम्प सम में इस को दी जाय ।

अब मैं इस तरफ आपकी तवज्जह दिलाना चाहता हूं । और चाहता हूं कि आप इस मुआमले पर ठंडे दिल से गौर करें क्योंकि इस मुआमले का हमेशा के लिये फैसला होना चाहिये कि इस तरह की बातों में हमारा दिमाग किस तरफ जाता है । हालत यह है कि सैंट्रल गवर्नमेंट करीब साढ़े चौदह करोड़ रुपया हर साल खर्च करती है। तो इस रकम में से जो कि एजूकेशन मिनिस्ट्री खर्च करती है अगर एक मरतबा ६०,००० रुपये की रकम उर्दू की एक सोसाइटी को दे दी गयी तो क्या यह कोई ऐसी चीज़ है कि इस पर इस दरजा शिकायत की जाय और इसकी इतनी मुखालिफत की जाय । गौर करें कि हमारा दिमाग कितना तंग है कि इस मुल्क की एक दूसरी जबान को अगर ६०,००० रुपया दिया गया तो हम इसको बरदाश्त नहीं कर सकते और इसकी हम शिकायत करते हैं ।

उर्दू जबान किसी एक मजहबी ग्रुप की जबान नहीं है । जो लोग इसको बोलते हैं उनमें हिन्दू भी हैं, मुसलमान भी हैं, ईसाई भी हैं । लेकिन मैं इसमें नहीं जाना चाहता । मान लीजिये कि सिर्फ मुसलमान ही उर्दू बोलते हैं, गो कि यह सही नहीं है । फिर भी आखिर साढ़े चार करोड़ मुसलमान हिन्दुस्तान में बसते हैं । अगर ऐसी सोसाइटी को जो उर्दू जबान की एक कीमती खिदमत अंजाम दे रही है एक मरतबा ६०,००० रुपया देते हैं तो यह कौन सी ऐसी चीज है जिसको इस कदर महसूस किया जाय और यह शिकायत की जाय कि यह इस्लामिक कल्चर की तरक्की के लिये किया जा रहा है । यह जो उन्होंने इसकी शिकायत की तो क्या इस वजह से कि उनको हिन्दी की मुहब्बत है नहीं । हिन्दी से किसको इख्तिलाफ है । हिन्दी की मुहब्बत में और हिन्दी को तरक्की देने में तो सब एक राय हैं । तो वह इसलिये यह नहीं कहते कि उनको हिन्दी की मुहब्बत है, बल्कि इसलिये कि वह नहीं देखना चाहते कि दूसरी कोई जबान आगे बढ़े । यह जज़बा काम कर रहा है अगर आप चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा अपना कद ऊंचा कर लीजिये, लेकिन आप यह क्यों चाहते हैं कि दूसरा ठिगना हो जाय । अपने कद को ऊंचा करने का यह तरीका नहीं है कि दूसरों को ठिगना बनाया जाय । जहां तक हिन्दी का ताल्लुक है मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि कोई एक आदमी भी ऐसा नार्थ इंडिया में नहीं है जो कि हिन्दी की तरक्की न चाहता हो या हिन्दी का मुखालिफ हो । जहां तक नार्थ इंडिया का ताल्लुक है जो लोग खुद

हिन्दी नहीं जानते वह भी अपने बच्चों को हिन्दी पढ़ाते हैं। अगर हिन्दी की तरक्की के रास्ते में कोई रुकावट है तो मैं आप से कहूंगा कि वह इस तरह के दिमागों की रुकावट है।

अभी सन् १९४९ की बात है कि मदरास में एक सोसाइटी तामिल जबान की एन्साई-क्लोपीडिया बना रही थी। उसने गवर्नमेंट आफ इंडिया से मदद के लिये दरख्वास्त की। गवर्नमेंट आफ इंडिया ने ख्याल किया कि यह एक मुफीद और अच्छा काम है और ८०,००० रुपया उसके लिये मंजूर किया। मुझे याद है कि उस वक्त क्या शोर मचा था और क्या क्या कहा गया। अब यह चीज कि हमने तामिल जबान की एन्साईक्लोपीडिया के लिये ८०,००० रुपया दिया यह कोई ऐसी चीज नहीं थी कि जिस पर किसी को परेशानी हो जाती। लेकिन उसके अन्दर भी यही जज़बा था, हिन्दी की मुहब्बत नहीं बल्कि यह कि दूसरी जबानों को क्यों आगे बढ़ने का मौका दिया जाता है। चाहते हैं कि वह बाकी न रहे इसके मानी यह हैं कि आप हिन्दी की तरक्की नहीं चाहते। दूसरी जबानों की गिरावट चाहते हैं। यह जज़बा गलत है वाक़या यह है कि इस जज़बे की वजह से हिन्दी इस तेज़ी से तरक्की नहीं कर रही है जिस तेज़ी से उसको तरक्की करनी चाहिये। जो मुखालिफत आज साउथ में हो रही है उसकी तह में क्या चीज़ है। हमें देखना चाहिये कि हम हिन्दुस्तान की किसी भी जबान की मुखालिफत न करें। हम हर जबान को फलते फूलते देखना चाहते हैं। लेकिन हां इसके साथ साथ हमको यह ख्याल है कि हिन्दी हिन्दुस्तान की कौमी जबान है और हमारा फर्ज़ है और हर हिन्दुस्तानी का फर्ज़ है कि वह इस पर कायम रहे और वफादारी के साथ हिन्दी को ऊंचा करने की कोशिश करे। लेकिन यहां इस तरह की एटीट्यूड इख्तियार की जाती है कि जिस तरह की कल मेरे दोस्त ने इख्तियार की कि अगर किसी सोसाइटी को ६०,००० की रकम दी गयी तो उन्होंने इस बात पर खास तौर पर जोर दिया कि यह सब इस्लामिक कल्चर के लिये किया जा रहा है। यह बिल्कुल गलत है। इसमें इस्लामी कल्चर का कोई सवाल नहीं है। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि आप मुझ से यह तवक्को न रखें कि मैं लीपपोत की और लिपटी बातें करूं। लीपपोत की बातें वह करता है कि जिसके अन्दर ग़रज़ होती है, मुझ से यह भी खुश रहे वह भी खुश रहे मेरी मिनिस्ट्री न चली जाय। मेरे नज़दीक कोई ग़रज़ नहीं है। मुझे कोई गरज़ नहीं है। मैंने आज से ४० बरस पहले जब इन चारों तरफ बैठने वाले लोगों का पता भी नहीं था, मैंने ४० साल पहले अपनी जिन्दगी का प्रोग्राम मुल्क की खिदमत का बनाया था। यह मैं बात कह रहा हूं सन् १९०७ की, जब मेरी उम्र अठारह उन्नीस बरस से ज्यादा न थी और जब मैं बंगाल की रैवोल्यूशनरी पार्टी में शरीक हुआ था। उस वक्त से लेकर आज तक मेरी जिन्दगी एक खुली हुई किताब है जो दुनिया के सामने है। कोई ख्वाहिश अब मेरे अन्दर नहीं है। जिन्दगी का बड़ा हिस्सा खत्म हो गया। जो थोड़ा बाकी है वह न मालूम कब खत्म हो जायेगा। क्या चीज़ है कि जिससे मुझे गरज़ हो। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि जब एक शख्स ने ग़रज अपने अन्दर से निकाल दी तो वह बेपनाह हो जाता है। 'बेपनाह' आप समझे? बेपनाह का मतलब यह है कि ऐसे आदमी को कोई तलवार काट नहीं सकती। क्योंकि हथियार की काट जो चलती है वह इस जिस्म पर चलती है। उस बाडी पर चलती है कि जिसके अन्दर गरज़ हो, गरज़ की कमजोरी पर। अगर गरज़ नहीं है तो कोई इसको नहीं काट सकता। कोई भी इसको नहीं काट सकता। बल्कि मैं आप से साफ साफ कहूंगा कि हिन्दुस्तान पर, मुल्क पर जो मुसीबत

[मौलाना आज़ाद]

आई, टूनेशन थ्योरी और पाकिस्तान बनाने का प्वाइंट आफ व्यू, और फिर पाकिस्तान का बनना, इस मुसीबत की जितनी जिम्मेवारी गुमराह मुसलमानों पैर और मुस्लिम लीग पर है उतनी ही जिम्मेदारी इस तरह के दिमागों पर भी है ।

एक मुअज्जिम मेम्बर : यह बात सही है ।

श्री वी० जी० देशपांडे : माननीय मंत्री अपने शब्द वापस ले लें ।

बहुत से माननीय सदस्य : नहीं नहीं । (अन्तर्बाधा)

मौलाना आजाद : इस तरह के दिमागों पर भी है । क्योंकि आप इस तरह एक तंग दिली की जगह इख्तियार करते हैं कि दूसरी जबानों के लिये कोई जगह नहीं है । दूसरी जमाअत के लिये कोई जगह नहीं है, दूसरों के हकूक को कोई जगह नहीं । तो कुदरती तौर पर उन लोगों को कि जो अलग होना चाहते हैं उनको मौका मिलेगा और वह एक्सप्लायट करेंगे और कहेंगे कि ऐसे लोगों के हाथ में हुकूमत कैसे दे सकते हैं । आपको मालूम है कि इस चीज़ का मैंने मुकाबला किया । मैंने कहा कि हिन्दुस्तान का हिन्दू दिमाग जो है, हिन्दू माइंड जो है, वह इस तरह के दिमाग को रीप्रेजेन्ट नहीं करता है । इसको गांधी जी रीप्रेजेन्ट करते हैं और वह लोग जो उनके साथ खड़े हैं, मैंने इस चीज़ पर मुसलमानों की तवज्जह दिलायी । मैं लड़ा । कई लाख मुसलमानों के दिमाग में इनकलाब पैदा किया । लेकिन बहरहाल मैं इस मसले में जज़बात को कंट्रोल नहीं कर सका । इसलिये मैं आप से कहूंगा कि इन चीज़ों में जब तक आप इस तरह एक तंग दिमाग बना रखेंगे आप अपने मकसद को कामयाब नहीं कर सकते बल्कि आपके मकसद को रोज़ बरोज़ नुकसान होगा ।

फिर उन्होंने जो ज़िक्र किया तो एक लिस्ट पढ़ी थी । लिस्ट बड़ी है । लेकिन क्या यह ज़रूरी नहीं था कि जब उन्होंने हिन्दुस्तानी प्रचार सभा के मुताल्लिक कहा और शिबली एकेडेमी के मुताल्लिक कहा तो यह भी कहते हैं कि हिन्दी साहित्य सम्मेलन, जिसकी उन्होंने इतनी तारीफ की थी, आज पांच बरस से गवर्नमेंट आफ इंडिया उसको भी ग्रांट दे रही है, ४० हज़ार रुपया सालाना दे रही है ।

श्री टंडन : मेरी यह अर्ज़ है कि मैंने कहा था । आप गलत बयानी कर रहे हैं कि मैंने नहीं कहा । मैंने कहा कि पांच सात वर्ष से बराबर दी जा रही है ।

मौलाना आज़ाद : जब मैंने याद दिलाई ।

श्री टंडन : नहीं, मैंने उसी वक्त कहा । आपके याद दिलाने से उसका कोई ताल्लुक नहीं था । मैंने उसी वक्त कहा था, क्योंकि इस साल की रिपोर्ट में थीं 'इज़ बिइंग कनसीडर्ड' तब मैंने कहा था कि ४० हज़ार रुपया दिया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री उस पहलू पर जोर दे रहे हैं जिस पर टंडन जी ने बहुत स्पष्टतया नहीं कहा था ।

मौलाना आज़ाद : तो मेरा मक़सद यह है कि जिन हिन्दी सभाओं के लिये कहा जाता है कि नहीं दे रहे हैं उनको बरसों से दे रहे हैं और उसका भी ज़िक्र साथ करना चाहिये था । आप कहते हैं कि मैंने ज़िक्र किया । लेकिन जहां तक मुझ को याद है उस वक्त किया जब मैंने तवज्जह दिलाई । उन्होंने कहा, लेकिन दो मरतबा मैंने तवज्जह दिलाई एक तो नागरी प्रचारिणी सभा के मुताल्लिक जिसके लिये गवर्नमेंट ने एक लाख रूपया मंजूर किया तो उन्होंने कहा कि हां दिया ।

लेकिन खुद वह अपनी तकरीर में जिस तरतीब से एक के बाद एक अपने इस्तदलाल की ईंटें चुन रहे थे उन ईंटों में यह ईंट नहीं थी। मैंने जब तवज्जह दिलाई तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं उसको भी मदद मिल रही है।

तो बहरहाल, अब मैं कुछ थोड़ा वक्त आपका और लूंगा। उस के बाद सेठ गोविन्द दास जी ने तकरीर की।

कुछ माननीय सदस्य : अजी छोड़िये उसको।

मौलाना आजाद : उन्होंने तकरीर करना शुरू की कि हिन्दी के रास्ते में अब कोई रुकावट नहीं है। मगर दो रुकावटें हैं। एक तो अंग्रेजी है और उन्होंने कहा कि जो लोग अंग्रेजी पसन्द करते हैं मैं उनको मैकाले का पैदा किया हुआ बच्चा समझता हूं।

एक माननीय सदस्य : अंग्रेजी पढ़े नहीं।

मौलाना आजाद : उसके बाद उन्होंने कहा कि उर्दू। मेरी समझ में यह बात नहीं आई कि उर्दू का यहां ताल्लुक़ क्या है।

श्री नन्दलाल शर्मा (सीकर) : श्रीमान् औचित्य प्रश्न यह है। क्या ऐसी भाषा का का प्रयोग करना असंसदोचित नहीं है ? (अन्तर्बाधा)

कई माननीय सदस्य : जी नहीं।

सेठ गोविन्द दास : अध्यक्ष महोदय, वह तो एक साहित्यिक उपमा थी, मैंने उनके लिये एक साहित्यिक उपमा दी थी।

मौलाना आजाद : मैं नहीं समझता कि उर्दू का क्या ताल्लुक़ था। एजूकेशन मिनिस्ट्री का जहां तक ताल्लुक़ है उसने उर्दू का सैक्शन कायम नहीं किया है। हिन्दी का सैक्शन कायम किया है। जो उसका प्रोग्राम है वह हिन्दी के लिये है, उर्दू के लिये नहीं। उर्दू का क्या ताल्लुक़ ?

खैर, मैं अब इसमें ज्यादा नहीं जाना चाहता। लेकिन आपकी तवज्जह दिलाना चाहता हूं कि बाद में उन्होंने चीख चीख कर बहुत ज़ोर दे कर हाउस की तवज्जह इस बात की तरफ दिलाई कि एजूकेशन मिनिस्ट्री ने यह फैसला किया है कि साइंस के लिये इंटरनैशनल टर्म्स हों, यह बिल्कुल गलत है, चुनांचे मैं लन्दन गया। मैं फ्रांस गया। और मैंने देखा तो मुझे मालूम हुआ कि इंटरनैशनल टर्म्स कहीं भी नहीं ह। अब मुझे नहीं मालूम कि सेठ जी ने यह कैसे मालूम किया। क्या उन्होंने लन्दन में जाकर और चेयरिंग क्रास पर इंटरनेशनल टर्म्स इन्टर नैशनल टर्म्स कह कर पुकारा और कोई नहीं आया।

सेठ गोविन्द दास : श्रीमान वैयक्तिक स्पष्टीकरण देना चाहता हूं। मुझे स्पष्टी करण देने का अधिकार है (**अन्तर्बाधा**) मैंने यह बात कही थी।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य सदन की भावना नहीं समझ पा रहे हैं। अतएव वे अभी वैयक्तिक स्पष्टीकरण न दें। वे माननीय मंत्री को बोलने दें। यदि वैयक्तिक स्पष्टीकरण की आवश्यकता होगी तो उन्हें अन्तमें अवसर दिया जाएगा।

मौलाना आजाद : तो बहरहाल मुझ को नहीं मालूम कि सेठ जी ने कैसे फैसला कर लिया कि इंटरनेशनल टर्म्स साइंस में नहीं हैं जो कि हम रख रहे हैं। मैं उनको तवज्जह दिलाऊंगा कि उनको सोचना चाहिये कि यह क्या है। पहले तो मैं यह बतलाऊंगा कि कि यह फैसला हुआ कैसे। यह सही नहीं है कि एजूकेशन मिनिस्ट्री ने यह फैसला किया। एजूकेशन मिनिस्ट्री का इससे कोई ताल्क

[मौलाना आज़ाद]

नहीं, कोई सम्बन्ध नहीं कि यह ऐसे चलें। गवर्नमेंट ने यूनिवर्सिटी एजूकेशन कमीशन बिठाई यूनिवर्सिटी एजूकेशन कमीशन ने जो रिपोर्ट दी उसमें उसने यह रिकमंडेशन की कि साइंस की तालीम के लिये इंटरनैशनल टर्म्स हिन्दी में लाई जायें। यह चीज़ आई सेंट्रल एडवाइज़री बोर्ड आफ एजूकेशन के सामने। उस के सामने इसलिये आई कि यह एक ऐसी बाडी है कि जिसमें स्टेट गवर्नमेंट के यूनिवर्सिटियों के और जो मुल्क में एजूकेशनिस्ट्स हैं, सबके रिप्रेजेंटेटिव मौजूद हैं।

कुदरती तौर पर गवर्नमेंट उसकी तरफ सिफारिश पर तवज्जह देती है। बोर्ड के सामने यह चीज़ आई। उस वक्त डाक्टर रघुवीर ने मुझ को चिट्ठी लिखी और यह लिखा कि मैं बोर्ड का मेम्बर नहीं हूं। मुझे इस बारे में बहुत सी बातें कहनी हैं। मैं क्या करूं। मैंने उनको कहा अगर आप बोर्ड के मेम्बर नहीं हैं तो कोई मुज़ायका नहीं। मुझे इस की पावर है मैं आपको स्पैशल इनविटेशन देकर बुला सकता हूं। आप शौक़ से आइये और आ कर बहस में हिस्सा लीजिये। चुनांचे मैंने उनको दावत दे दी और वह आये और डेढ़ घंटे तक उन्होंने तकरीर की। बोर्ड के मैम्बरान पर यह बात अच्छी न लगी। डाक्टर, मुदालियर खड़े हो गये और कहा कि क्या यह एक स्कूल है जहां लड़के जमा हैं और एक मास्टर उनको समझा रहा है। मैंने रोका एक अहम मुआमला है। हमको मौका देना चाहिये कि जो प्वायंट आफ व्यू हों उभरें और उन पर गौर हो। चुनांचे उनको पूरा मौका दिया गया। उसके बाद बोर्ड ने यूनैनिमसली यह फैसला किया कि यूनिवर्सिटी एनक्वायरी कमीशन ने जो सिफारिशें की हैं कि साइंस के लिये हिन्दी में इंटरनैशनल टर्म्स लिये जायें, बोर्ड उसको मंज़ूर करता है और उसकी सिफारिश करता है। उसके बाद बोर्ड की यह सिफारिश गवर्नमेंट के सामने आई और फिर केबिनेट में हमने गौर किया और वह फैसला किया गया कि एक्सपर्टस् एजूकेशनैलिस्ट्स और सायंटिस्ट्स की एक सेंट्रल बाडी बनाई जाय जो टर्म्स के मुआमले पर गौर करे और टर्म्स बनाये। चुनांचे एजूकेशन मिनिस्ट्री ने एक बोर्ड बनाया और वह काम कर रहा है। तो जो बात मुझ को कहनी है वह यह है कि यह सही नहीं है कि यह फैसला एजूकेशन मिनिस्ट्री ने किया। यह तजवीज़ें दरअसल यूनिवर्सिटी एनक्वायरी कमीशन ने पेश कीं। बोर्ड ने उसको मंजूर किया और गवर्नमेंट ने भी उससे इत्तफाक़ किया। सेठ जी से मैं पूछना चाहूंगा कि उनको सोचना चाहिये कि अगर सवाल यह पैदा हो कि साइंस की तालीम में क्या करना चाहिये तो इस बारे में गवर्नमेंट किस की ओर देखें और किस की राय ले। क्या सेठ गोविन्द दास की राय ले या उन लोगों की राय ले जो इस लाइन में हैं जैसे डाक्टर भटनागर की, डाक्टर घोष की, डाक्टर भाभा की, डाक्टर साहा की और डाक्टर मुदालियर जैसे साइंसदानों की राय ले। यकीनन सेठ गोविन्द दास यह कहने वाले नहीं हैं कि उन्होंने अपनी ज़िन्दगी साइंस की दुनिया में बसर की है। वह मुझे बतलायें अगर उन्होंने अपनी जिन्दगी का एक मिनट भी साइंस में बसर किया हो। उनका खाली यह कह देना कि इंटरनैशनल टर्म्स न हों यह बिल्कुल गलत है। उनको सोचना चाहिये कि इस तरह की देवनागरी किस तरह मौजूं हो सकती है।

बहरहाल अब मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। मैं चन्द अलफाज आप से कहूंगा कि यह मुआमला कि १५ बरस के बाद

सैंट्रल गवर्नमेंट में अंग्रेज़ी को हटा कर हिन्दी को लाया जाय, यह हमारी ड्यूटी है और हमारा फ़र्ज़ है कि सच्चाई के साथ इसको काम में लायें। मगर किस तरीके से काम में लायें। क्या खाली हिन्दी, हिन्दी कहने भर से यह काम हो जायेगा ? इस तरह यह काम नहीं हो सकता। यह काम एक मुश्किल काम है। एडमिनिस्ट्रेशन की एक भाषा को हटा कर एक दूसरी भाषा लाना कोई मामूली बात नहीं है। इसकी मुश्किलें हैं। उन पर गालिब आना चाहिये और उनको दूर करना चाहिये। एजूकेशन मिनिस्ट्री ने इस पर सन् १९५१ में गौर किया और इसका एक प्रोग्राम बनाया। सबसे पहली बुनियादी बात यह थी कि हमने कांस्टीट्यूशन में यह बात रखी है कि पन्द्रह बरस बाद हिन्दी हो जाएगी। अब अगर हम ने इस पन्द्रह बरस के अन्दर इधर कुछ हिन्दी का काम न किया और फिर हम समझें कि सोलहवें बरस म हिन्दी आ जायेगी और हिन्दी में सब कामकाज चलने लगेगा तो हम धोके में हैं। इस तरह पन्द्रह बरस में क्या पच्चीस और तीस बरस में भी हिन्दी नहीं आ सकती। इसलिये बुनियादी बात यह है कि इस पन्द्रह बरस के अन्दर हमें कम अज़ कम पांच बरस ऐसे निकालने चाहियें कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट में अंग्रेज़ी की तरह हिन्दी को भी जगह मिल जाये। पूरी तरह सैंट्रल गवर्नमेंट की तमाम मिनिस्ट्रियों और डिपार्टमेंटों में चल जाये और तमाम सरकुलर्स, रिपोर्ट और गज़ट वगैरह हिन्दी में देवनागरी स्क्रिप्ट में छपने लगें ताकि इस पांच बरस के अन्दर हमें तजुरबे से मालूम हो जाये कि क्या क्या शार्ट कमिंगज और दिक्कतें हैं जिनको दूर किया जाना चाहिये। एडमिनिस्ट्रेशन की जबान के लिये जरूरत होती है कि इसका एक सांचा हो और जिस तरह अंग्रेज़ी में इसका एक सांचा है वैसा ही हिन्दी में भी ढालना है और इसके लिये ज़रूरी है कि कम अज़ कम पांच बरस हमें मिलने चाहियें। एजूकेशन मिनिस्ट्री के सामने जो प्रोग्राम है वह यह है कि दस बरस के बाद ग्यारहवें बरस से अंग्रेज़ी के साथ साथ हिन्दी भी सैंट्रल गवर्नमेंट की जबान हो जायेगी। हमारे साउथ के दोस्तों को कोई वजह नहीं है कि वह शिकायत करें क्योंकि हम ग्यारहवें बरस से अंग्रेज़ी को हटाते नहीं, अंग्रेज़ी को हम रखते हैं। वह पन्द्रह बरस तक रहेगी। लेकिन इसके साथ हम हिन्दी को भी कायम रखते हैं। अगर यह कहा जाय इस प्रकार गवर्नमेंट का खर्चा बढ़ जायेगा, दुगुना खर्च होगा तो मैं कहूंगा कि हिन्दी का मुआमला इतना अहम है कि अगर खर्च बढ़ेगा भी तो यह खर्चा गवर्नमेंट को खुशी से बरदाश्त करना चाहिये। लेकिन मैं कहता हूं कि यह बात नहीं है कि खर्चा बढ़ेगा। हालत यह है कि नार्दर्न इंडिया की जितनी स्टेट्स हैं सब ने अपनी सरकारी भाषा हिन्दी करार दी है और हिन्दी की तरफ वह ज़ोर से बढ़ रही हैं और अपने काम को बढ़ा रही हैं। ग्यारहवें बरस जब सैंट्रल गवर्नमेंट हिन्दी में काम शुरू करेगी तो यह जितनी स्टेटस हैं, यू० पी० है, मध्यभारत है, मध्यप्रदेश है और राजस्थान है, इन तमाम स्टेटों के लिये इसकी ज़रूरत नहीं होगी कि एक परचा भी इन को अंग्रेज़ी में भेजा जाय। अगर थोड़ी बहुत ज़रूरत ऐसी पश आई कि जिनकी वजह से डुप्लिकेशन हुआ भी तो जैसा मैंने आप से कहा यह काम इतना जरूरी है कि इसे खुशी से गवारा करना चाहिये। आप यह कह सकते हैं कि ग्यारह बरस क्यों। पांचवें बरस ही इसे क्यों न शुरू किया जाय। तब मैं कहूंगा कि यह सही नहीं है। जिस तरह यह चीज़ सही नहीं होगी कि ग्यारहवें बरस से हिन्दी को शुरू न करें और पूरी तरह सैंट्रल गवर्नमेंट में वह न छा जाये, इसी तरह यह चीज़ गलत होगी कि आप इसे पांचवें बरस शुरू कर दें।

[मौलाना आज़ाद]

क्योंकि यह मुआमला ऐसा है कि जब तक इस के लिये एक सही ज़मीन तैयार न हो जाय उस वक्त तक आप कामयाबी के साथ कदम नहीं उठा सकेंगे। बहरहाल एजूकेशन मिनिस्ट्री ने हिन्दी के मुताल्लिक़ यह प्रोग्राम बनाया है। इससे पन्द्रह बरस के तीन पीरियड्स कर दिये हैं। पांच पांच बरस के। पहले पांच बरस का प्रोग्राम यह है कि टर्म्स बनाये जायें और कम अज़ कम जहां तक तालीम का ताल्लुक है कि हाई स्कूल के दरजे की तमाम टर्म्स बनाई जायें और एडमिनिस्ट्रेशन के भी ज़रूरी टर्म्स बनायें जायें। जहां तक स्टेट गवर्नमेंट का ताल्लुक है कोशिश की जाये कि सैकन्डरी स्टेज में वहां हिन्दी कम्पलसरी हो जाय और आम जनता का जहां तक ताल्लुक है कोशिश की जाये और तेज़ी के के साथ हिन्दी के सैंटर्स खोलें जहां हिन्दी आम हो।

अब पहले पांच बरस में से तीन बरस गुज़र चुके हैं। इन तीन बरस के अन्दर जहां तक स्कूलों का ताल्लुक़ है हमको खुशी है कि ट्रावनकोर कोचीन स्टेट ने पूरी तरह को-आपरेशन दिया और उन्होंने बावजूद इसके कि हिन्दी से बहुत दूर हैं सैकन्डरी स्टेज में हिन्दी कम्पलसरी कर दी। इसी तरीके से मुझे मुस्सर्रत हुई यह जान कर कि मैसुर गवर्नमेंट ने भी कम्पलसरी करी और उड़ीसा और आसाम में भी कम्पलसरी है। सिर्फ मदरास और आंध्र इन दो प्रान्तों में उन्होंने सैकन्डरी स्टेज में हिन्दी को कायम तो कर दिया है मगर अभी आप्शनल रखा है, कम्पलसरी नहीं किया है। लेकिन जो रिपोर्टें मिल रही हैं उनसे मालूम होता है कि कम्पलसरी न होने पर भी काफी तादाद में वहां के लोग हिन्दी जबान को लेते हैं, उसके इम्तहान पास करते हैं और हमें उम्मीद है कि वह वक्त दूर नहीं है कि जब यह दोनों स्टेट भी हिन्दी को सैकन्डरी स्टेज में कम्पलसरी करेंगी।

श्री अल्गूराय शास्त्री : निश्चय करेंगी।

मौलाना आज़ाद : अब जहां तक टर्म्स का ताल्लुक़ है, १८ हज़ार टर्म्स बन चुके हैं। बीस तारीख को मैंने फिर बोर्ड की बैठक बुलाई है। उससे कहा है कि वह सभी कामों की रिपोर्ट दे ताकि देखा जाय कि हम आयंदा अपने कामों को किस तरीके से बढ़ा सकते हैं और क्या क्या उसमें नये कदम उठाये जा सकते हैं। जहां तक हिन्दी के सैंटर्स का ताल्लुक़ है आपको मालूम है कि दक्षिण प्रचार सभा बरसों से निहायत मुफीद और कीमती काम कर रही है। तीन जगहों आसाम, उड़ीसा और बंगाल में भी अभी तक बाकायदा कोई सैंटर नहीं खोला गया था। अब एजूकेशन मिनिस्ट्री ने वहां भी तीन सैंटर खोल दिये हैं। टीचर्स तैयार किये जा रहे हैं। और कोशिश की जा रही है कि वहां भी इस ढंग पर हिन्दी का प्रचार शुरू हो जाय कि जिस तरह साउथ की दूसरी स्टेटों में किया गया है।

अब मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा लेकिन दो बातें हैं जिनके बारे में मुझे उम्मीद है कि मुझे इजाज़त देंगे कि मैं चार मिनट में अर्ज़ कर दूं। श्री चैटर्जी ने मानभूम के मुताल्लिक अपनी तकरीर में जिक्र किया। मानभूम के मुताल्लिक सेंट्रल गवर्नमेंट को यह बात मालूम है कि वहां एक ग्रुप मौजूद है कि जिसकी मादरी जबान बंगाली है, और वह यह चाहता है कि उस के बच्चों की इब्तदाई तालीम बंगाली मीडियम के जरिये से हो। सन १९४९ ई० में यह मुआमला हमारे सामने लाया गया। एक दो और स्टेटों में भी शिकायत हो रही थी। चुनांचे मैंने स्टेट मिनिस्टर्स की एक कानफरेंस बुलाई और उनके सामने यह मुआमला रखा। कानफरेंस ने यह बिल

इत्तफाक़ तजवीज़ किया कि जिन स्टेटों में कुछ कैंडीडेट ऐसे मौजूद हैं कि जिनकी मादरी जबान वह नहीं है जो कि स्टेट की सरकारी जबान है, उनको मौका मिले कि वह अपनी मादरी जबान में तालीम हासिल करें। उसूल यह करार दिया गया। सिद्धांत यह करार दिया गया कि अगर एक स्कूल में ४० लड़के मौजूद हैं या एक क्लास में १० लड़के मौजूद हैं और वह चाहते हैं कि एक खास जबान के जरिये से उनको इब्तदाई तालीम दी जाय तो उसका इन्तज़ाम होना चाहिये। उनकी यह सिफारिश गवर्नमेंट आफ इंडिया के सामने आयी। गवर्नमेंट ने उसको मंजूर किया और ९ अगस्त के रेज़ोल्यूशन में इसका ऐलान कर दिया। गवर्नमेंट आफ इंडिया के पास बिहार गवर्नमेंट की तरफ से जो बयानात आये हैं उनमें गवर्नमेंट आफ इंडिया को यकीन दिलाया गया है कि बिहार गवर्नमेंट इस फैसले के मुताल्लिक़ काम कर रही है।

कुछ माननीय सदस्य : कर रही है।

मौलाना आज़ाद : अब जो शिकायत आपने की है वह बिल्कुल दूसरा मुआमला है। इसके मुताल्लिक़ मैं इस वक्त इस पोज़ीशन में नहीं हूं कि कोई राय कायम कर सकूं। हमें सबसे पहले मालूम करना चाहिये कि बिहार गवर्नमेंट का क्या बयान है। जब तक वह हमारे सामने न आये, हम कोई राय नहीं कायम कर सकते। मैं श्री चैटर्जी से दरख्वास्त करूंगा कि अगर वह एक शार्ट नोट मेरे पास भेज दें तो मैं उसे बिहार गवर्नमेंट को भेज दूंगा और मालूम करूंगा कि असलियत क्या है।

श्री एन० सी० चटर्जी (हुगली) : मैं उसे माननीय मंत्री के पास भेज दूंगा।

मौलाना आज़ाद : श्री चैटियार ने अपनी तकरीर में एक मुआमले की तरफ इशारा किया था। मैं उस दिन नहीं था जिस दिन मेरे दोस्त फाइनेंस मिनिस्टर ने तकरीर की थी। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी तकरीर में इस तरह का इशारा किया था कि इस साल एजूकेशन मिनिस्ट्री ने दो करोड़ रुपया जो खर्च नहीं हो सका था वह छोड़ दिया। मैंने मिनिस्ट्री से दरियाफ्त किया। मिनिस्ट्री से दरियाफ्त करने पर जो एदादो-शुमार मेरे पास आये हैं उनसे मुझे मालूम हुआ कि दो करोड़ की बात नहीं है। लेकिन ८४ लाख रुपये का मुआमला जरूर है। लेकिन इस ८४ लाख रुपये का यह हाल है कि उसमें जो बड़े बड़े आइटम हैं वह ऐसे हैं कि उसके लिये एजूकेशन मिनिस्ट्री की कोई मलामत नहीं की जा सकती, क्योंकि ग्रान्ट का नेचर ऐसा था कि रुपया खर्च ही नहीं किया जा सकता था। मसलन १० लाख रुपया रखा गया था साइंस इंस्टीटयूट बंगलौर के लिये कि इसके लिये ज़रूरी सामान मंगवाया जाये। सामान आया नहीं और जब सामान आया नहीं तो रुपया किस को दिया जाय ?

श्री एस० एस० मोरे : सेठ गोविन्द दास को।

मौलाना आज़ाद : इस तरह खड़गपुर इंस्टीटयूट के लिये भी कई लाख रुपया रखा गया था, सामान के लिये। वह भी इस दफा नहीं आया और बयान यह किया जाता है कि शायद मई में आ सकेगा। जाहिर है कि रुपया नहीं दिया जा सकता। एशियाटिक सोसायटी बंगलौर को हम हर साल कुछ रकम देते हैं। मैनस्क्रिपटो के लिये अदा करने और उन्हें छपाने के लिये। चुनांचे हर साल रकम रखी जाती है। जैसे ही साल शुरू हुआ सोसाइटी से कहा जाता है कि स्कीम भेज दो। स्कीम आती है और रुपया दिया जाता है। पूरा साल निकल गया और इसे बार बार लिखा गया कि स्कीम भेजो लेकिन कोई स्कीम उसने नहीं भेजी। इस बीच में श्री बेनीप्रसाद आये, उनसे भी मैंने स्कीम का ज़िक्र किया। उन्होंने कहा अभी तक मेरे पास स्कीम नहीं है। इस वास्ते रुपया खर्च नहीं हुआ। यह समझना कि एजूकेशन मिनिस्ट्री की गलती से यह रुपया खर्च नहीं हो सका, ठीक नहीं होगा। इसमें बड़ी बड़ी दिक्कतें ऐसी हैं कि जिनमें रुपया खर्च नहीं हो सकता था।

अब मैं और वक्त नहीं लूंगा। मैं आपको यकीन दिलाऊंगा कि दो मिनट के लिये भी आप यह न समझें कि एजूकेशन मिनिस्ट्री ने अपना दिमाग बन्द किया है। इसका दिमाग खुला है। इसने हर कोशिश की है और आयंदा भी करेगी। इसकी सलाह करने या इसका सुधार करने के लिये आप जो तजवीज पेश करेंगे वह इसको खुश दिली के साथ वैल्कम करेगी। लेकिन आपसे दरख्वास्त की जाती है कि अगर आप को बदगुमानियां पैदा हों और कुछ चीज़ें सुनाई पड़ें तो आप मेरे पास आयें। मैं दूर नहीं हूं। मैं इस हाल से पांच गज़ की दूरी पर बैठता हूं। आप मुझ से मिल सकते हैं और पूछ सकते हैं कि मुआमला क्या है। और मैं यकीन दिलाता हूं कि जहां तक हिन्दी की तरक्की का ताल्लुक है एजूकेशन मिनिस्ट्री अपनी डयूटी समझती है। वह इस डयूटी में कोताही नहीं करेगी।

सेठ गोविन्द दास : मैंने वैज्ञानिक शब्दावली के सम्बन्ध में एक बात कही थी, और मैं फिर उसे बहुत अदब के साथ मौलाना साहब के सामने पेश करना चाहता हूं। मैंने यह कहा था कि.....

उपाध्यक्ष महोदय : अपने भाषण के कुछ अंशों की ओर यदि निर्देश किया जाता है तो माननीय सदस्य उठ कर यथाशक्य संक्षेप में कुछ शब्द कह कर भ्रम मिटा सकते हैं। वे कुछ और नहीं जोड़ सकते।

सेठ गोविन्द दास : मैं एक मिनट के अन्दर कहूंगा। मैंने यह कभी नहीं कहा कि इंग्लैण्ड में या अमरीका में इस तरह की कोई शब्दावली नहीं हैं। इंग्लैण्ड, अमरीका और इंग्लैण्ड की चारों कालोनीज़ को छोड़ कर, फ्रांस के एक हिस्से को छोड़ कर, जापान में, चीन में और दूसरे मुल्कों में इस तरह की कोई शब्दावली का प्रयोग नहीं होता है जिसको कि आप इंटरनैशनल शब्दावली कह सकें, यह विषय एक्सपर्टस् का नहीं, फैक्ट्स का है।

इन्टरनैशनल शब्दावली मान कर अगर हमें लेटिन के सब शब्दों को लेना है तो हजारों शब्द, लाखों शब्द हम को लेना होगा और वह हिन्दी भाषा नहीं रह जायेगी ।

लाला अचिन्तराम : मैं आपकी इजाजत से मौलाना साहब से अर्ज करूंगा कि पंजाब यूनिवर्सिटी कैम्प कालेज के मुताल्लिक भी कुछ फर्मा दें ।

मौलाना अबुल कलाम आजाद : मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि गवर्नमेंट तालीम को घटाना नहीं चाहती बढ़ाना चाहती है । यह मामला गवर्नमेंट के सामने है । वह उस पर गौर करेगी और मैं इस वक्त इतना ही इतमीनान दिला सकता हूं कि हत्तुलइमकान अपनी तरफ से इसकी कोशिश नहीं करेगी कि एक चलती हुई चीज़ को खत्म कर दे ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं शिक्षा मंत्रालय सम्बन्धी सब कटौती प्रस्ताव सदन के के मत के लिये रखूंगा ।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं मांगें सदन के मत के लिये रखूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा मांग संख्या १७, १८, १९, २० और २१ मतदान के लिये प्रस्तुत की गईं तथा स्वीकृत हुईं ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सदन खाद्य तथा कृषि मंत्रालय सम्बन्धी मांगों पर विचार करेगा ।

वर्ष १९५४–५५ के लिये अनुदानों की ये मांगें उपाध्यक्ष महोदय ने प्रस्तुत कीं—

मांग संख्या	शीर्ष	राशि
		रुपये
४३	खाद्य तथा कृषि मंत्रालय	४४,२१,०००
४४	वन	३९,६७,०००
४५	कृषि	८,२२,१९,०००
४६	असैनिक पशु चिकित्सा सेवायें	३५,७८,०००
४७	खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय	७२,५४,०००
१२२	वनों पर पूंजी व्यय	३९,४८,०००
१२३	खाद्यान्नों का क्रय	५२,६०,००,०००
१२४	खाद्य तथा कृषि मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय	४३,४०,४७,०००

निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये

मांग संख्या	कटौती प्रस्तावक	कटौती आधार	कटौती राशि
			रुपये
४३	श्री नम्बियार (मयूरम)	एकसम भूमि सुधार	१००
४३	श्री नम्बियार	ग्राम ऋणिता के सम्बन्ध में शोध विलम्ब	१००
४३	श्री ए० के० गोपालन (कन्नानूर)	देश में बंजर तथा अन्य परती भूमि	१००
४३	श्री दशरथ देव (त्रिपुरा पूर्व)	त्रिपुरा में बकाया लगान की माफी	१००
४३	श्री टी० के० चौधरी (बरहामपुर)	फसलों की कीमतें	१००
४३	श्री बी० सी० दास (गंजम दक्षिण)	चीनी सम्बन्धी नीति	१००
४३	श्री बी० सी० दास	खाद्य सम्बन्धी नीति	१००
४३	श्री एन० बी० चौधरी (घाटल)	पटसन उत्पादकों को आर्थिक कीमत	१००
४३	श्री बूवराघसामी (पेराम्बलूर)	सहकारी खेती	१००
४३	श्री रामचन्द्र रेड्डी (नल्लोर)	चीनी सम्बन्धी नीति	१००
४३	श्री रामजी वर्मा (जिला देवरिया पूर्व)	खाद्य सम्बन्धी नीति	१००
४३	श्री रामजी वर्मा	गन्ने की कीमत का निर्धारण	१००
४३	श्री केलप्पन (पोन्नानी)	छोटे सिंचाई कार्य	१००
४३	श्री देव गम (चौबस्सा रक्षित अनुसूचित आदिम जातियां)	सिंहभूम जिले में छोटे सिंचाई कार्य	१००
४३	श्री देवगम	धन का उचित उपयोग	१००
४३	श्री शिवमूर्ति स्वामी (कुष्टगी)	कृषि सम्बन्धी समस्याओं को हल करने के लिय मंत्रालय का नवीन दृष्टिकोण	१००

मांग संख्या	कटौती प्रस्तावक	कटौती आधार	कटौती राशि
			रुपये
४३	श्री शिवमूर्ति स्वामी	कृषि विकास योजनाओं के लिये अधिक धन	१००
४४	श्री देवगम	वनों का संरक्षण	१००
४४	श्री आर० सी० सेन (कोटा बूंदी)	देश के वन्य पशु	१००
४५	श्री बी० सी० दास	गन्ने की किस्म	१००
४५	श्री वी० मिश्र	कृषकों के हित	१००
४५	श्री देवगम	आदर्श कृषि फार्म	१००
४५	श्री शिवमूर्त्ति स्वामी	सहकारी कृषि प्रणाली	१००
४५	श्री शिवमूर्त्ति स्वामी	आदर्श फार्म	१००
४६	श्री देवगम	ग्रामीण क्षेत्रों में असैनिक पशु चिकित्सा सम्बन्धी सुविधायें	१००
४६	श्री शिवमूर्त्तिस्वामी	ग्रामीण क्षेत्रों में असैनिक पशु चिकित्सा सम्बन्धी सुविधायें	१००
४७	श्री ए० के० गोपालन	मालाबार जिले में उत्पादक उपभोक्ता समितियां	१००
४७	श्री सी० आर० चौधरी (नरसरावपेट)	कृष्णा तथा गोदावरी नदी के कछारों में भूतत्वीय परिमाप व नलकूप	१००
४७	श्री बी० सी० दास	केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन का कार्य संचालन	१००
४७	श्री रामचन्द्र रेड्डी	केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन का कार्य संचालन तथा प्रसार	१००
४७	श्री शिवमूर्त्ति स्वामी	हैदराबाद राज्य में सहकारी समितियां	१००

श्री एन० एम० लिंगम (कोयम्बटूर) : मुझे यह जान कर परम हर्ष हुआ है कि खाद्य के सम्बन्ध में हमारी स्थिति मजबूत हो गई है तथा कुछ सीमा तक हम आत्म-निर्भर भी हो गये हैं। इसके लिये मैं खाद्य तथा कृषि मंत्रालय को बधाई देता हूं। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि प्रकृति हमारे ऊपर कृपालु रही है और इससे हमें काफी सीमा तक सहायता मिली है। खाद्य के उत्पादन के सम्बन्ध में हमने निश्चय ही प्रगति की है। चावल का

[श्री एन० एम० लिंगम]

उत्पादन ५० लाख टन बढ़ गया है और चावल का आयात केवल इसलिये किया जा रहा है कि संकट के समय उससे लाभ उठाया जा सके। तिलहन के सम्बन्ध में हमें उतनी सफलता नहीं मिली है जितनी हम आशा करते थे। कपास, पटसन और तिलहन का उत्पादन बढ़ाने के सम्बन्ध में प्रयत्न किया जा रहा है तथा मुझे आशा है कि हम इन वस्तुओं के बारे में शीघ्र ही आत्म निर्भर हो जायेंगे।

खेतिहर मजदूरों की समस्या बड़ी जटिल है। भारत के गांवों में अधिकतर लोग बेकार रहते हैं या उन्हें उनकी योग्यता के अनुसार काम नहीं मिलता। इस समस्या को सुलझाने के लिये केन्द्रीय सरकार ने कार्यवाही की है किन्तु मुझे यह कहते हुए खेद होता है कि राज्य सरकारों ने इस पर विशेषरूप से ध्यान नहीं दिया है। इस समस्या को सुलझाने के सम्बन्ध में योजना आयोग ने अनेक सिफारिशें की हैं। पहली तो यही कि बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाया जाये जिससे वहां भूहीन खेतिहर मजदूरों को बसाया जा सके। किन्तु इस सम्बन्ध में अधिकतर राज्य सरकारों ने कुछ भी नहीं किया है। दूसरी सिफारिश है भूमि में सुधार करने की। यद्यपि राज्य सरकारों ने इस सम्बन्ध में बहुत कुछ किया है फिर भी वह पर्याप्त नहीं है। तीसरी सिफारिश अनुसंधान के सम्बन्ध में है। यद्यपि केन्द्रीय सरकार ने अनेक अनुसंधान संस्थाएं स्थापित की हैं तथा वर्तमान संस्थाओं के कर्मचारियों, उपकरणों आदि में वृद्धि की है फिर भी, राज्य सरकारें उनके परिणामों को किसानों तक नहीं पहुंचा सकी हैं जिनसे वे लाभ उठा सकते। अन्तिम सिफारिश सहकारिता समितियों के सम्बन्ध में है। मेरे विचार में अभी इस देश में सहकारिता आन्दोलन ने जड़ नहीं पकड़ी है तथा लोग सरकारी पैसे और अधिकारियों का लाभ भी पूरा पूरा नहीं उठा रहे हैं। अभी तो आपने इस सम्बन्ध में प्रशिक्षण देना आरम्भ किया है। सहकारिता आन्दोलन को जड़ पकड़ने में अभी कुछ समय लगेगा।

वनों के सम्बन्ध में भी राज्यों की प्रगति ठीक नहीं रही है। राज्य सरकारों ने अभी तक इस सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा पूछे गये प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया है। उन्होंने यह तक नहीं बतलाया है कि वन परिमाप किया भी गया है या नहीं। राज्य सरकारों को इस ओर अधिक ध्यान देना चाहिये। इसके साथ मैं भूमि संरक्षण का भी प्रश्न उठता हूं। भूमि संरक्षण के मामले में भी सरकार ने संतोषजनक प्रगति नहीं की है। मैं एक ऐसे क्षेत्र से आता हूं जहां भूमि संरक्षण की समस्या बहुत जटिल हो गई है। सरकार ने इसे सुलझाने के लिये जो तरीके अपनाये हैं उनसे कोई लाभ नहीं हुआ है। किसानों से पहाड़ी स्थानों पर जमा हुई मिट्टी में खेती करने के लिये कहा जाता है किन्तु वे उसमें दिलचस्पी नहीं लेते। मेरे विचार में यदि ऐसे पहाड़ी क्षेत्रों में चाय के पौधे आदि लगा दिये जायें तो उनसे भूमि का संरक्षण हो सकता है। इस प्रकार किसानों को भी काम मिल जायेगा और चाय का उत्पादन भी बढ़ जायेगा। ढलानों पर चाय के पौधे आसानी से लगाये जा सकते हैं। मैं चाहता हूं कि यह सुझाव भूमि संरक्षण बोर्ड के सामने रखा जाये।

मैं आलू की खेती के सम्बन्ध में भी कुछ कहना चाहता हूं। आलू के सम्बन्ध में हम आत्म-निर्भर नहीं हैं तथा हमें कुछ मात्रा बाहर से आयात करनी पड़ती है। मैं चाहता हूं कि हम इस सम्बन्ध में आत्म-निर्भर हो जायें। खेतों में आलू की उपज कम है, कृषि-

सार महंगा है तथा आलुओं में बीमारियां लग जाती हैं—यह कुछ बातें ऐसी हैं जिनके सम्बन्ध में मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि इन कठिनाइयों को दूर करने के सम्बन्ध में कुछ किया जाना चाहिये।

संतरे की खेती के बारे में भी यही हाल है। वेनाड में कम से कम २०,००० एकड़ भूमि पर से संतरे की खेती खत्म हो गई है। इसका कारण संतरे के पेड़ों में लगने वाली बीमारियां हैं जिनकी रोक थाम शीघ्र ही की जानी चाहिये। यह बीमारियां मध्य प्रदेश में भी फैल रही हैं और सरकार इस बारे में कुछ भी नहीं कर पा रही है। यदि इस सम्बन्ध में शीघ्र ही ज़ोरदार कार्यवाही न की गई तो मुझे भय है कि कहीं संतरे की खेती ही देश से गायब न हो जाये।

श्री ए० पी० सिन्हा : उपाध्यक्ष महोदय फूड और एग्रीकल्चर, खाद्य और खेती, की वज़ारत ने जो काम किया है और उनको जो सफलता मिली है, इसमें दो राय नहीं हैं। जहां तक खुराक का सवाल है, फूड का, डेढ़ दो वर्ष पहले मुल्क में एक बहुत बड़ा पैसीमिज्म था, नाउम्मेदी थी और यहां से अकाल की खबर, वहां से बाढ़ की खबर और हर तरह की परेशानियां थीं। कुछ तो प्रकृति ने, कुदरत ने, हमें मदद दी। पर उससे ज्यादा, अभी श्री रफी अहमद किदवई साहब यहां नहीं हैं, लेकिन मैं अपने कर्त्तव्य से अलग होऊंगा अगर मैं इसको न मानूं कि इतने बड़े मुश्किल सवाल को उन्हीं की हिम्मत थी कि उन्होंने इसे अपने हाथ में लेकर हल किया। इस दुरूह सवाल को इस तरह से कोई हल नहीं कर सकता था। अब जहां तक सारे देश में खुराक का सवाल है, लोगों को आशा है और लोगों को इस पर भरोसा है कि किसी भी हालत में केन्द्रीय सरकार के पास इतना ग़ल्ला रहेगा कि देश का कोई भी इलाक़ा कोई भी भू-भाग, अगर वहां उपज न हो तो भी वह भूखों नहीं मरेगा। यह बात तो हमारी सरकार की हमेशा से रही है, इनका ऐलान रहा है कि किसी भी हालत में खुराक के बगैर लोगों को मरने नहीं दूंगा, इसको उन्होंने बहुत खुशी से निभाया है। साथ ही जहां तक खेती का सम्बन्ध है और उपज बढ़ाने का सवाल है, उसको भी बहुत खूबसूरती के साथ किया गया और उसके लिये मैं अपने मित्र डा० पंजाबराव देशमुख को बधाई देता हूं। इन दो बातों के कहने के बाद, एक दो चीज़ों की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं।

जहां तक ऊख और चीनी का सम्बन्ध है, मुझे माफ़ करेंगे डा० पंजाबराव देशमुख और श्री कृष्णप्पा अगर मैं कहूं कि यह सवाल उस खूबसूरती से उन्होंने टैकिल, हल नहीं किया जिसकी हम उनसे आशा करते थे। हम लोग यानी बिहार और यू० पी० के जिन इलाक़ों में ऊख उपजती है, हम कांग्रेस पार्टी के लोग श्री किदवई से बार बार मिले और हमने ऊख की कीमत ठीक करने के लिये कहा, हमने उनसे प्रार्थना की कि आप दो रुपये मन से कम कीमत ऊख की मत रखिये, इससे किसानों को बहुत तकलीफ़ व परेशानी होगी, उनके सामने अपनी दिक्कतें रक्खीं। उन्होंने ऊख की जो कीमत निर्धारित की, उसके फलस्वरूप किसानों को काफ़ी मुसीबत और दिक्कत पेश आई, इंडस्ट्री चीनी कारखानों को भले ही इससे कुछ फ़ायदा हुआ होगा, लेकिन जिसके लिये दावा किया जाता है कि हम उनकी दशा सुधारना चाहते हैं, उनके लिये तो तकलीफ़ और परेशानी ही बढ़ी। कांग्रेसमैन होने के नाते हम केवल यही कर सकते हैं कि सम्बन्धित डिपार्टमेंट्स के मिनिस्ट्रों के पास अपनी बात ले जायं और उनके पुराने साथी होने के नाते उनसे अपनी

[श्री ए० पी० सिन्हा]

बात मनवाने की कोशिश करें, जनता को दिखाने के वास्ते हम कोई कदम नहीं उठा सकते। खैर, यह तो दूसरा सवाल है एक राजनीतिक अंग है। अब मैं बाहर से जो चीनी मंगाई गई, उसके सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। चीनी का सवाल बहुत दुरुह हो सकता है, लेकिन मैं कहने पर विवश हूं कि बाहर से चीनी मंगा कर रफ़ी साहब ने इस में कोई बड़ी करामात नहीं दिखाई जैसी कि हम उनसे आशा करते थे। हमें उनसे बहुत आशा है और हम उनसे खाद्य की तरह इस सवाल में भी उनकी करामात होते देखना चाहते हैं।

चीनी से भी बढ़ कर सवाल लैंड (जमीन) का है। अंग्रेजी राज्य की समाप्ति के बाद और ज़मींदारी प्रथा के विनाश के बाद यह की जनता और किसानों के मन में यह आशा उत्पन्न होना स्वाभाविक था कि देश में ऐसी व्यवस्था बनेगी जिसमें किसी प्रकार का शोषण न होगा, ऐसा आर्थिक ढांचा देश का बनगा जिसमें कोई ग़रीब, अमीर नहीं रहेगा और सब सुख शान्ति से जीवन बसर कर सकेंगे और इस सम्बन्ध में भूमि व्यवस्था में सुधार होना नितान्त आवश्यक था। इस समय हमारे रफ़ी साहब मौजूद नहीं ह, लेकिन मैं अपनी आवाज़ सब मिनिस्ट्रों तक पहुंचाना चाहता हूं कि भूमि की समस्या ऐसी है कि जिसको हल किया जाना चाहिये और बिना विलम्ब इसे ठीक करना चाहिये। उन सारे लोगों को जो पार्लियामेंट में हैं, रिपब्लिक को चलाते हैं, उन सब को समझना चाहिये कि हम एक ज्वालामुखी के मुख पर बैठे हैं, यह ज़मीन का सवाल बहुत टेढ़ी खीर है, आखिर यह कहां का इंसाफ़ है कि हज़ारों आदमी तो बगैर ज़मीन के हों और कुछ लोगों के पास हज़ारों बीघा ज़मीन हो, उन हज़ारों और लाखों किसानों को ज़मींदारी प्रथा के नाश से खुशी हुई और वह आशा लगाये बैठे हैं कि अब उनके दिन फिरेंगे लेकिन अब भूमि सुधार लागू करने में अधिक विलम्ब करना उचित न होगा, कारण उनके दिलों में एक आग लगी हुई है। मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र की बताऊं कि वहां ठोली स्टेशन पर तीन हज़ार बीघे ऊख की ज़मीन मालूम नहीं किसी साहब की थी देखी और उसके बगल में मैंने उन ग़रीब किसानों और मज़दूरों की झोंपड़ियां देखीं जो चौबीसों घंटे काम करते हैं लेकिन उनके पास अपनी कोई ज़मीन नहीं है। मैं डाक्टर पंजाबराव से कहना चाहता हूं कि वह इस बात से न घबरायें कि ज़मीन बांटने पर उपज कम हो जायगी, फिर खुराक़ का सवाल देश के सामने आयेगा, क्योंकि आज ज़मीन को लेकर इतनी अनसर्टेनटी है (अनिश्चतता है) कि जो बहुत ज्यादा ज़मीन वाले हैं उनको भी इसका विश्वास नहीं है कि उनके पास कितने दिन ज़मीन रहेगी। और इसका असर उपज पर पड़ रहा है। इस सवाल पर प्लानिंग कमिशन ने विचार किया और इस सम्बन्ध में उसने जो सुझाव पेश किया वह मुझे बहुत पसन्द है, लेकिन उसको अमल में लाने के लिये खुद प्लानिंग कमिशन या मिनिस्टर साहब जो कुछ कर रहे हैं, उससे मुझे संतोष नहीं है। इस सिलसिले में यहां पर जो एक सैंट्रल लैंड रिफ़ार्म कमेटी बनायी गयी, कुछ रिसर्च का काम हुआ, वह मुझे नाकाफ़ी मालूम होता है। इस काम को तो सबसे बढ़ कर प्रायरिटी मिलनी चाहिये थी और मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि अगले साल जब आप हमारे सामने आयें तो हमें बतलायें कि हमने स्टेट गवर्नमट्स को बतला दिया है कि इतनी ज्यादा से ज्यादा एक आदमी अपने पास ज़मीन रख सकता है और हमें यह भी बताया जाय कि जिनके पास ज्यादा ज़मीन थी,

उनसे लेकर बेज़मीन वालों को बांट दी गयी। मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं कि आज देश का किसान यदि चुप है तो उसके केवल दो कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि आज देश की बागडोर पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथ में है जिनकी व्यक्तित्व की छाप किसानों के दिलों में बैठी हुई है, क्योंकि उन्होंने सन् २० से आजतक किसानों के बीच में काम किया है और वे किसानों के दिल व दिमाग को बखूबी जानते हैं और इसलिये किसानों को विश्वास है कि उनके रहते उनका हित ही होगा और ज़मींदारी विनाश होने से उन्हें यह आशा हो चली थी कि ज़मीन बांटी जायगी और दूसरे श्री विनोबा का भूदान आन्दोलन है। यह दो व्यक्तित्व आपको बचाये हुये हैं। आज किसान बैचैन है और हम ज्वालामुखी के मुंह पर बैठे हैं और किसी क्षण भी विस्फोट हो सकता है, और यह समय का तकाज़ा है कि बेज़मीन लोगों में तुरन्त ज़मीन बांटी जाय। मैं जानता हूं कि आपके दिलों में हम से कम सहानुभूति उन बेज़मीन और गरीब किसानों के लिये नहीं है, लेकिन इस काम में देर न की जानी चाहिये, क्योंकि अब किसानों का सब्र खत्म हो चला है और आपके पुराने साथी होने के कारण मैं आपको चेता देना चाहता हूं कि यह दो व्यक्तित्व ज्यादा दिनों तक इस चीज़ को नहीं रोक सकते, इसलिए समय रहते आप इस समस्या को हल (साल्व) कर लें। इसलिए मैं बहुत प्रेम और नम्रता के साथ किदवई साहब तक अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहता हूं कि वह समय की गति पहिचानें, और एक वर्ष के अन्दर अन्दर एक प्लान लाकर इस भूमि समस्या को हल कीजिये। मुझे आपसे बड़ी आशा है और मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि इन बातों पर आप विचार करेंगे और अगले साल उसको अमल में लायेंगे।

श्रीमती मिनीमाता (बिलासपुर-दुर्ग-रायपुर—रक्षित—अनसूचित जातियां) : उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में बहुत दिनों के बाद मैं बोल रही हूं। समय ऐसा आगया है कि सदस्यगण ही नहीं वरन सारा देश कृषि मंत्री महोदय जी को बधाई दिये बिना नहीं रहेंगे। नियन्त्रण की त्राहि प्रायः हट चुकी है और सारे देश में अनाज की कहीं कमी नहीं रह गयी है। एक ज़माना था जबकि धनी से लेकर ग़रीबों तक को अधिक रक़म देने पर भी अनाज नहीं मिलता था और चारों ओर हमारी सरकार की निन्दा की जाती थी पर थोड़े ही दिनों में हमारे मंत्री महोदय की लगन और कोशिश ने इस त्राहि और निन्दा को खत्म कर दिया।

इस वर्ष मुझे कृषि मंत्रालय की रिपोर्ट पढ़ने से मालूम हुआ है कि सरकार छोटी सिंचाई ट्यूब, कुआं और अधिक अन्न उपजाने के लिये करोड़ों रुपया खर्च कर रही है। जहां तक गौसदन, गौ संवर्धन और केन्द्र ग्राम की योजनाओं का सवाल उठता है, मैं देखती हूं कि पशु रक्षा उनके नस्ल और दूध देने की शक्ति बढ़ाने के लिये सरकार की चाल यदि धीमी रही तो सौ साल में भी देश के पशुओं की सर्वांगीण हालत नहीं सुधर सकती और पशुओं की सहायता के बिना देश में खेती नहीं की जा सकती है। ट्रैक्टर देहातों में और छोटी टुकड़ी के खेतों में सफल नहीं हो सकता। देश में बरसात के दिनों में और माता या अन्य बिमारियों में लाखों गौ मौत के शिकार हो रहे हैं। सौ, सौ गांव के बीच उनके इलाज का कोई इन्तज़ाम नहीं है। किसान और उसके निर्बल पशु की शक्ति के बाहर है कि वह २०, २५ मील तक जा करके अपने पशु का इलाज करवायें। देश में अधिकांश भाग खास कर मध्य प्रदेश, मध्य भारत, विन्ध्य प्रदेश, उड़ीसा और बंगाल आदि राज्य हैं

[श्रीमती मिनीमाता]

जहां गाय एक पाव भी दूध नहीं दे सकती यहां तक कि बछडों के लायक दूध भी नहीं मिलता। और लोगों को खोजने पर भी दूध नहीं मिलता, दूसरी ओर कलकत्ता और बम्बई जैसे नगरों में हज़ारों नौजवान गायों और बैलों की निर्दयपूर्ण हत्या की जाती है।

तीसरे सरकार बनस्पति तेल को बढ़ावा दे रही है, घी का रोज़गार मारा जा रहा है और सरकार मिलावटी बनस्पति को भी रोकने का कोई प्रयत्न नहीं कर रही है। यह देश की आर्थिक हालत को बिगाड़ने का तरीक़ा है और स्वास्थ्य को भी ख़राब करता है, ख़ास कर बैनस्पति घी से सांस की बीमारी हो जाती है। सरकार इस पर शीघ्र ही ध्यान दे। जहां तक घानी और ढेकी को उत्साहित करने का सवाल है सरकार की कोशिश अत्यन्त असंतोषजनक है। इतना ही नहीं उल्टा फ्लोर मिल धान के छिलके निकालने के लिये और तेल मिलों का प्रसार देहात देहात में हो रहा है और हजारों गरीब विधवायें बेकार हो रही हैं। मीठे तेल के बीजों को भी मिलें घानी से छीन रही हैं। देश के किसान कर्ज से दब रहे हैं, चाहे वे काबली हों, पठान हों, पंजाबी हों, सिख हों या मारवाड़ी हों इनके मारे किसान दिनों दिन गरीब होते जा रहे हैं। फसल पकने के पूर्व किसान को कर्ज में अनाज और रुपया नहीं मिलता। वे साहूकार भी रुपया में दो आना ब्याज, मूलधन दुगना कर के और सूद पर सूद लगा कर कर्ज देते हैं। और जमीन का बिक्रीनामा और रजिस्ट्री करा लेते हैं। सरकारी बैंकों से किसानों को उचित मात्रा में रुपया नहीं मिलता है। ४, ५ लाख जनता के लिये एक छोटा सा बैंक देहातों में होना जरूरी है। और उस बैंक के पास रकम होना चाहिये, ताकि किसानों को जरूरत पर पैसा मिल सके। दूसरे प्रान्तों की तो मैं नहीं बोल सकती पर मध्य प्रदेश में आजकल खेत की मरम्मत और तालाब की खुदाई के लिये तकाबियों का मिलना बन्द हो गया है। इस ओर सरकार को ध्यान देना आवश्यक है।

अब मैं सरकार का ध्यान मध्य प्रदेश के चावल पैदा करने वाले छत्तीसगढ़ के क्षेत्र की ओर दिलाती हूं। बम्बई के खानदेश, बिहार और आंध्र में जब एक ही बार वर्षा की कमी हुई और फसल कमजोर हुई तो केन्द्र ने करोड़ों रुपये की मदद दी और मंत्री और आफिसर खुद मौका देखने के लिये गये। छत्तीसगढ़ सैकड़ों वर्षों से लाखों टन चावल अन्य स्थानों और प्रान्तों को देता रहा है। गत दो वर्षों में छत्तीसगढ़ की ६० लाख आबादी के क्षेत्र में से १०-१५ लाख आबादी के एक क्षेत्र में पांच बार वर्षा की कमी हो गई है। फसल नहीं हुई, हजारों लोग गांव छोड़ कर दूर भाग गये, और घर खाली होने के कारण शायद चूहों ने मकान खोद फेंकने के लिये पंच वर्षीय योजना बना ली है। यह क्षेत्र वृष्टि छाया के हैं, फिर भी हमारे केन्द्र ने कोई ध्यान नहीं दिया। तालाब और कुएं सूख चुके हैं और इस साल भी अकाल पड़ गया है। सरकार से प्रार्थना है कि तालाबों की खुदाई करके, नालों को बंधवा करके, छोटी सिंचाई के सैकड़ों कार्य खोले ताकि यह क्षेत्र बार बार अकाल का शिकार होने से बचे। साथ ही किसानों को भी सहायता मिले।

बस मुझे इतना ही कहना है।

सरदार लालसिंह (फ़ीरोज़पुर-लुधियाना) : मैं बोलना तो चाहता था बागबानी के सम्बन्ध में क्योंकि मैं गत वर्ष आसाम गया था और मैंने वहां पर फलों को डब्बों में बन्द करने के उद्योग का परीक्षण भी किया था किन्तु कुछ कारणोंवश मैं उसे अपने भाषण

का विषय नहीं बना सकता हूं। फिर भी, मैं अनुभव करता हूं कि आसाम की समृद्धि बहुत कुछ इसी उद्योग पर निर्भर है। मैं उच्चतम सीमा निर्धारित करने के भी पक्ष में नहीं हूं। यदि ऐसा किया गया तो पढ़े लिखे लोगों को बाहर निकल जाना पड़ेगा तथा यह उद्योग केवल अनपढ़ और अनुभवहीन व्यक्तियों के हाथ में रह जायेगा।

अब मैं सरकार की चीनी नीति को लेता हूं। पिछले वर्ष सरकार ने गन्ने की कीमत में २५ प्रतिशत की कटौती कर दी थी। ऐसा न करने के लिये गन्ना उत्पादकों से लेकर भारतीय केन्द्रीय गन्ना कमेटी तक ने कहा था। मगर सरकार ने किसी की भी सलाह न मानी और गन्ने की कीमत में कमी कर दी। सरकार का उद्देश्य यह था कि इस प्रकार उपभोक्ताओं को सस्ती चीनी मिलने लगेगी। लेकिन इस नीति का परिणाम उल्टा हुआ है। गन्ने का उत्पादन कम हो गया है। किसान राज्य द्वारा दी गई सहायता को भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। यद्यपि कीमत में कटौती कर देने से किसानों को १५ से २० करोड़ रुपये तक की हानि हुई है लेकिन इससे उपभोक्ताओं को कोई लाभ नहीं हुआ है। चीनी की कीमत वही है। इसके अलावा देश में अब तक २$\frac{1}{2}$ लाख टन चीनी आयात की जा चुकी है और भविष्य में पांच लाख टन की जाने वाली है। इस प्रकार ३० से ४० करोड़ रुपये लग जायेंगे। यदि यही चीनी देश में तैयार की जाती तो बेकारी काफी सीमा तक दूर हो सकती थी। इसके अलावा विदेशी मुद्रा भी नष्ट न होता।

सबसे बड़ी दुःख की बात तो यह है कि हम उस वस्तु का आयात कर रहे हैं जिसे हम देश में वांछित मात्रा तक तैयार कर सकते हैं। १९५१–५२ में चीनी उद्योग ने १५ लाख टन चीनी तैयार की थी जबकि हमारे देश की मांग केवल १३ लाख टन है। यदि उस समय सलाह मान ली गई होती तो (१) किसान सन्तुष्ट रहते; (२) कृषि में विकास होता; (३) चीनी मिलों को अधिक से अधिक गन्ना मिल जाता और वे अधिक समय तक चलती रहतीं; (४) हमारे पास बहुत अधिक चीनी होती; हमें आयात करने की आवश्यकता न होती और न ही ३० से ४० करोड़ रुपये तक की विदेशी मुद्रा नष्ट होती तथा साथ ही सरकार को भी अधिक राजस्व प्राप्त होता और (५) उपभोक्ताओं को भी अधिक कीमत न चुकानी पड़ती। वास्तव में, इस समय तक हम फालतू चीनी तैयार करने लगते और उसे निर्यात करके विदेशी मुद्रा प्राप्त कर सकते थे।

वर्तमान स्थिति अत्यन्त शोचनीय है, क्योंकि यदि हम चीनी का आयात नहीं करेंगे तो हमारे यहां उसकी बहुत कमी हो जायगी और १९४९ की तरह इसके दाम भी बहुत ज्यादा बढ़ जायेंगे; यदि हम चीनी का आयात करते हैं तो इस से उद्योग को भारी नुकसान होने का खतरा है। वास्तव में, सब से अधिक खेद की बात तो यह है कि काश्तकारों के दृष्टि-कोण को समझने की कोई कोशिश नहीं की जाती; उद्योग से संबन्धित सारे पक्ष अपने अपने स्वार्थ की ही चिन्ता करते हैं। बेचारा काश्तकार ही नुकसान में रहता है क्योंकि उसकी सुनने वाला कोई नहीं है। सब लोग चिल्लाते हैं कि चीनी के दाम सस्ते करो और साथ साथ यह भी कहते हैं कि गन्ने के मूल्य में कमी करो क्योंकि चीनी के मूल्य का ६२ प्रति-शत गन्ने का मूल्य होता है। इस बात को जानने की कोई चिन्ता नहीं करता कि अन्य देशों में चीनी के दाम कम क्यों रहते हैं। इस के मुख्य रूप से छः-सात कारण हैं। जो मैं आपको बताता हूं। (१) अन्य देशों में चीनी उद्योग पर इतने भारी कर नहीं लगाये जाते जितने भारत में लगे हुए हैं। (२) चीनी पैदा करने

[सरदार लालसिंह]

वाले कुछ देश चीनी का निर्यात मूल्य घरेलू मूल्य के मुक़ाबले में कम निश्चित करते हैं ताकि उन की अतिरिक्त चीनी बिक सके और उन्हें विदेशी बाज़ार तथा विदेशी मुद्रा प्राप्त हो सके। (३) अन्य देशों में गन्ने की प्रति एकड़ पैदावार बहुत ज्यादा है और गन्ने से भी अधिक मात्रा में चीनी निकाली जाती है। (४) अन्य देशों में उपोत्पाद उद्योग होने के कारण किसी भी चीज़ को बेकार नहीं जाने दिया जाता। उदाहरण के लिये खोई को कार्ड-बोर्ड एवं विभिन्न प्रकार के रासायनिक बनाने तथा शीरे को शराब आदि के बनाने के काम में लाया जाता है। (५) उगाने वालों को कई प्रकार की सुविधायें दी जाती हैं; उन्हें सस्ती दरों पर ऋण दिया जाता है और उर्वरक तथा मशीनें आदि भी कम दामों पर दी जाती हैं। (६) कृषि सम्बन्धी मशीनों के प्रयोग से उनको बहुत कम खर्चा पड़ता है। हमारे यहां की लागत आस्ट्रेलिया के मुक़ाबले में चारगुनी अधिक है। इन्हीं सब कारणों से बाहरी देशों में चीनी के दाम सस्ते होते हैं। हमारे यहां अभी खेती पुराने तरीक़ों से ही होती है और हमारे काश्तकारों को उतनी सुविधायें भी उपलब्ध नहीं हैं जितनी अन्य देशों में है। परन्तु इस पर भी यह आशा की जाती है कि वे विदेशी काश्तकारों के साथ होड़ करें।

चीनी के मूल्य अधिक होने के अन्य कारण भी हैं जिन पर लोग ध्यान नहीं देते। उदाहरण के लिये, सरकार ५ या ६ रुपये प्रति मन कर के रूप में ले लेती है। किसी और देश में इतना भारी कर नहीं लगाया जाता। फिर, मिलें प्रतिवर्ष लगभग ५½ लाख टन शीरे का उत्पादन करती हैं जो सब का सब सरकार द्वारा ४ आना प्रति मन के हिसाब से ले लिया जाता है, जब कि शीरे में चीनी के दाम ५ या ६ रुपये प्रति मन तक होते हैं। जिसका अर्थ यह है कि जिस शीरे के दाम दस करोड़ रुपये होने चाहियें, उस को सरकार केवल ३५ लाख रुपये में खरीद लेती है। सरकार इसे शराब बनाने के लिये दे देती है और अन्धाधुंध फ़ायदा उठाती है। मैं पूछता हूं कि सरकार शीरे के कुछ ज्यादा दाम क्यों नहीं देती और अपना थोड़ा सा फ़ायदा क्यों नहीं छोड़ देती ताकि उपभोक्ताओं को चीनी सस्ती मिल सके और काश्तकारों को भी कुछ ज्यादा दाम मिल सकें?

जहां तक उपकर का प्रश्न है, गन्ने पर उपकर किसी देश में नहीं लगाया जाता। यदि लगाया भी जाता है तो उसे गन्ना उद्योग के विकास पर ख़र्च किया जाता है। परन्तु यहां क्या होता है? १९४९–५० में उत्तर प्रदेश, बिहार और बम्बई ने कुल १९,१५,००,००० रुपया उपकर के रूप में वसूल किया था। उचित तो यह था कि यह सारा रुपया गन्ने के विकास के काम में लाया जाता परन्तु वास्तव में केवल २,५१,००,००० रुपये ही ख़र्च किये गये और शेष १६,६४,००,००० रुपये सामान्य राजस्व में मिला दिये गये। यह एक बहुत अनुचित बात है और ऐसा कभी नहीं किया जाना चाहिये।

आज देश की सब से बड़ी आवश्यकता उपोत्पाद उद्योग को विकसित करना है। हम अपनी १५–२० लाख टन खोई को इन्सुलेटरों, काग़ज़, पैकिंग बक्स आदि के बनाने के काम में ला सकते हैं। इसी तरह अन्य चीजों को भी प्रयोग में लाया जा सकता है। सरकार को चाहिये कि वह इस सम्बन्ध में स्वयं आगे बढ़े और आवश्यक क़दम उठाये।

मैं डा० देशमुख से यह अपील करूंगा कि वह चीनी उत्पादन के सम्बन्ध में एक स्थिर नीति अपनायें। उदाहरण के लिये, गन्ने के

विकास और अन्वेषण का काम १९४४ या १९४५ तक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा किया जाता था। बाद में यह काम भारतीय केन्द्रीय गन्ना समिति को सौंप दिया गया था। जब इस को काम करते करते चार पांच वर्ष हो गये तो फिर इसे वापस भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद को सौंपने का फ़ैसला किया गया। जब इस के बारे में अभ्यावेदन किया गया तो उन्होंने आदेश तो रद्द कर दिया परन्तु चीनी और गन्ने के विकास के काम को अलग अलग कर दिया। मेरी राय में यह फ़ैसला बिल्कुल ग़लत है और सरकार को एक दिन इसे रद्द करना पड़ेगा क्योंकि चीनी और गन्ने के विकास का काम एक दूसरे से इतना सम्बन्धित है कि इसे अलग नहीं किया जा सकता।

एक बात जो बार बार कही जाती है वह यह है कि चीनी उत्पादन में वृद्धि होने से खाद्यान्नों के उत्पादन में कमी हो जायेगी। यह चीज़ ग़लत है। गन्ने की खेती कुल जोते हुए क्षेत्र के अधिक से अधिक एक प्रतिशत भाग में होती है और इसमें वृद्धि करने से कोई विशेष अन्तर नहीं पड़ सकता। दूसरे, गन्ना भी उतना ही अच्छा खाद्य है जितना कोई दूसरा अनाज। केलोरी की दृष्टि से, एक एकड़ में पैदा हुए गन्ने से हमें उतना ही खाद्य प्राप्त हो सकता है जितना पांच या दस एकड़ में पैदा हुए अनाज से। इस आधार पर भी सरकार को विदेशों से चीनी का आयात नहीं करना चाहिये, ख़ास तौर पर जब कि हम अपने देश में ही काफ़ी चीनी पैदा कर सकते हैं।

५ म० प०

अन्त में मैं इतना ही कहूंगा कि यदि चीनी के दाम कम करने हैं तो सारे सम्बन्धित पक्षों के त्याग से ही ऐसा किया जाना चाहिये, केवल काश्तकार का ही गला नहीं घोटा जाना चाहिये।

श्री कानूनगो (केन्द्रपाड़ा) : आज देश में कुछ ऐसी भावना है कि संकटकाल समाप्त हो चुका है और अब हम बिना किसी चिन्ता के बैठे रह सकते हैं। परन्तु मेरा यह विचार है कि ऐसी कोई बात नहीं है, अभी इससे बड़ा संकट हमारे सामने आ सकता है। यह सच है कि अनाज के दाम गिर रहे हैं। जैसा कि सब जानते हैं हमारे देश के ८० प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर हैं और यदि उन्हें अपने परिश्रम से लाभ नहीं होता तो इसका अर्थ यह है कि देश की सामान्य अर्थ-व्यवस्था गिर रही है। यदि हम काश्तकारों को प्रोत्साहन देना चाहते हैं तो यह आवश्यक है कि हम उन्हें उनके उत्पादन का उचित मूल्य उपलब्ध करायें। जब सट्टा बाज़ार में एक दम से शेयरों के दाम गिरने लगते हैं तो सारे देश में हल्ला मच जाता है और उसके लिये कार्यवाही की जाती है; परन्तु जब लाखों और करोड़ों व्यक्तियों के भाग्य का प्रश्न होता है तो कोई उस पर ध्यान तक नहीं देता। मेरे विचार में इसका एक इलाज यही है कि हम एक ऐसी व्यवस्था स्थापित करें जो इस बात का प्रयत्न करे जिससे कि किसानों को अपने उत्पादन का निश्चित एवं लाभप्रद मूल्य मिलता रहे। विभिन्न राज्यों के नागरिक प्रदाय विभाग इस कार्य को कुशलतापूर्वक कर सकते हैं और हमें उनकी सेवाओं का पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिये। यह एक ऐसा विभाग है जो हमारे किसानों को आर्थिक समस्याओं पर विशेष परामर्श दे सकता है और सम्पूर्ण स्थिति का अध्ययन कर के उन्हें अपनी सहायता प्रदान कर सकता है। संगठित उद्योग तो कुशल अर्थशास्त्रियों की सेवायें प्राप्त कर सकते हैं, परन्तु उन ग़रीब किसानों की सहायता के लिये कोई तैयार नहीं होता। देश में उत्पादन बढ़ाने के लिये यह आवश्यक है कि हम काश्तकार का स्तर ऊंचा करें। तब ही उसकी दशा में सुधार हो सकता है और वह अधिक उत्पादन कर सकता है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मैं इस मौक़े पर कोई

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

कन्वेंशनल और ट्रेडीशनल बात नहीं करूंगा । बहुत मौक़े आये हैं जब मैं अपने श्री क़िदवाई को बधाई दे चुका हूं । जो हालत हम ने पिछले चन्द सालों में खुराक़ की देखी वह हाउस के किसी पुराने मेम्बर से छिपी नहीं है कि आयेदिन किस क़दर ज़ोर शोर से इस मसले पर बहसें होती थीं और सारे देश पर एक तरह का ऐसा गहरा असर था जैसे किसी की मुर्दनी पर असर होता है, सारे देश में ऐसा असर था । जब इस देश के अन्दर खुराक़ की कमी बतलायी जाती थी तो लोगों को बड़ा दुःख होता था क्योंकि हम में से अक्सर लोग यह महसूस करते थे और मैं आज भी उस पर क़ायम हूं कि हमारा देश अपनी ज़रूरत भर का अनाज पैदा कर सकता है, और मैं तो इस राय का हूं कि हमारे देश के अन्दर कभी भी अन्न की इस क़दर कमी नहीं थी जितनी हमारी यूनियन गवर्नमेंट कहा करती थी और हमारे एग्रीकलचर मिनिस्टर की तरफ़ से कहा जाता था कि हम क्या करें स्टेट गवर्नमेंट्स की अनाज की मांग पूरी करने के लिये हमें बाहर से अनाज मंगाना पड़ रहा है और यह ४०० करोड़ पौंड स्टर्लिंग हमारा चंद सालों में बाहर से खुराक़ मंगाने में कम हुआ । यह जो खुराक़ के वास्ते पिछले चन्द सालों में माली नुक़सान हुआ, मैं समझता हूं कि यह हमारा और स्टेट्स के एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स का क़सूर है जिनके कारण हमें यह खमियाज़ा भुगतना पड़ा है । मैं तो आज खुश हूं कि आज वह दिन आया जब हमारे मिनिस्टर साहबान अपनी रिपोर्ट में लिखते हैं कि अब वक्त आ गया है और नियरर सेल्फ़ सफ़िशियेंसी हैं, हम सेल्फ़ सफ़िशियेंट भी हैं और हमारे देश में हमारी ज़रूरत से ज्यादा अनाज पैदा होता है । मुझे यक़ीन है और आयन्दा जब हम देखते हैं कि कितनी बड़ी बड़ी स्कीम्स हमारे वहां चल रही हैं तो मुझे कोई शुबहा नहीं रहता है कि आने वाले सालों में हमारा देश इतना अधिक ग़ल्ला पैदा करने लगेगा जो कि न सिर्फ़ उसकी ज़रूरत भर को काफ़ी होगा बल्कि वह बाहर भी अपना ग़ल्ला भेज सकेगा । मैं इस मौक़े पर देशमुख साहब को बधाई दिये बग़ैर नहीं रह सकता कि किस कदर मेहनत और दौड़, धूप कर के उन्हों ने इस राइस कल्टीवेशन के बारे में काम किया है । वैसे जब कोई मिनिस्टर साहब सामने बैठे हों, तो मैं उनकी तारीफ़ में फ़ितरतन तो चार क़ल्मे ख़ैर से कहना पसन्द नहीं करता, क्योंकि ऐसा करना ख़ुशामद में शामिल होगा, लेकिन अगर मैं इस मौक़े पर उनको यह ख़िराज अदा न करूं तो मैं अपना फ़र्ज़ अदा नहीं कर पाऊंगा : वह इसके मुस्तहक़ हैं, क्योंकि जिस तरीक़े से उन्होंने काम किया है वह क़ाबिले तारीफ़ है और राइस कल्टीवेशन के बारे में जो तरक्क़ी हुई है उसमें उन का सब से बड़ा हिस्सा था । अभी चन्द रोज़ हुए जब उन्हों ने एक कमेटी में फ़रमाया था कि देश के अन्दर कोई पैसीमिज़्म की वजह नहीं है और देश की आबादी अगर दो गुनी हो जाये तो भी अनाज काफ़ी होगा, तो उन के इस बयान को सुन कर मुझे बहुत खुशी हुई और समझता हूं कि उन की यह बात हौसला बढ़ाने वाली है। देश के अन्दर आज जो आबपाशी की योजनाएं चल रही हैं उनके चलते देश अगर ठीक तरह से काम करेगा और साइंटिफिक क़ायदे से चलेगा तो देश के अन्दर खुराक़ की कमी नहीं रहेगी, मुझे उनके ऐसा कहने में कोई एग्ज़ैजरेशन नहीं मालूम होता, क्योंकि अगर एग्ज़ैजरेशन करना होता तो वह यह क्यों लिखते कि हम ने अभी कार्नर टर्न किया है । और कम्प्लेसेन्ट न होना चाहिये । मुझे इस बात का दुःख है कि बावजूद ऐसे हालात के होते हुए भी ९६ करोड़ रुपया इस देश का बाहर से अनाज मंगाने के वास्ते भेजा गया ८६ करोड़ तो गल्ले की लागत और दस करोड़ फ्रेट चार्जेज़

वग़ैरह पर लग गया। तीस, चालीस करोड़ रुपये की यहां खांड मंगवाई गयी, जिस देश में इतनी उम्दा खेती के लिये ज़मीन हो उस के लिये बाहर से अनाज मंगाया जाय, इस से ज़्यादा शर्मनाक चीज़ और क्या हो सकती है, हर एक शख़्स जो इस देश में बसता है उस के लिये इस से ज़्यादा शर्म की बात और कुछ नहीं हो सकती। यह चीज़ जो बाहर से मंगवाई जाती है, उस के लिये हम यह समझें कि स्टेट्स से रुपया वसूल कर लेंगे और स्टेट्स दूसरों के हाथ में उसे बेच कर रुपया वसूल कर लेंगीं। यह तो उसी तरह है कि एक कुत्ते के मुंह में हड्डी होती है वह समझता है कि खून इस हड्डी से निकल रहा है लेकिन निकलता है उस के मुंह से। यह देश का नुक़सान है कि एक अरब, चालीस करोड़ रुपये की बाहर से ये चीज़ें मंगवाई जायं और यह देख कर हमें बड़ा दुःख होता है और मैं चाहता हूं कि अगली दफ़ा हमारे सामने कोई ऐसा बजट पेश न हो जिस में यह खांड या अनाज इस देश के बाहर से मंगवाया जाये।

मैं अब जनाब की तवज्जह दूसरी तरफ़ दिलाना चाहता हूं। हम अगर ज़्यादा अनाज भी पैदा करें तो जैसा मैं ने अर्ज़ किया हमारे ज़िन्दा रहने की ज़मीन तो इन्हों ने तैयार कर दी, हमें मरने नहीं दिया। हमारे फूड मिनिस्टर बतलायें कि दुनिया के अन्दर जो लोग रहते हैं उन के फूड में और हमारे फूड में कितना फ़र्क है, कितनी कैलोरीज़ फूड हम को मिलता है और कितनी दूसरों को मिलती है। हमारी एक वेलफ़ेयर स्टेट है, लेकिन दूसरे देशों की अपेक्षा हमारे खाने में कैलोरीज़ बहुत कम हैं। इस हाउस में बहुत दफ़ा ऐदादोशुमार पेश किये गये, मैं ख़ुद कई दफ़ा उनको पेश कर चुका। बाहर तीन हज़ार कैलोरीज़ मिलती हैं जब कि हमारे यहां का औसत बारह सौ कैलोरीज़ का है। डेनमार्क और इंग्लैंड में दो सेर और सवा सेर दूध प्रति आदमी का औसत था जब कि सन् ३५ में सात छटांक हमारे वहां का औसत था, ४.७५ एक आदमी का कंजम्पशन दूध का अब रह गया है। १६ फ़ीसदी फ़ैम्लीज़ देश में ऐसी बसती हैं जो यह नहीं जानतीं कि दूध क्या होता है। इस सिलसिले में मैं अपना तजुर्बा बयान करूं। मैं एक कमेटी का मेम्बर होकर कटक उड़ीसा में गया था, जब मैं वहां पहुंचा तो मेरे होस्ट साहब को फिक्र हुई कि इनकी ख़ातिर क्यों कर की जाय और उन्होंने मुझ से पूछा कि आप क्या खायेंगे। मैं ने कहा कि मैं पंजाब का रहने वाला हूं, मैं तो दूध पियूंगा। अब उन को एक काफ़ी दिक़्क़त पेश आगयी कि मेरे लिये दूध कहां से लायें और मैं आप को बतलाऊं कि उड़ीसा का वह एक बड़ा शहर था और वहां राइस का इतना बड़ा सेंटर है, वह वहां तलाश करने पर भी मेरे लिये दूध का इन्तज़ाम नहीं कर सके, और लाचार हो कर उन बेचारों को मुझे चाय पिलानी पड़ी, मामूली बात थी। वहां से चलकर जब मैं आगे पहुंचा तो वहां के दफ़्तर वालों को पता लग गया कि मैं दूध पीने वाला हूं तो उन्हों ने बड़ी मेहनत से कई गायों को दुह कर मेरे वास्ते थोड़ा सा दूध ला दिया। मैं ने उनका बहुत शुक्रिया किया कि उन्हों ने मुझे दूध पिलाया। मुझे यह जानकर बहुत दुःख हुआ कि न मालूम आध सेर दूध के वास्ते उनको कितनी तक़लीफ़ और दिक्कत उठानी पड़ी।

मैं बीकानेर के म्यूज़ियम में गया जहां मैंने वह तलवार देखी जिस को राजपूत सिपाही उठाया करते थे, आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि तीन आदमी मिलकर भी उस तलवार को नहीं उठा सकते, तो आज हमारी हालत यह हो गयी है। यह इस कारण है क्योंकि इस देश के अन्दर दूध नहीं है। मैं आप को बतलाऊं कि कुछ अर्सा हुआ जब हमारे बैल हिसार से एक दिन के अन्दर दिल्ली में लोगों को ले आते थे, लेकिन आज वह हालत

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

नहीं है । अभी पशुओं के सिलसिले में मेरी बहिन जो मध्य प्रदेश की थीं, उनकी स्पीच को सुन कर मुझे बेहद खुशी हुई और मुझे पूरा यक़ीन है कि उनका एक एक लफ़्ज़ सभापति जी और श्री देशमुख के दिल पर असर कर रहा होगा । आज पशु बीस मन का बोझ उठाते हुए रो कर चलते हैं । पहले चालीस मन के गड्डे को आसानी से खेंचते थे ।

डा० पी० एस० देशमुख : पंजाब में दूध है ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : आज पंजाब में भी दूध काफ़ी नहीं है । आज हालत यह है कि मेरे ज़िले के अन्दर जहां गायें पन्द्रह सेर दूध देती थीं, आज पुरानी गवर्नमेंट की मेहरबानी से वह आठ, दस सेर से ज़्यादा नहीं दे पातीं ।

डा० पी० एस० देशमुख : हमारे कैटिल शो में तो अच्छी और तगड़ी गायें थीं ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मुझे तसल्ली नहीं है, लेकिन मैं इस की बुराई भी नहीं करना चाहता । आज मैं अदब से अर्ज़ करना चाहता हूं कि क्या कांस्टीट्यूशन आपको पाबन्द नहीं करता कि आप इम्प्रूवमेंट आफ़ ब्रीड करें, क्या क़ानून की दफ़ा ४८ आप को इसके लिये पाबन्द नहीं करती कि आप टोटल बैन आन स्लाटर लगायें । मैं इस सिलसिले में पंडित नेहरू से मिला, उनकी खिदमत में हाज़िर हुआ और उन से इस बारे में बातचीत हुई और वह भी इस हक़ में हैं कि देश के अन्दर यह कैटिल का स्लाटर न हो । मैं ज़ोर के साथ कहता हूं कि देश में उन के विरुद्ध बहुत सी बातें फैलायी जाती हैं जैसे वे गाय का गोश्त खाते हैं, जो कि बिल्कुल ग़लत और बेबुनियाद है । मुझे मालूम है कि पंडित नेहरू इस चीज़ के बरख़िलाफ़ नहीं हैं कि देश के अन्दर कैटिल का स्लाटर न हो । श्री रफ़ी अहमद क़िदवाई के बारे में मैं पहले ही हाउस में ज़िक्र कर चुका हूं, उन्हों ने भी बहुत साफ़ शब्दों में पटना में इस बात का ऐलान किया था कि एक एक जानवर की रक्षा करना इस देश की गवर्नमेन्ट की ज़िम्मेदारी है और डमोक्रसी को अगर हम चाहते हैं तो इस देश में टोटल बैन आन काऊ स्लाटर लागू करना होगा । मैं पूछना चाहता हूं कि जब सारे मिनिस्टर्स और सारी स्टेट गवर्नमेंट्स इसके हक़ में हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर इस के हक़ में हैं, तो फिर क्या कारण है कि हम उसको अमल में नहीं ला पाते और कैटिल प्रीज़रवेशन कर पाते । आप ने फ़ाईव ईयर प्लान बनाया और कहा गया कि १६० गौ सदन पांच वर्ष में खोले जायेंगे और आपने ९७ लाख रुपया भी इस काम के वास्ते रक्खा, लेकिन नतीजा क्या है, आप का फ़ाईव ईयर प्लान अपनी जगह पर क़ायम है और आज के दिन भी रोज़ गायें मारी जाती हैं । मैं पूछना चाहता हूं कि आपने कितने गौसदन क़ायम किये हैं । रिपोर्ट में मिलता है कि आठ गोसदनों को शुरू कर दिया है । जिस देश में १९ करोड़ डंगर हैं उस में अगर आप ने चन्द सौ डंगरों को आठ गौ सदनों में रखना शुरू भी कर दिया तो क्या आप ने अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया ? फ़ाईव ईयर प्लैन में जो गौसदन बनने थे . . .

डा० पी० एस० देशमुख : डंगर आते ही नहीं हैं ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : कौन कहता है कि नहीं आते हैं, आप रुपया भी देते हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : साढ़े तीन सौ से ज्यादा डंगर नहीं आये ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं ने एक दफ़ा पूछा था पुरानी गवर्नमेंट से कि सिपाही को आप डेरी से दूध व मक्खन देते हैं तो जवाब दिया कि वह मांगते ही नहीं हैं । ऐसा ही हाल

आप का है आप कहते हैं कि डंगर नहीं आते हैं। मैं आज फिर कहता हूं कि आप रुपया खर्च कीजिये डंगर आप से आप आ जायेंगे। लेकिन फ़िक्र किसे है ?

डा० पी० एस० देशमुख : योजना तैयार है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : कहां पर है ? मैं रोज सुनता हूं कि योजना तैयार है। लेकिन मैं आप से पूछता हूं कि आप ने ९७ लाख रु० में से कितना रुपया खर्च किया ?

डा० पी० एस० देशमुख : मेम्बर साहब ने गोसदन की योजना को खुद मंजूर किया है ?

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं अदब से अर्ज़ करना चाहता हूं कि योजना मौजूद हैं। यह सुन कर मसल याद आती है,

"हिसाब ज्यों का त्यों कुनबा दूर क्यों"

उन के पास योजना मौजूद है, मगर अमल में नहीं आती। मैं पूछता हूं कि आप की गवर्नमेन्ट ने १०० करोड़ रुपया ग्रो मोर फूड कैम्पेन पर खर्च किया, लेकिन आप ने इस ऐनिमल हस्बैन्ड्री पर कितना खर्च किया; छः लाख रुपये ? और वह ऐनिमल हस्बन्ड्री क्या है ? हिसाब किताब की रू से आप के बैल गाय और डंगर २२ सौ करोड़ रुपये आप के लिये पैदा करते हैं। मैं पूछता हूं कि आप कैसे जस्टिफाई करते हैं इस चीज़ को कि आप पहले से चौगुने बछड़ों की खालें हिन्दुस्तान से बाहर भेजते हैं ? आप कान्स्टिट्यूशन की कद्र करते हैं। मैं जानता हूं कि जहां तक कान्स्टिट्यूशन का सवाल था किसी सेक्रेटरी के दिमाग ने चक्कर खाया और २ दिसम्बर १९५० को एक लेटर निकला गोहत्या के प्रोत्साहन के लिये यहां से; मुझे मालूम है कि श्री मुंशी ने और श्री किदवई ने उस लेटर को आयन्दा सपोर्ट नहीं किया। माना, लेकिन अब तक वह लेटर मौजूद है जो कि कान्स्टिट्यूशन के खिलाफ़ है जो कान्स्टिट्यूशन मिनिस्टर और मिनिस्ट्री से ऊपर है। उसकी कितनी मुखालफ़त हुई, लेकिन वह आज तक विथड्रा नहीं हुआ। मैं कल लखनऊ गया, गोसंवर्धन इन्क्वायरी कमेटी के सामने गवाही देने के लिये। लोग कहते हैं कि गवर्नमेन्ट यूजफुल कैटल का ही स्लाटर क्यों बद करती है ? कान्स्टिट्यूशन की दफ़ा जो हम ने १९४७ में पास की थी; उस पर कोई अमल नहीं मानता। इस लिये मैं आप की खिदमत में अर्ज़ करता हूं कि मेरी मुसीबत यह है कि मुझे इस वक्त इस हाउस में बैन आफ कैट्ल स्लाटर के असल मामले पर नहीं जाना है। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूं कि इस बात की अहमियत पर कोई तवज्जह नहीं करता। चाहे आप इस को बैन कर दें, देश इस को बैन कर दे, लेकिन यह सवाल हल नहीं होगा। यह उसी वक्त हल हो सकता है, जब आप दरअस्ल सही मानों में इस की अहमियत को समझेंगे कि एक ज़मींदार के वास्ते, एक किसान के वास्ते गाय की क्या अहमियत है।

आप फारेस्ट को कायम रखना चाहते हैं। लेकिन फारेस्ट की पालिसी में आप ने कहां तज़वीज की है कि इन जानवरों के लिये खुराक़ मुहैया करने के वास्ते भी इन फारेस्टों को कायम रखना होगा और जानवरों की खुराक़ की बढ़ोतरी इन का मक़सद अव्वलीन में होगा।

मैं जल्दी जल्दी में चन्द चीज़ें अर्ज़ करना चाहता हूं जिन पर मैं चाहूंगा कि आज के हमारे मिनिस्टर साहब गौर फरमायें। आइन्दा के वास्ते जितने फारेस्ट देश में हैं उन के ऊपर यह लाजिमी करार दिया जाय, वह इन को अपने कार्य में शामिल कर लें, अपने एग्जिस्टेन्स के एम्स ऐंड आब्जेक्ट्स में शामिल कर लें कि जानवरों के वास्ते चारा मुहैया करना और उन की और ज़रूरतों को पूरा

[पंडित ठाकुरदास भार्गव]

करना उन का फ़र्ज़ होगा । और अगर आप इस चीज़ को मानें तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आप की जो प्राबलेम्स जानवरों के बारे में हैं उन के हल होने में बड़ी इमदाद मिलेगी ।

दूसरी चीज़ जो मैं अर्ज़ करना चाहता हूं वह यह है कि आज कल हिन्दुस्तान में कितने पास्चर्स हैं ? दूसरे मुल्कों में तो शायद दो एकड़ फी जानवर एक पास्चर का प्रोवीजन मिलेगा । मुझे अपने पंजाब का तजुर्बा है; जहां गांव गांव में पास्चर पड़े हुए हैं, लेकिन पास्चरों का इन्तजाम पिछली गवर्नमेन्ट ने नहीं किया । अगर यह गवर्नमेन्ट पास्चरों का अच्छा इन्तजाम करे, और उस में लेगुमिनस ग्रास उगाई जाय तो मैं कह सकता हूं कि सारे जानवरों का पालन हो सकता है ।

इस के बाद मैं दूसरी चीज़ जो अर्ज़ करना चाहता हूं वह फाडर क्राप्स के बारे में है । इस के वास्ते यह फैसला कर दिया जाय कि जिस आदमी के पास २५ या ३० एकड़ से ज़्यादा जमीन है, वह कम से कम दस फी सदी एकड़ पर फाडर क्राप रेज़ करे । यह चीज़ें हो सकती हैं । इन तजवीज़ों के मानने से जानवरों की खुराक का मसला हल हो जावेगा । अगर आप के कहने के मुताबिक यहां पर फूड दुगुना हो जायेगा, तो अपने आप ही मसला तै हो जायेगा । आप की फाइव इअर प्लैन में लिखा है कि यहां ७८ परसेन्ट जानवरों के लिये चारा मौजूद है, २८ परसेन्ट कंसेन्ट्रेट मौजूद है । आप ने और सोर्सेज देखे नहीं । फाइव इअर प्लैन में सन् १९२० के जो अदाद दिये हैं, उनसे आज तक आप के मवेशियों की तादाद स्टेशनरी रही है । आप सिर्फ यू० पी० को देखिये । पिछले ४७ वर्षों में जानवरों की तादाद ४ लाख कम हो गयी है । मैं पूछता हूं कि अगर जानवरों की तादाद कम हो गई, आप की रिपोर्ट में लिखा है कि दूध की मिक़दार में काफी कमी हुई है, गवर्नमेन्ट आफ इंडिया की रिपोर्ट में जो लिखा है अगर वह सही है तो इस का नतीज़ा क्या निकला ? इस के माने यही हैं कि जो छोटे छोटे बच्चे जिन को दूध मिलना चाहिये वह दूध नहीं पाते, तादाद भी कम हुई और दूध देने की ताकत भी कम हुई । यह दोनों चीज़ें दुरुस्त हैं और आबादी इस कदर बढ़ रही है तो बैलेन्स्ड डाइट कहां से लायेंगे ? क्या सरकार के लोग इस इलाके के अन्दर मछली खिलाना चाहते हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख: अच्छी बात है ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : आप के लिये अच्छी बात है । मैं अदब से अर्ज़ करना चाहता हूं कि मछली तो आप ही खा लें तो बेहतर है । आप ने बहादुरगढ़ का जिक्र किया इस मामले में जहां प्रदर्शिनी में पहली दफ़े मछली को शामिल किया लेकिन यहां के लोग मछली नहीं खाते । मैं आप से अर्ज़ करूंगा कि आप को चाहिये था कि आप दूध की तरफ़ ज्यादा तवज्जह देते । जहां तक दूध का सवाल है, मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि जिस किसान के वास्ते आप रोज आंसू बहाते हैं, उस किसान के बच्चे को छांछ भी पीने को नहीं मिलता जो कि उस का मेन प्राप आफ लाइफ है, किसान छांछ के बगैर जिन्दा नहीं रह सकता, जहां कभी दूध नहीं बिका करता था वहां अब छांछ भी बिकने लगा है । मैं फिर कहता हूं कि आप इस पर तवज्जह कीजिये । आप की सारी केबिनेट इस पर तवज्जह दे । यह हंसी की बात नहीं है, एन्डयोरेन्स और सब्र की हद्द होती है । अगर लोगों के काम करने की ताकत कम होती है तो यह नेशनल डिजास्टर आफ दि फर्स्ट आर्डर है । अगर दूध देने की ताकत कम होती है, तो हिन्दुस्तान के अन्दर एक

वैलुएबल फूड का स्रोत कम रहा है। यह जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं इन को आप क्यों भूलते हैं ? मुझे याद है कि पंडित जी ने एक मौक़े पर फ़रमाया था कि जहां छोटे आदमी और बड़े आदमी का सवाल उठेगा, मैं छोटे आदमी के मफ़ाद को तरजीह दूंगा। इस वास्ते मैं कहूंगा कि करोड़ों आदमी जो छांछ पीते हैं, उन का खयाल कीजिये। दूध वह दूसरों को देते हैं, छांछ वह खुद पीते हैं, उन को छांछ से भी महरूम न किया जाय। यह जमाना डिमाक्रेसी का है। असली डिमाक्रेसी यह है कि इन लोगों का खयाल किया जाय।

अब मैं यह कहना चाहता हूं कि जब हमारे जैरामदास दौलतराम साहब यहां थे, उन्हों ने बयान दिया था कि वनस्पति को रतनज्योति का रंग दिया जायेगा। वह चीज़ ऐसी है जो तमीज़ कर देगी वनस्पति में और घी में। आप क्यों नहीं रतनज्योति का रंग देते। अगर आप ऐसे करेंगे तो देश का भला होगा। आप ने बहादुरगढ़ में ऐसा चित्र दिखाया है—उस को क़बूल क्यों नहीं करते।

अभी मेरे से पहले एक लेडी मेम्बर ने इस बारे में बयान किया, और उन्हों ने मेरे दिल की बात बयान कर दी, जब तक आप इन बातों को नहीं करेंगे तब तक लोग नहीं समझेंगे कि आप देश का भला कर रहे हैं। आप की सारी चीज़ें शहरों के वास्ते हैं, आप को मालूम है कि राइट साहब ने क्या लिखा है ? उन्हों ने लिखा है कि सन १९३५ में जो तीन करोड़ रुपया गांवों को मिलना चाहिये था वह बनस्पति घी के द्वारा शहरों को दिया जाता है। आप को मालूम होगा कि दूध के बारे में उसी किताब में लिखा हुआ है, छपी हुई किताब है, उस में लिखा हुआ है कि जहां जहां पर तजुर्बा किया गया, जहां बच्चों को दूध मिलता था, वहां उन का कद छः महीनों में बढ़ गया बमुक़ाबले उन बच्चों के जिन को दूध नहीं पिलाया गया। इस लिये मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि अगर आप देश का केरेक्टर बिल्ड करना चाहते हैं, क्योंकि अच्छे फूड से केरेक्टर बनता है, शराब से और इसी तरह की दूसरी चीज़ों से जनता का मोरेल ख़राब होता है, यह तरक्की करने का अवसर है और लोगों को मच्छी खिलाना और शराब पिलाना बन्द कीजिये। अगर आप देश की सेवा करना चाहते हैं तो इस सुझाव पर ठंडे दिल से गौर कीजिये। २,२४४ क रोड़ रुपये में से जो फ़ाइव इयर प्लान पर लगना है इस काम के लिये काफ़ी रुपया ख़र्च कीजिये। अगर ज्यादा नहीं तो १०० करोड़ तो ख़र्च कीजिये। जितना ख़र्च करेंगे उस से कई गुना फ़ायदा होगा।

मैं ने पिछली दफ़ा अर्ज़ किया था कि कम से कम २० करोड़ रुपये तो फ़ौरन ख़र्च कीजिये। आपने १६० गो सदन, ६०० की विलेज स्कीम और आर्टीफ़िशल इन्सेमिनेशन सेन्टर्स खोलने की स्कीम बनाई थी, जो काफ़ी नहीं थी लेकिन उन में से भी कितनी पूरी हुई हैं यह तो कृपा कर के देखें। आप की स्कीमें इस मुल्क की इकानमी के साथ नहीं मेल खातीं। मैं तो इस हक में हूं कि आर्टिफ़िशियल इन-सेमिनेशन ज़ोर से किया जाय। मैं चाहता हूं कि केस्ट्रेशन बुल्स का किया जाय। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि आप ने कितने बुल्स का केस्ट्रेशन आज तक किया। क्यों आप इन पिछले छः सालों से सोये हुए हैं और जागने में नहीं—अब वायदा करने का वक्त नहीं है। अब काम करने का वक्त है। परमात्मा ने आप को अनाज के मखमसे से निकाल दिया है। यह भी दूसरा मसला फुड का ही है। इस की तरफ तवज्जह दीजिये और देश के असली इंटरेस्ट को समझिये और उस को हल कीजिये।

श्री बी० सी० दास (गंजम दक्षिण) : खाद्य मंत्री ने हमारे खाद्य सम्बन्धी क्षेत्र का बहुत भव्य चित्र खींचा है और यह दावा किया

[श्री बी० सी० दास]

है कि हम प्रायः आत्मनिर्भर हो गये हैं। मैं मंत्रालय के तथ्यों सम्बन्धी आंकड़ों पर विश्वास नहीं कर सकता क्योंकि मंत्री ने स्वयं कई बार कहा है कि ये आंकड़े विश्वसनीय नहीं हैं।

सरकार की नीति की जांच, जन-साधारण की इस के प्रति प्रतिक्रिया से की जा सकती है। सरकार के समर्थक पत्रों ने भी मंत्रियों के दावों को झूठा और निरर्थक कहा है। "हिन्दुस्तान स्टेंडर्ड" के सम्पादकीय में लिखा है कि यदि यह कहा जाये कि लोगों की पीड़ा का कारण उन की क्रय शक्ति की कमी है न कि खाद्य की कमी, तो इस का अभिप्राय यह है कि यह देश सदा आत्मनिर्भर रहा है। क्योंकि जब हजारों लोग मर रहे थे तो उस समय भी धनाढयों को कोई कठिनाई नहीं थी।

मंत्रालय प्रायः साम्राज्यवादियों के से तर्क प्रस्तुत करता है और वे कहते हैं कि निकासी घट गई है। अतः अवश्य बाहर खाद्यान्न अधिक होगा और लोग बाहर से खरीद रहे होंगे। दूसरा तर्क यह है कि हम ने आयात घटा दिया है अतः देश में काफी खाद्यान्न होगा और लोग खरीद रहे होंगे। परन्तु कुछ ऐसे निर्विवाद तथ्य हैं जिन्हें मंत्रालय गलत नहीं बता सकता है। लोगों की क्रय शक्ति घट गई है। देश में बेकारी की समस्या गंभीर रूप धारण कर रही है। हमें याद रखना चाहिये कि कम फसल की ऋतु में भूख के कारण हुई मृत्युओं के समाचार आया करते हैं। "टाइम्स आफ इंडिया" का यह शीर्षक सुनिये "मुज़फ़्फ़रपुर में एक व्यक्ति को भूख के कारण आत्महत्या करनी पड़ी।"

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : यह गत वर्ष का समाचारपत्र है।

श्री बी० सी० दास : गत वर्ष अर्थात् सितम्बर का है। मैं कम फसल की ऋतु की बात कर रहा हूं। ९ अगस्त के "हिन्दुस्तान स्टेंडर्ड" में भी ऐसे समाचार थे। फिर भी मंत्रालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि स्थिति बदल गई है।

अतिरिक्त खाद्यान्न वाले राज्यों को लीजिये। गत वर्ष उड़ीसा राज्य के वित्त मंत्री ने अपने आयव्ययक सम्बन्धी भाषण में कहा था कि हमें अपने लोगों के भोजन के लिए ४.९० करोड़ मन की आवश्यकता है और हमारा उत्पादन एक करोड़ मन कम है। परन्तु हम खाद्यान्न का निर्यात केवल मुद्रा विनिमय के लिए करते हैं। उन्हों ने कोरापट के लोगों के सम्बन्ध में भी बताया कि वे अर्द्ध-भूख की स्थिति में भी कमी वाले प्रान्तों को अन्न भेजते हैं। मंत्रालय इस प्रकार की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन दे कर केवल आंकड़े दिखा कर सफलता जतलाने में लगा हुआ है, अन्यथा उस में मानवी प्रेरणा का सर्वथा अभाव है।

यह दावा किया गया है कि अधिक भूमि में कृषि आरम्भ की जा चुकी है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने ये आंकड़े एक किये हैं कि इस वर्ष बेदखली के कारण कितनी भूमि बंजर हो गई है। कृषि का जापानी ढंग इतनी न्यून मात्रा में अपनाया गया है कि उस से कुछ अन्तर नहीं पड़ा। जो अन्तर हुआ है वह केवल इस कारण कि प्रकृति और मानसून हमारे प्रति सदय रहे हैं। कृषि संकट-काल के कारण देश में दो बातें हुई हैं, एक प्रति एकड़ खाद्यान्न उत्पादन की कमी और दूसरे कृषि के क्षेत्र में कमी।

डा० बर्न की पुस्तक के अनुसार १९१४ से १९१८ तक प्रति एकड़ चावल का उत्पादन ९८२ पौंड था। परन्तु १९५०–५१ में प्रति एकड़ उत्पादन ४८० पौंड रह गया है। कृष्य भूमि कम हो गई है।

हमारी खाद्य स्थिति क्या है ? इस की तुलना अमरीका, यूरोप और रूस से नहीं वरन्

लंका और अन्य दूर पूर्व के पिछड़े हुए देशों से कीजिये । भारत का प्रति व्यक्ति उपभोग उन देशों की तुलना में कम है ।

डा० पी० एस० देशमुख : भारत में सारा भार खाद्यान्न पर रहता है । दूसरे देशों में वे किसी प्रकार का मांस खा लेते हैं ।

श्री बी० सी० दास : माननीय मंत्री को यह उत्तर देने से ही संतोष नहीं मिलना चाहिये वरन् समस्या का ठीक ढंग अपनाना चाहिये ।

इतने कम उपभोग, प्रति एकड़ कम उत्पादन और आर्थिक संकट के काम में किसी भी ऐसे मंत्री को जो लोक हित का ध्यान रखता हो, इस प्रकार की घोषणा नहीं करनी चाहिये कि हम आत्मनिर्भर हो रहे हैं । उन्हें तो यह कहना चाहिये कि हम अंग्रेजों के ढंग अपनाते रहे हैं और इस कारण समस्या को सुलझाने में असफल हुए हैं ।

मंत्री इस महत्वपूर्ण बात को भूल गये हैं कि इस कालावधि में कृषक की उपेक्षा की गई है ।

[**पंडित ठाकुर दास भार्गव** पीठासीन हुए]

बंगाल, बिहार उड़ीसा में बहुत बेदखलियां हुई हैं । पंजाब के मुख्य मंत्री ने घोषणा की है कि वहां इस वर्ष १।। लाख कृषकों को बेदखल किया गया है ।

एक और महत्वपूर्ण बात नियमों के सम्बन्ध में है । यदि कोई अनधिकृत रूप से कृषि करे तो उस से प्रति वर्ष सामान्य किराये का चार पांच गुना लिया जाता है । अपने निर्वाचन-क्षेत्र के दौरे में मुझे एक ऐसे मामले का पता लगा जिस में अनधिकार रूप से कृषि करने पर उस फसल को नष्ट कर देने का आदेश दिया गया । सौभाग्यवश मैं मुख्यमंत्री से मिला और उन्हों ने इस आदेश को कवाया । "अधिक अन्न उपजाओ" आन्दोलन के नाम पर सरकार इस प्रकार की कठोर नीति अपना कर कृषकों की उपेक्षा कर रही है ।

श्री लक्ष्मय्या (अनन्तपुर) : मैं मांग का समर्थन करते हुए कुछ बातें कहना चाहता हूं । बारह वर्ष के संकट काल के पश्चात् पहली बार हम अपने घरेलू उपभोग के लिए अपनी इच्छा के अनुसार चावल और गेहूं खरीद सकते हैं । अब हमारे खाद्य मंत्री ने घोषणा की है कि हम आत्मनिर्भरता की स्थिति के समीप पहुंचने वाले हैं । जापानी ढंग को अपनाने से ९ लाख टन चावल की वृद्धि हुई है । यह भी एक सफलता है । ग्रामीण क्षेत्रों में एक अखिल भारतीय पशु प्रदर्शनी की जा रही है । इन सब बातों का श्रेय कृषि तथा खाद्य मंत्रियों को है । मैं उन्हें बधाई देता हूं ।

हमारा देश कृषि प्रधान है । परन्तु पिछली एक आध शताब्दी से कृषकों की उपेक्षा की जा रही है । यदि उन की स्थिति को न सुधारा गया तो यह देश सम्पत्ति सम्पन्न और समृद्ध नहीं हो सकता । मैं इस सम्बन्ध में कुछ सुझाव रखना चाहता हूं । एक राष्ट्र तीन प्रकार से धन का अर्जन करता है, युद्ध द्वारा, व्यापार तथा वाणिज्य द्वारा और कृषि द्वारा । कृषि का साधन सब से श्रेष्ठ है क्योंकि इस से एक कृषक ईमानदारी से अपने परिश्रम का फल प्राप्त करता है । हमारे देश के कृषक दरिद्र और साधनहीन हैं और इस कारण वे देश की भूमि को उपजाऊ नहीं बना सकते ।

देश की समृद्धि, कृषि के सुधार और खाद्य उत्पादन में वृद्धि के लिए हमें सर्वप्रथम एक अधिकतम मूल्य निश्चित करना चाहिये । दूसरे, अनाज के लाने ले जाने पर कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिये । इस से गरीब कृषकों को लाभ होगा । यदि उन्हें तीन वर्ष के लिए एक अधिकतम मूल्य का आश्वासन दिलाया

[श्री लक्ष्मय्या]

जाये तो वे अपनी स्थिति को पहचान जायेंगे और अधिक उत्साह तथा अभिरुचि के साथ उत्पादन बढ़ायेंगे। अन्यथा वे अपने परिवारों के लिए धन कमाने के प्रयोजन से अधिक वाणिज्यिक फसलें बोते हैं।

कृषकों के पास कृषि के अतिरिक्त कोई और उपव्यवसाय नहीं है। उन्हें केवल भूमि की उपज से ही गुजर करना पड़ता है। इसलिए कृषकों के कार्य-व्यय और श्रम का हिसाब लगा कर उपयुक्त मूल्य निर्धारित करना चाहिये। हमारी सरकार को उन्हें उत्साह और प्रेरणा देनी चाहिये, उन में नई शक्ति जगानी चाहिये। तब वे इतनी उपज बढ़ा सकेंगे कि हमें बढ़ती जनसंख्या का भी भय नहीं रहेगा।

आप कृषकों की कठिनाइयों, शिकायतों और मांगों को जानते हैं। वे दुखद स्थिति में हैं। उन्हें कृषि के लिए वित्त की आवश्यकता रहती है।

मैं चाहता हूं कि केन्द्र और राज्यों में ग्रामीण वित्त निगम स्थापित किये जाने चाहियें। कृषकों को अल्पकालीन, मध्यम कालीन और दीर्घ कालीन ऋण देने की सुविधाओं का प्रबन्ध होना चाहिये। उन्हें उन की निजी प्रतिभूति पर ही ऋण दिया जाना चाहिये। उन्हें महत्वपूर्ण आवश्यकताएं पूरी करने वाले समाज सेवक समझना चाहिये और भूमि के प्रति उन की जो दृढ़ भावनाएं होती हैं उन का आदर करना चाहिये। वे भूमि छोड़ कर कहीं नहीं भागेंगे। फसल बोने के समय बैल और अन्य उपकरण खरीदने के लिए उन्हें ७५० रुपये तक के ऋण दिये जाने चाहियें। जो तकावी ऋण दिये जाते हैं वे अपर्याप्त हैं। सहकारी समितियां भी वित्त के अभाव के कारण ऋण नहीं दे सकतीं।

अन्त में मैं उखकोंडा तालुक के बारे में यह कहना चाहता हूं कि वहां के लोगों को पीने के पानी के लिए बहुत कठिनाई है। वहां सिंचाई की सुविधाएं भी नहीं है। हमारी प्रार्थना है कि तुंगभद्रा परियोजना में से एक उच्चस्तर (हाई लेवल) की नहर खोद कर उस क्षेत्र को पानी पहुंचाया जाना चाहिये।

श्री विभूति मिश्र (सारन व चम्पारन) : मैं आप को धन्यवाद देता हूं कि आप ने मुझे बोलने के लिए समय दिया। यह खेती का मामला है। इस में उन को समय देना चाहिये जो खुद खेती करते हों। मैं देखता हूं कि उन को समय दिया जाता है कि जो न खेतों में जाते हैं न खेती का काम करते हैं। किताबों के पढ़ने से खेती का काम नहीं हो सकता है। मैं चाहता हूं कि जो इस विभाग में काम करें वह रोज़ बरोज़ खेत में काम करने वाला हो। मैं ऐसा किसान हूं कि मैं रोज़बरोज़ खेती का काम देखता हूं। यह जो अनुदान आपके सामने प्रस्तुत है मैं उसका समर्थन करता हूं और फूड मिनिस्टर को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं क्योंकि वह हिन्दुस्तान की भलाई का काम कर रहे हैं। लेकिन उन के कामों में कुछ कमी है। हमारे किदवई साहब ने २५ जनवरी को ऐलान किया था कि ऊख में जो प्राफिट होता है उस में ग्रोअर को हिस्सा मिलेगा। लेकिन जो सवाल मैं ने यहां किये उन के जवाब में उन्हों ने यह नहीं बतलाया कि उन्हों ने क्यों सिर्फ़ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चार आने बढ़ा दिये और पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में क्यों नहीं बढ़ाये। उन्होंने आखिर में यह भी कहा कि मिल वाले चाहे जितना दें लेकिन अगर ऐसा था तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सरकार को चार आना बढ़ाने की आवश्यकता नहीं थी मिल वाले खुद बढ़ाते। यदि ऐसा किया तो उन को सब के लिए एक सा करना

चाहिये था । मैं उन को बलताना चाहता हूं कि पिछले साल बिहार में सात करोड़ मन गन्ना पैदा हुआ था पर इस साल सिर्फ तीन करोड़ मन ही पैदा हुआ है या उस से कुछ ज्यादा हुआ है । तो यह ऊख की खेती वहां पर ५० फीसदी क्यों कम की गयी। एक कारण यह है कि गन्ने में बीमारी लग गयी; दूसरा कारण यह है कि पानी ज्यादा हो गया और तीसरा और खास कारण यह है कि ऊख की क़ीमत घटा दी गयी । बिहार में ३० लाखे किसान ऊख की खेती में काम करते हैं और तीस हज़ार मज़दूर बिहार में ऊख की मिलों में काम करते हैं । यह जो तीस लाख किसान ऊख की खेती करते हैं अगर इन के परिवार में दस दस आदमी भी माने जायं तो तीन करोड़ आदमियों का इस से सम्बन्ध है । यही एक चीज़ है जिस की खेती से किसानों को रुपया मिलता है, इसी से वे मालगुजारी देते हैं, खाने पीने में खर्च करते हैं, स्कूल की फीस देते हैं और अपने रोज़मर्रा के काम करते हैं और इसलिये सरकार ने ऊख की क़ीमत गिरा कर किसानों का भला नहीं किया है । कहा जाता है कि इस से कंज़्यूमर की भलाई होती है । मगर जब गन्ना एक रुपया १२ आना मन बिकता था उस वक्त भी चीनी ३३ और ३५ रुपये मन बिकती थी और अब जब कि गन्ना एक रुपये सात आने मन हो गया तो भी उसी भाव पर चीनी बिकती है । तो इस से कंज़्यूमर को कहां फ़ायदा हुआ । इस से तो पूंजीपतियों को फ़ायदा हुआ । हम लोग जो किसानी करते हैं हमारी हालत नहीं सुधरती है । हमारे घरों पर फूस के सिवा खपरा तक नहीं लग सकता है । हमारा घर पक्का नहीं होता है । लेकिन मिल वालों के पांच सात साल ही में बैंक खुल जाते हैं । आप देखिये कि किसानों को क्या मिलता है । हिन्दुस्तान के ८० फ़ी सदी आदमी खेती करते हैं लेकिन हम ग़रीब के ग़रीब बने रहते हैं । परन्तु पूंजीपतियों और मिल मालिकों के घर पक्के बन जाते हैं । वह हवाई जहाज़ों में चलते हैं और उन के लड़के विलायत में पढ़ने जाते हैं । इधर हमारे लड़कों को खाना तक नहीं मिलता है पढ़ाई की तो बात ही कहां है । मैं चाहता हूं कि सरकार इस पर ध्यान दे । मैं आप को बताना चाहता हूं कि चम्पारन में महात्मा गांधी ने इंडीगो सत्याग्रह कर के हमारी भलाई की थी उस को लोग आज तक याद करते हैं । आप देखिये कि किसानों की भलाई किस में है । जब जवाहरलाल जी ने इलाहाबाद में व्याख्यान दिया था, जिस समय कि मदन मोहन मालवीय जी भी थे, तो उन्हों ने कहा था कि हिन्दुस्तान के किसानों का दुःख दूर करना यह हमारा सब से पहला काम होगा ।

हमारे लिये आप क्या करते हैं । आज छः सात साल हो गये । हम किसान लोगों ने सारी ज़िन्दगी हिन्दुस्तान में कांग्रेस के साथ लगाई और हिन्दुस्तान के हम किसान हैं । मैं पूछता हूं कि साहब ये किसान खेती करते हैं उन के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वे अपने बच्चों को पढ़ा सकें । और दूसरी तरफ़ एक पूंजीपति को देखिये कि वह अपने बच्चों को किस तरह से पढ़ाता है । उस के पास कितना धन है । २८ चीनी की मिलें हैं और उन का तीन करोड़ आदमियों से सम्बन्ध है । उन की हालत देखिये और जो चीनी मिलों के मालिक हैं उन की हालत को देखिये । उन के पास, मिल मालिक के पास, कितना पैसा है । आज जो खेती की हालत है और खेती के पैदावार की चीज़ें हैं और दूसरे इंडस्ट्रियल कमोडिटीज़ की जो चीज़ें पैदा होती हैं इन दोनों का मिलान कीजिये, दोनों की तुलना कर के फिर उस हिसाब को अपने सामने रखिये । तब पता लगेगा किस को क्या मिलता है । दोनों को देख कर क़ीमत ठीक करें । ऐसा नहीं कि एक इंडस्ट्री बढ़ती जाय और थोड़े आदमी धनी होते जायं ।

[श्री विभूति मिश्र]

हिन्दुस्तान की इकानामिकल कंडीशन में यह हालत होती जा रही है कि धनी लोग धनी होते जाते हैं और दूसरी तरफ़ ग़रीब आदमी गरीब होते जाते हैं। इस को दूर करने के लिये सरकार को कोशिश करनी चाहिये अगर सरकार इस को अविलम्ब दूर नहीं कर सकती है तो हिन्दुस्तान से ग़रीबी नहीं जा सकती। उस हालत में हम लोगों को बड़ी लाचारी रही है कि क्या करें।

हम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जिन्हों ने हिन्दुस्तान की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी जिस में ग़रीबों ने अधिक उत्साह के साथ हिस्सा लिया, अगर गरीबों का भला नहीं होगा, तो हम को लाचार हो कर पं० जवाहर-लाल जी नेहरू से कहना पड़ेगा कि आप इस को दूर करने के लिये जल्दी से जल्दी मुल्क में क्रान्ति लाइये। हम लोग इसलिये जेलखाने नहीं गये कि कुछ थोड़े से लोग यहां धनी होते जायं।

हमारे वित्त मन्त्री कहते हैं कि साह कैपिटल फ़ार्म नहीं होता है। उन की स्पीच सुन कर मुझे तो हैरानी होती है। आप चार आना मन किसानों को देते हैं। आप वह चार आना पैसा हम से ले लीजिये। आप कहिये कि हम को पैसा चाहिये, सरकार को कैपिटल चाहिये तो जो बिहार में और यू०पी० में पैसा दिया जाता है वह हम आप को देंगे। आप इससे कैपिटल फ़ार्म कीजिये और इस सरकार को चलाइये। तो यह प्राइवेट सैक्टर और पबलिक सैक्टर सुन कर मैं तो हैरान हूं। आप तो इस सब को पबलिक सैक्टर बनाइये, कोई हर्ज़ नहीं है। यह प्राइवेट सैक्टर के क्या माने हैं। यह तो आप इस तरह अच्छी अच्छी चीज़ों को ही देखते हैं। लेकिन आप किसानों की तरफ़ जाइये, उन की हालत को देखिये। यह फूड मिनिस्टर और फूड कमिश्नर क्या हैं? फूड कहीं दिल्ली में नहीं होता है। फूड कहीं पटना में पैदा नहीं होता है, फूड कहीं मद्रास में पैदा नहीं होता है। फूड पैदा होता है गांव में और गांव में आप जावेंगे तो आप को पैदल चलना पड़ेगा। मैं पूछता हूं कि क्या कोई फूड मिनिस्टर पैदल गये हैं, किसानों के घरों पर गये हैं, किसानों के खेतों पर गये हैं। नहीं गये हैं। बाढ़ आई नार्थ बिहार में तो केवल पंडित जवाहरलालजी पटना में गये और हवाई जहाज़ से चारों तरफ घूमे। आप में से गांव में कोई नहीं गये।

श्री एम० वी० कृष्णप्पा: हम भी किसान हैं, हमारा नाम ही कृष्णप्पा है।

श्री विभूति मिश्र: कोई नहीं गये। आप गांव में नहीं गये, कहीं और जगह घूम आवें यह दूसरी बात है।

डा० राम सुभग सिंह: गये थे।

श्री विभूति मिश्र: आप के यहां गये थे, नार्थ बिहार में नहीं गये। मैं नार्थ बिहार की बात कर रहा हूं। मैं नार्थ बिहार का रहने वाला हूं। मैं वहां की हालत जानता हूं।

दूसरी बात मैं यह कहता हूं कि जो यह कहते हैं कि लम्बी खेती में ज़्यादा पैदा होता है, मैं इस को चैलेंज करता हूं। आप चलिये और देखिये। जो छोटे छोटे किसान हैं, उन छोटे छोटे किसानों की खेती की पैदावार को काटिये और परता लगाइये तब आप को मालूम होगा कि लम्बी खेती में कम हिसाब आयेगा। फिर लम्बी खेती करने लग जाते हैं तो हिन्दुस्तान में उस से रोज़ रोज़ बेकारी बढ़ती जाती है। हिन्दुस्तान में खेतों में कमी होती जाती है। नतीजा यह होगा कि हिन्दुस्तान में क्रान्ति होगी। आप कहते हैं कि पैदावार बढ़ती है, लेकिन परचेजिंग पावर

कहां है । आप एक मिसाल लीजिये । जहां पर नदी है और बाढ़ आती है उस को छोड़ कर जहां पर इरिगेशन है, इरिगेशन से काम होता है, वहां की पैदावार की तुलना कीजिये । थोड़े से आदमियों के पास काफ़ी ग़ल्ला होता है और जिन के पास ज़मीन नहीं है उन के पास कुछ नहीं होता है । आप तुलना करेंगे तो पता लगेगा कि जहां इरिगेशन का एरिया है, वहां के आदमी ज़्यादा गरीब हैं, वहां ज़्यादा लैंडलैस आदमी हैं उन को ज़्यादा तकलीफ़ है वहां भी थोड़े से आदमी सुखी हैं ।

फिर संविधान में आप कहते हैं कि हम को आर्थिक समता देनी है । वह आर्थिक समता कहां है । यह आर्थिक समता कहां है कि धनी आदमियों के बच्चे तो पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरा बच्चा नहीं पढ़ सकता । मेरा बच्चा भी मैट्रिक्युलेशन में फर्स्ट क्लास में आ जाय, लेकिन हमारे बच्चों के लिये पैसे नहीं हैं कि वह विलायत जा कर पढ़ें और आप कहते हैं कि वह अच्छी तरह पढ़ कर हिन्दुस्तान में अच्छा काम करें । लेकिन एक पूंजीपति का बच्चा कितना ही मूर्ख हो, धीरे धीरे पढ़ ही जाता है । उस के पास इतने साधन और सहूलियतें हैं कि वह अमेरिका जा कर, विदेश जा कर, आयेगा और अच्छी जगह उस को गवर्नमेंट में कहीं न कहीं मिल ही जायगी ।

अब मैं एक दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि जो किसान हैं उन किसानों की आप मदद कीजिये, उन को उचित खाद दीजिये, उन को उचित सलाह दीजिये । मैं पूछता हूं कि आप के खेती विभाग में कौन सा अफ़सर है कि जो अपने को किसानों की तरह बना कर वहां गांवों में जाता है । इसी के लिये गांधीजी ने कहा है कि किसानों का रूप हो कर हम को काम करना चाहिये । यह आप के कोट पैंट, हैट नैकटाई लगा कर जो गांवों में जाते हैं तो इस से तो किसान भाग जायेंगे । किसानों के पास जाना है तो किसानों की तरह बन कर जाइये, वैसे कपड़े पहनिये, वैसा खाना खाइये, उन के साथ रहिये । तब किसानों से आप बात कर सकते हैं । इस तरह आप किसानों को इकट्ठा कीजिये, समझाइये, लैक्चर दीजिये कि खेती में क्या क्या उन्नति करना है । हमारे यहां गंडक का प्रोग्राम है । गंडक नहर बनाने का काम है । इसी तरह ट्यूबवैल का काम है । लेकिन यह ट्यूबवैल गांव में नहीं लगाये जाते हैं । आप बिहार में चलिये, मुजफ्फरपुर चलिये । वहां जाइये तो ट्यूबवैल रेलवे लाइन पर लगा है, गांव में नहीं लगाया जाता । हम वहां से बीस पचीस मील दूर रहते हैं, हमारे यहां ट्यूबवैल कौन बैठाता है । वहां कोई नहीं लगाता, रेल लाइन के दोनों तरफ़ लगाते हैं ।

एक बात और है, क्राप की प्लानिंग होनी चाहिये । क्राप की प्लानिंग नहीं है कि कितने में गेंहूं पैदा करें, कौन से खेत में गेंहूं पैदा करें, कहां गन्ना पैदा करें, कहां क्या पैदा करें । इसके बारे में कोई प्लानिंग नहीं है, यह होनी चाहिये ।

दूसरी बात यह है कि सरकार को चाहिये कि सीलिंग के बारे में ठीक ध्यान दे । ठीक ध्यान न देने से आज यह होता है कि कोई किसान मन से काम नहीं करता ।

सरकार को चाहिये कि जितनी जल्दी हो सके एक बिल लाकर खेती के लिये सीलिंग मुकर्रर करे ।

मेरे यहां तम्बाकू की खेती होती है । लेकिन उस पर ३० रुपये १४ आने मन की ड्यूटी पड़ती है । अब उसमें क्या बचत

[श्री विभूति मिश्र]

हो सकती है । जूट का हाल भी ढीला है । ऐसी हालत में आप देखिये कैसे किसान अपने लड़कों को पढ़ायेगा और कैसे खाना पीना करेगा । इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिये । हम मिनिस्टर साहब के पास दौड़े जाते हैं । मिनिस्टर हमारे पास नहीं आते । अशोक के समय में अगर किसी के यहां चोरी हो जाया करती थी तो अशोक की तनख्वाह से काट कर उसको रुपया दिया जाता था । अब हम मिनिस्टर साहब के पास दौड़े जाते हैं कि वह हमारा दुःख सुनें और मिनिस्टर को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिये भागना नहीं चाहिये । तो मैं पूछना चाहता हूं कि जैसा नन्दा जी ने बुला बुला कर पूछा है वैसा ही सबों को करना चाहिये ।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य अब अपना भाषण समाप्त कर दें ।

श्री रामजी वर्मा : सभापति जी, जो आज आपने मुझे थोड़ा सा समय दिया है इस थोड़े से समय में मैं आपके ज़रिये फूड मिनिस्टर साहब का ध्यान चीनी से सम्बन्ध रखने वाले गन्ना उत्पादकों की तरफ दिलाना चाहता हूं । इस सम्बन्ध में हाउस में दो चार मर्तबा बातें उठीं लेकिन हर मर्तबा उन पर लीपा पोती कर दी गयी और पर्दा डाल दिया गया । इस मुल्क में चीनी का एक बड़ा रोजगार है । आपकी जितनी १३९ चीनी की फ़ैक्टरियां हैं अगर उनको भर पूर गन्ना मिले तो मैं समझता हूं कि चीनी की न सिर्फ़ इस मुल्क की ज़रूरत पूरी हो सकती है बल्कि हम बाहर भी चीनी भज सकते हैं । लेकिन ऐसा होता क्यों नहीं । सरकार की तरफ़ से बीस पच्चीस बरस से इस उद्योग को प्रोटेक्शन मिला हुआ है । आपने प्रोटेक्शन दिया, हर तरह की सहूलियत दी लेकिन फिर भी अगर आज यह प्रोटैक्शन हटा लिया जाय तो आपकी यह १३९ फ़ैक्टरियां विदेशी चीनी का मुकाबला नहीं कर सकतीं और चीनी के रोज़गार को आगे नहीं बढ़ा सकतीं । मैंने यह सुना है कि इस सवाल को हल करने के लिये यह फ़ैक्टरियां दक्षिण भेजी जायेंगी । आप चाहे इनको दक्षिण ले जाइये या पहाड़ पर भेज दीजिये लेकिन आप इनकी रक्षा नहीं कर सकते । जो सरकार की पालिसी है उससे तो यह धंधा बंगाल की खाड़ी में पहुंच जायगा । आप कहते हैं कि हम चीनी सस्ती देना चाहते हैं । कितनी सस्ती देना चाहते हैं ? कंज्यूमर को यह कह कर आप भुलावे में डालते हैं । और जो गन्ना पैदा करने वाले हैं उनको आप भरपूर दाम नहीं देते हैं । आप यह नहीं देखते कि हम किस कीमत पर कंज्यूमर को चीनी देते हैं । आपका ध्यान इधर भी नहीं कि ग्रोअर की गन्ने के प्रोडक्शन पर क्या क़ीमत आती है । इसको आप कभी ध्यान में भी नहीं लाते कि उनका कास्ट आफ प्रोडक्शन गन्ने पर कितना है । यह आप ज़रूर देखते हैं कि चीनी तैयार करने में कितना कास्ट आफ प्रोडक्शन पड़ता है और उनको कितना मुनाफा देना चाहिय । यह आपकी पालिसी है । आप एक बीच की कड़ी को प्रोटेक्शन देते हैं । और उसी के बारे में सोचते हैं, न नीचे किसान के बारे में सोचते हैं और न कंज्यूमर के बारे में सोचते हैं । लेकिन आपकी यह पालिसी ज्यादा दिनों तक चलने वाली नहीं है । जब ग्रोअर्स ज़्यादा दाम मांगते हैं तो आप कहते हैं कि ज़्यादा दाम मत मांगों नहीं तो चीनी के दाम बढ़ जायेंगे । आप उनसे कहते हैं कि एक बात करो कि इंटेंसिव खेती करो ज़्यादा गन्ना फ़ी एकड़ पैदा करो । इससे अगर आपको गन्ने का कम दाम भी मिलेगा तो आपके घरों में ज्यादा पैसा पहुंच जायगा । बाहर के मुल्कों की बात सुनाई जाती है कि वहां पर तो १३०० , १४०० मन गन्ना एक एकड़

में पैदा होता है। इसके लिए आपने स्टेट गवर्नमेंट्स को सहूलियत दी कि वह सेस लगायें। सैस से करोड़ों रुपया हर साल वसूल होता है, लेकिन उस वसूली में से कितना आपने खर्चा किया है। मुझे जहां तक देखने का अवसर मिला है, जितना रुपया सेस से इस मुल्क के अन्दर वसूल किया गया है, उसका ३० परसेंट भी केन के डैवलैप्मेंट में खर्च नहीं हुआ है, बाक़ी ७० परसेंट आप हज़म कर जाते हैं, डकार भी नहीं लेते। कैसे ग्रोअर्स की हालत सुधरेगी। जब से सैस लगा है, उस के पहले गन्ने की जो पैदावार थी, ३०० मन, ३५० मन, ४०० मन, फी एकड़ उस सेस लगने के बाद, १०,१५ वर्ष के बाद, एक तोला भी वह पैदावार नहीं बढ़ी है। किसी व्यक्ति को इनाम भले ही बांट दिया हो, लेकिन पूरे हिन्दुस्तान में जो पैदावार होती है उसके जोड़ को लीजिये और हिसाब लगाइये तो पता लगेगा कि यह सब आर्गेनाइज़ेशन आपका बेकार रहा है। आपने जो बीच में रुपया लिया, इसको आपने सिर्फ हज्म किया और कोई कार्यवाही नहीं की।

तो जब यह पालिसी है कि आप अपने इनवेंशन के द्वारा और सहूलियतों के द्वारा गन्ने की पैदावार को बढ़ा नहीं सकते, तब किसान मांगता है कि हमारे दाम पूरे दे दीजिये, आप फिर क्यों नहीं देते। मैं आप से कहूं कि परिपार (गत तीसरे) साल में आपने दाम तय किया एक रुपया बारह आने। दो साल एक रुपया १२ आना गन्ने की क़ीमत रही। पर पार साल आपने एक रुपया तीन आने और एक रुपया पांच आने मन गन्ने की क़ीमत कर दी। इससे आप जानते हैं कि कितना नुक़सान हुआ, करोड़ों का नुक़सान हुआ। आपने एक रुपया तीन आने और एक रुपये पांच आने जो क़ीमत रखी तो उसका एक रुपया चार आने आप ऐवरेज रख लें। तो मैं समझता हूं कि इस तरह सिर्फ़ उत्तर प्रदेश में जहां ६६ मिलें चलती हैं, वहां पर ही गत वर्ष में कुल ७० लाख टन गन्ना मिलों को दिया गया था। तो ७० लाख टन गन्ने की क़ीमत जो हर मन पर आपने आठ आने मन घटा दी, तो उससे मेरा हिसाब है कि ९ करोड़ ४५ लाख रुपया यू० पी० के किसानों का उनकी पाकेट से छीन कर आपने कहां दिया, मिल मालिकों को। मिल मालिकों को आपने यह रुपया दिया है। अगर हिन्दुस्तान भर का इस तरह से जोड़ लिया जाय तो मैं समझता हूं कि कोई सत्रह अठारह करोड़ रुपया होता है जो कि आपने ग्रोअर के पास नहीं पहुंचने दिया। आप चाहते हैं कि ग्रोअर की खरीदने की शक्ति बढ़े। ग्रोअर्स की कैपेसिटी को, किसानों की पर्चेजिंग कैपेसिटी को, आपने इस तरह से घटाया तो आप किस तरह से उनसे आशा कर सकते हैं। आपने उनसे सायंटीफिक रिसर्च के लिये दस वर्ष से सेस लगा कर रुपया लिया। उससे एक तोला भी उनका उत्पादन नहीं बढ़ा। तब वह दाम मांगते हैं तो दाम आप बराबर घटाते जा रहे हैं। आप कमीशन मुक़र्रर करते हैं। आपकी तरफ़ से टैरिफ बोर्ड और बड़े बड़े एक्सपर्ट लोगों की कमेटी बैठाई जाती है। वे जांच करते हैं और उनकी जो राय आती है, एक्सपर्ट जो क़ीमत बताते हैं, वह क़ीमत भी आप नहीं देते हैं। आखिर इस कमेटी के बनाने में और उस पर रुपये बरबाद करने में क्या मतलब है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप जब इस तरह से यह करोड़ों रुपये किसानों के काट कर जो और जगह भेज रहे हैं। तो फिर कैसे गन्ने और चीनी काद स्ता हो सकता है।

यू० पी० के किसानों के कार्यकर्त्ताओं ने इस आन्दोलन को उठाया और इस साल आपसे कहा कि आप यदि गन्ने की पैदावार नहीं बढ़ा सकते तो ईमानदारी से उन किसानों का रुपया दे दीजिये, हमारे दाम बढ़ा दीजिये।

[श्री राम जी वर्मा]

आपने उसको पोलीटीकल लैविल पर लेकर कह दिया कि यह पार्टीबाज़ी का सवाल है। मुझे तो हैरत हुई जबकि उस दिन हमारे फूड मिनिस्टर साहब ने कहा कि यह तो सोशलिस्ट पार्टी के लोग आन्दोलन कर रहे हैं। मुझे तो इस बात का अभिमान है कि अगर प्रजा सोशलिस्ट पार्टी किसानों की इस बात को इस मांग को उठाती है तो यह सोशलिस्ट पार्टी अपना फ़र्ज अदा करती है और इसके ज़रिए हम आप का ध्यान इधर दिलाना चाहते हैं कि आप इसको सोचें और गम्भीरता से सोचें।

उस दिन हमारे फूड मिनिस्टर साहब ने यह भी कह दिया कि सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से जो यू० पी० के अन्दर पिकेटिंग हो रहा है उसमें सरकार का कोई झगड़ा नहीं, मिल वालों का कोई झगड़ा नहीं। ये तो पार्टी के लोग किसानों से लड़ते हैं। किसान गन्ना गिराना चाहते हैं और पार्टी के कार्यकर्त्ता कहते हैं कि मत गिराओ। मैं क्या कहूं। मिल वालों को भी मैं दोष नहीं दे सकता कि हमारे जो कार्यकर्त्ता पिकेटिंग करते रहे, जो आन्दोलन चलाते रहे जिसमें कई लेजिस्लेटर्स भी जेल गये हैं, मिल वालों ने उनके खिलाफ कोई बात की या किसानों ने कोई बात की यह मैं नहीं कहता, मगर मैं आपको बतलाऊंगा कि किसने उनके खिलाफ़ बात की। यहां मिनिस्टर साहब नहीं हैं नहीं तो मैं उनको याद दिलाता कि जिस दिन वह रामकोला गये थे उस दिन देखते कि वह कौन लोग थे जो पिकेटिंग करते थे और वह कौन लोग थे जिन्होंने उनको पीटा। मैं यह नहीं कहता कि वे सरकार के लोग थे। लेकिन मुझे यह कहते हुए लज्जा आती है कि वे हमारे पुराने कांग्रेस के साथी थे जिन्होंने कि उन पिकेटर्स को खदेड़ा घसीटा। आप कहते हैं कि ग्रोअर्स ने उनको घसीटा, खदेड़ा। लेकिन यह बात नहीं है। जो कार्यकर्त्ता पकड़े गये हैं आज आप उन पर मुकद्दमा चलाते हैं। उनको किसी और दफ़ा में गिरफ्तार किया गया था मगर अब दफ़ायें बदली जा रही हैं कि किस तरह से मुकद्दमा बने। यदि कोई आपका ध्यान इस तरफ आकर्षित करता है कि आप ग्रोअर्स का पेट न काटें तो आप खफ़ा होकर कहते हैं कि इसके पीछे पार्टी आर्गेनाइजेशन है। आप कहते हैं कि ग्रोअर्स और पार्टी का झगड़ा है। यह कह कर आप इस पर पर्दा डाल देते हैं। मैं आपको किसी और नीयत से नहीं बल्कि इसलिये यह चेतावनी देना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं और निहायत अदब के साथ अर्ज़ करना चाहता हूं कि आप इधर ध्यान दें क्योंकि ज्यादा दिनों तक आप हिन्दुस्तान के ग्रोअर को धोखे में नहीं रख सकेंगे और आप उसका दाम काट करके मिलों को नहीं चला सकेंगे। अगर आप इस तरफ ध्यान नहीं देंगे तो आप अपनी इस पालिसी से इन मिलों को सचमुच बंगाल की खाड़ी में पहुंचा देंगे।

आज हमारे फूड मिनिस्टर साहब को इस बात पर अभिमान है कि उन्हों ने फूड के प्रश्न को हल कर दिया है। मुझे इस में सन्देह है। मैं भी उन की तारीफ करता हूं, इस पर नहीं कि उन्हों ने फूड का मसला हल कर दिया बल्कि इसलिये कि जो आप ने एक बनावटी चीज़ कंट्रोल के रूप में लगा रखी थी उस को ढीला कर दिया। इस से लोगों को बहुत परेशानी थी। इस को हटा कर आप ने लोगों को राहत पहुंचायी है और इस के लिए आप को धन्यवाद दिया जा सकता है कि आप ने जो काम कर रखा था उस को लोगों के सिर पर से हटा लिया लेकिन इस से आप अगर यह समझें कि हम ने फूड के मसले को हल कर लिया तो मैं सच कहता हूं कि आप धोखे में हैं। मैं ने सुना है कि आप सचमुच इमरजेंसी के लिए भी कुछ करना चाहते हैं। मुझे यह मालूम हुआ है कि

आप सचमुच उतने भूले नहीं हैं, आप ने स्टाक करने के लिए बाहर से गल्ला मंगाया है, रंगून से चावल मंगा रहे हैं। यह अच्छी बात है कि आप इमरजेंसी के लिए मंगा रहे हैं लेकिन इस से मैं यह नहीं समझता कि आप ने फूड प्राबलम को हल कर दिया। इस के साथ साथ मैं ने यह भी सुना है कि आप जिस दाम पर रंगून से गल्ला मंगा रहे हैं वह कोई अच्छा दाम नहीं है। आप बहुत दाम दे रहे हैं। आप को चाहिये कि कम दाम पर खरीदें और मुल्क की उपज को बढ़ायें। आप यही रास्ता अख्तियार करें यही मेरा निवेदन है।

श्री अच्युतन (कोंगान्नूर) : महायुद्ध के आरम्भ होने के पश्चात भारत की खाद्य स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात कांग्रेस सरकार ने खाद्य स्थिति को यथासम्भव शीघ्र से शीघ्र सुधारने की ओर विशेष ध्यान दिया और वर्त्तमान खाद्य मंत्री श्री किदवई ने आयात को घटाने और आन्तरिक उत्पादन को बढ़ाने का भरसक प्रयत्न किया है। १९५२ में खाद्यान्न का उत्पादन ४७५.८ लाख टन तक बढ़ गया। १९५३-५४ में भी उत्पादन बढ़ गया है। १९५४ के आरम्भ में १४.४ लाख टन भण्डार था। यद्यपि बहुत से राज्यों में कोई राशनिंग या नियंत्रण नहीं है, किन्तु कुछ स्थानों पर एक राज्य से दूसरे राज्य में लाने ले जाने में कठिनाई होती है या इस पर प्रतिबन्ध लगा हुआ है। मेरे विचार में दक्षिण में इस बात की जांच करने का समय आ गया है कि वहां सब प्रकार के अन्तर्राज्य प्रतिबन्ध हटा कर त्रावनकोर-कोचीन, मद्रास, आंध्र और मैसूर का एक महाखण्ड बनाना सम्भव है या नहीं जिस से कि उसी महाखण्ड में किसी क्षेत्र विशेष में उपजा हुआ अनाज कमी वाले क्षेत्र को भेजा जा सके। इस से भाव घटेंगे-बढ़ेंगे नहीं। मुझे ज्ञात हुआ है कि मालाबार प्रदेश को छोड़ कर सभी जगह भाव कम हो गये हैं। धीरे धीरे हम आयात भी घटाते जा रहे हैं।

श्रीमान, त्रावनकोर-कोचीन को सब से अधिक प्राथमिकता दी जानी चाहिये। प्रति व्यक्ति १२ औंस राशन के हिसाब से यहां ५ ३/४ लाख टन का घाटा पड़ता है। हमारे यहां जन संख्या अधिक होने के कारण और भूमि कम होने के कारण हम कितना ही प्रयत्न क्यों न करें अपने लिये पर्याप्त अनाज नहीं उपजा सकते हैं और खाद्यान्न के सम्बन्ध में आत्मनिर्भर नहीं हो सकते हैं। अतः मेरा यह सुझाव है कि हमारे राज्य की खाद्य समस्या को सुलझाने के लिये इस राज्य के लोगों को उन स्थानों में बसाया जाना चाहिये जहां ट्रैक्टरों के द्वारा नई बस्तियां बसाई जा रही हैं। मैं ने सुना है कि मध्य भारत में लगभग दस लाख एकड़ भूमि केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन ने साफ़ की है। अतः हमारे राज्य के कुछ लोगों को ऐसे स्थानों में बसाया जाना चाहिये और खेती करने तथा बसने के लिये सब सुविधायें दी जानी चाहियें।

सहकारी कृषि के लिये किसानों को कुछ रियायतें और प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये। किन्तु सहकारी कृषि के साथ साथ सहकारी विक्रय की भी व्यवस्था होनी चाहिये। जब तक बीच के लोगों को हटा कर सहकारी विक्रय की व्यवस्था नहीं होगी तब तक किसानो की दशा सुधर नहीं सकती है। मैं जानता हूं कि यह राज्य का विषय है, किन्तु जब तक केन्द्र प्रोत्साहन नहीं देगा तब तक उतना अच्छा कार्य नहीं हो सकता है जितना कि हम चाहते हैं।

धान की खेती का जापानी ढंग एक प्रकार से नवीकरण ही है। किन्तु पर्याप्त प्रचार न होने के कारण हमारे राज्य के किसान इसे अपना नहीं रहे हैं। प्रचार पुस्तिकाओं इत्यादि के द्वारा किसानों को खेती के जापानी ढंग का

[श्री अच्युतन]

महत्व बताया जाना चाहिये । सहकारी कृषि के बिना भी यदि सारे भारत में जापानी ढंग को अपनाया जाये तो खाद्य समस्या हल हो जायेगी । किन्तु हमारी जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है कि इन सब ढंगों को अपनाने पर भी हम सब समस्याओं को हल नहीं कर सकते हैं ।

कुछ दिन पूर्व कृषि मंत्री ने कहीं कहा था कि किसी के पास अधिक से अधिक कितनी भूमि होनी चाहिये इस सम्बन्ध में हम शीघ्र ही कोई उच्चतम सीमा नहीं निश्चित कर सकते हैं । इस विषय में मेरा उन से मतभेद है । इस विषय में हम ने संविधान में भी उपबन्ध किया हुआ है । माननीय कृषि मंत्री को इस पर विचार करना चाहिये । हमें समय के अनुसार चलना चाहिये, नहीं तो हमारे स्थान पर और लोग आ जायेंगे । त्रावनकोर-कोचीन में क्योंकि हम इन सब योजनाओं को क्रियान्वित नहीं कर सके अतः लोग औरों के साथ हो गये हैं । जब तक हम त्रावनकोर-कोचीन में भूमि सुधार, अन्य श्रम सम्बन्धी विधान और नई बस्तियां बसाने के सम्बन्ध में कुछ विशेष कार्य नहीं करेंगे तब तक वहां कांग्रेस की पहले जैसी स्थिति नहीं हो सकती है ।

त्रावनकोर-कोचीन के आय-व्ययक में सब से अधिक धन चावल को आर्थिक सहायता देने पर व्यय होता है । इस प्रकार यदि हम प्रति वर्ष अपने १३ से १४ करोड़ रुपये तक के राजस्व में से पांचवां भाग या चौथाई भाग चावल की आर्थिक सहायता के लिये देते रहेंगे, तो और विकास कार्य कैसे हो सकेंगे ? १९५४–५५ के केन्द्रीय आय-व्ययक में आर्थिक सहायता के लिये कोई राशि नहीं रखी गई है । मुझे मालूम नहीं कि इस वर्ष क्या होगा । त्रावनकोर-कोचीन के वित्त मंत्री श्री पट्टम थानू पिल्ले ने स्थानीय विधान सभा में बताया था कि राज्य की खाद्य समस्या भारत सरकार के रुख पर निर्भर करती है ।

मेरे विचार में, मत्स्य-पालन के सम्बन्ध में कोई उन्नति नहीं हुई है । त्रावनकोर-कोचीन राज्य के पास काफ़ी लम्बा समुद्र-तट है । अतः यदि ट्रौलर्स, रेफ़्रिजिरेटर्स, बर्फ़ के संयन्त्रों तथा शीघ्र भेजने की व्यवस्था हो जाये तो आन्तरिक, तटीय तथा गहरे समुद्र में मछली मारने के काम में काफ़ी उन्नति हो सकती है । इस से वहां के लोगों को बड़ा सन्तोष होगा और वे कांग्रेस का साथ देंगे ।

अन्तर्राष्ट्रीय कृषि शिक्षा के लिये बहुत से लोग भारत से अमेरिका जाते हैं और अमेरिका के लोग भारत आते हैं । इस काम के लिये लगभग तीस या चालीस व्यक्ति चुने जा रहे हैं, मेरी यह प्रार्थना है कि इसमें हमारे राज्य को भी प्रतिनिधित्व दिया जाये जिस से हमारे लोग भी और देशों का खेती का ढंग सीख कर अपने खाद्य उत्पादन के ढंग में सुधार कर सकें ।

श्री ए० पी० सिन्हा : आज का कार्यक्रम क्या है ?

सभापति महोदय : सभा ७–३० प० म० तक होगी ।

श्री एच० एन० अग्रवाल (ज़िला जालौन व ज़िला इटावा–पश्चिम व ज़िला झांसी–उत्तर) : सभापति महोदय, मैं ने यह आशा छोड़ दी थी कि मेरा नाम पुकारा जायगा । लेकिन फिर भी जो मुझे मौक़ा मिला है उस के लिए मैं आप को धन्यवाद देता हूं ।

बहुत से आनरेबिल मैम्बरान को इस बात में सन्देह है कि जो मंत्रिमंडल ने दावा किया है कि जहां तक खाद्य समस्या का ताल्लुक़ है उस को उन्हों ने हल कर लिया है और अब कोई चिन्ता की बात नहीं है, वह ठीक है । सभापति जी, जैसा कि आप ने भी फ़रमाया, मेरा विचार

है कि अब वह समय आ गया है जब कि हमारे मुल्क में अनाज की कमी नहीं है। मेरा ख्याल है कि जितने अनाज की आवश्यकता है उतना अनाज हमारे देश में मौजूद है। क्योंकि हम देखते हैं कि अन्न के बारे में आप चाहे जिस पहलू से देखें यही पता लगता है कि हमारे देश में खाने की चीजों की कमी नहीं है। अगर हम पिछले तीन साल के आंकड़ों को देखें तो हम को मालूम होगा कि सन १९५१ में हम ने ४,१७,४४,००० मन गल्ला पैदा किया था।

उस साल हमारे मुल्क में कमी थी। लेकिन सन १९५२ में उस से ज्यादा पैदावार हुई और उस के बाद सन १९५३ में तो बहुत काफ़ी पैदावार हुई है, ४ करोड़, ७५ लाख ८४ हजार टन खाने के पदार्थ हमारे मुल्क में पैदा हुए जो कि उस के पहले की साल से ५० लाख टन के क़रीब ज्यादा है। आगे यह अन्दाज़ किया जाता है कि जो तरक्की के काम शुरू किये गये हैं जैसे सिंचाई का काम, खाद का काम, उस के अनुसार जो अन्दाज़ लगाया गया है वह अन्दाज़ यह है कि एक करोड़ पैंतीस लाख टन गल्ला अगले साल हमारे यहां इस साल से ज्यादा पैदा होगा। इस तरह यह अन्दाज़ लगाया जा सकता है और यह साफ़ है कि अब हमारे यहां जितने खाने वाले हैं, उन के लिये जितनी खाने की चीज़ें चाहियें, उस से कहीं आगे हम बढ़ जायेंगे।

यह चीज़ इस तरह से ही नहीं, बल्कि इम्पोर्ट्स की दृष्टि से आप देखें, अर्थात जो हम बाहर से गल्ला मंगाते थे, उस बात को ध्यान में रख कर देखें, तो भी यह पता चलता है कि हमारे मुल्क में अब गल्ले की बाहर से मंगाने की ज़रूरत नहीं है। हम ने ४७ लाख २५ हजार टन सन् १९५१ में मंगाया था, ३८ लाख ६४ हज़ार टन सन् १९५२ में मंगाया और इस साल केवल २० लाख टन गल्ला मंगाया गया है। इससे भी यह साबित होता है कि हमारे यहां अब ग़ल्ले की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो बचा हुआ ग़ल्ला है, जो हम ने इस साल बचाया है, उस की मिक़दार १४ लाख ४१ हज़ार टन है। तो इस से साबित होता है कि अब हमारे मुल्क में ग़ल्ले की इतनी ज़रूरत नहीं है।

क़ीमतों का जहां तक हाल है, ग़ल्ले की और दूसरी चीज़ों की क़ीमतें बराबर गिर रही हैं और ऐसी हालत हो रही है कि खेती को वह धक्का लगायें। हमारे मुल्क में जब खाने की चीज़ों की क़ीमत बढ़ गयी थी तो किसानों की हालत कुछ अच्छी होने लगी थी। किसानों की हालत कुछ ऐसी हो गयी थी कि वह अपना जीवन निर्वाह, गुज़र बसर, आसानी से कर सकते थे। लेकिन इधर क़ीमतें गिर रही हैं, तो किसानों की हालत में ज़रा कमी आने लगी है। इस की तरफ़ ध्यान देना है। मैं तो यह कहूंगा कि अब क़ीमतों को घटाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि या तो उन क़ीमतों को क़ायम रखा जाय जो अभी हैं, या उन को और कुछ बढ़ाने की ज़रूरत है। जो क़ीमतें बाज़ारों में गिर रही हैं उस से किसानों की हालत गिर रही है। इसलिये क़ीमतों के बारे में सरकार को खास ध्यान देना चाहिये। अगर किसान जो चीज़ें पैदा करते हैं, उन की क़ीमतें जिस रेट पर आज गिर रही हैं, उसी तरह गिरती रहीं तो जल्दी ही किसानों की हालत ख़राब हो जायेगी और उन की हालत खराब होने के बाद खेती की हालत किसी तरह से भी अच्छी नहीं हो सकती। जब तक किसान की हालत अच्छी नहीं है, जब तक उस को खाने पीने की सुविधा नहीं है, जब तक वह अपने बच्चों को ठीक तरह से पढ़ाता नहीं है, जब तक उस की सेहत ठीक नहीं रहती है, जब तक उस का मकान ठीक नहीं है, तब तक मेरे ख्याल से खेती की हालत अच्छी नहीं हो सकती है।

[श्री एच० एल० अग्रवाल]

सभापति जी, मैं इस मामले में एक बात और अर्ज़ करूंगा कि हमारी सरकार ने, चाहे वह केन्द्रीय सरकार हो, चाहे स्टेटों की सरकारें, उन्हों ने अभी तक यह बात तय नहीं की है कि हमारे यहां खेती का ढंग कैसा रहेगा, आया हम अमेरिका और रूस की तरह से बड़े पैमाने पर खेती चाहते हैं, या छोटे पैमाने पर खेती चाहते हैं, या कोआपरेटिव फार्मिंग चाहते हैं। मेरा विचार यह है कि इस बात की खास तौर से हमें तय कर लेना है। जो हम प्लानिंग का काम कर रहे हैं तो यह तभी सफल हो सकता है जबकि यह सारा नक़शा हमारे सामने हो। मेरा विचार यह है कि जिस तरह से इस देश में घनी आबादी और कम ज़मीन है, उस हालत में न तो यहां कलैक्टिव फार्मिंग ही रूस की तरह हो सकती है और न अमेरिका की तरह हो लार्ज स्केल एग्रीकल्चर हो सकती है।

जहां तक कोआपरेटिव फार्मिंग का ताल्लुक़ है मैं ने अपने ज़िले में इस का तजुर्बा किया है और मेरा पक्का विश्वास है कि कोआपरेटिव फार्मिंग भी इस मुल्क़ में जल्दी सफल होने वाला नहीं है। मैं तो समझता हूं कि हमारे देश में व्यक्तिगत फार्मिंग और जो औसत दरजे के किसानों द्वारा फार्मिंग होगा वही सब से अच्छा होगा। अगर हम इस बात पर ग़ौर करें कि किस खेत में ज़्यादा पैदा होता है तो मैं कहूंगा कि जितने हमारे मुल्क़ में बड़े बड़े फार्म हैं उन में अगर हिसाब लगाया जाय तो मालूम होगा कि उतना ग़ल्ला पैदा नहीं होता जितना कि बीच के किसानों के यहां पैदा होता है। मैं यह मानता हूं कि जिन किसानों के पास चार चार और पांच पांच बीघा ज़मीन है उन के यहां भी ज़्यादा पैदा नहीं होता क्योंकि वह साधन नहीं जुटा सकते हैं और न उस से उन की गुजर बसर हो सकती है। उस ज़मीन से उन की हालत अच्छी नहीं होती है। इस लिये जो कि बिल्कुल अनइकानमिक होल्डिंग हैं उन से भी किसान की तरक्की नहीं हो सकती है। न उस की ज़मीन में उतनी पैदावार हो सकती है जितनी पैदावार कि बीच की खेती में हो सकती है। मुझे अपने ज़िले का पूरा तजुर्बा है कि जिन लोगों के पास बड़ी बड़ी ज़मीनें हैं, हज़ार हज़ार दो दो हज़ार एकड़ ज़मीन है, उनके यहां उस औसत से हरगिज़ पैदा नहीं होता जिस औसत से कि बीच के किसानों के यहां पैदा होता है। मेरा विचार है कि हमारे मुल्क में लार्ज स्केल मेकेनिकल फ़ार्मिंग किसी तरह से कामयाब नहीं हो सकता है। जो ट्रैक्टर से खेती करते हैं मैं समझता हूं कि उनको भी फायदा नहीं है। यहां ट्रैक्टर की खेती के लिए ज़रूरत नहीं है। उन को तो सिर्फ़ उन जगहों पर इस्तैमाल करना चाहिये जहां कि जंगल से ज़मीन को साफ़ करना हो, या जहां नयी ज़मीन तोड़नी हो, या कांस को निकालना हो या और कोई ऐसी चीज़ करनी हो। लेकिन अगर वह ट्रैक्टर आम तौर से इस्तैमाल किया जाय और लोग बड़े बड़े फ़ार्म कर के व्यक्तिगत रूप से ट्रैक्टर से खेती करें तो मैं समझता हूं कि यह ठीक नहीं होगा। हमारी सरकार ने भी दो बड़े बड़े फ़ार्म दस दस हज़ार एकड़ के खोले हैं। अगर यह एक्सपैरीमेंट फार्म है तब तो मुझे कोई ऐतराज़ नहीं लेकिन अगर इन का नतीजा देख कर भविष्य में बड़े बड़े फ़ार्म करने का इरादा है तो मैं समझता हूं कि यह हमारे मुल्क के लिए फायदेमन्द नहीं होगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि यह तै हो जाय कि हमारे मुल्क में किस तरीके से खेती होगी और जब सहूलत हो जाय तो हम यह तै करना है कि हमारी जितनी जमीन है उस में से एक एक किसान को कितनी कितनी जमीन देनी चाहिये और

क्या क्या सहूलियतें देनी चाहियें । सरदार लाल सिंह साहब ने फ़रमाया था कि बिला पढ़े लिखे और नासमझ लोगों के हाथ में खेती अगर रखी जायगी, जो कुछ साइंटिफिक तौर से काम करना नहीं जानते, तो वह देश की तरक्क़ी नहीं करेंगे । मेरा ख्याल यह है कि काश्तकारी के लिए हमारे काश्तकार काफ़ी होशियार हैं और वह इतनी बातें जानते हैं कि जितनी बहुत से साइंटिस्ट न जानते होंगे । ज़रूरत इस बात की है कि उन की ज़रूरतें पूरी की जायं और उन को पूरी कर के हमारी खेती की तरक्क़ी की जाय । उन की ज़रूरतें कई हैं । मैं जल्दी में क्या गिनाऊं । मेरे ख्याल में सब से पहली तो सिंचाई की बात है । सिंचाई पर मैं इस समय कुछ नहीं कहना चाहता । मैं सिर्फ़ इतना कहना चाहता हूं कि अगर सिंचाई के बाद उन को किसी चीज़ की ज़रूरत है तो खेती में लगाने के लिए पैसे की ज़रूरत है । उन को ठीक ब्याज पर पैसा मिलना चाहिये । आज भी मैं देखता हूं कि गांवों में किसान दो रुपया और तीन रुपया सैंकड़ा माहवारी पर रुपया लेते हैं और उसे खेती के जरूरी कामों में लगाते हैं । अगर उन को पैसा ठीक ब्याज पर मिल जाय तो मैं समझता हूं कि बहुत अच्छा हो ।

श्री देवगम : सभापति महोदय, मैं अपने कट मोशन को मूव करते हुए आज पशु पालन, मत्स्य पालन और वन रक्षा पर बोलूंगा । यह कुछ सन्तोष का विषय है कि धान चावल अब कुछ अधिक उपजने लगे हैं । अब एक विषय तो यह है कि एक राज्य से दूसरे राज्य में चावल ले जाने पर रोक बनी हुई है । हमारे यहां बिहार और उड़ीसा के बार्डर से हम आते हैं । बिहार और उड़ीसा में अब जिस तरह सम्बन्ध है, वह ऐसे सम्बन्ध हैं जैसे हिन्दुस्तान और पाकिस्तान में हैं । यह दोनों राज्य एक जगह से दूसरी जगह अनाज नहीं ले जाने देते । उड़ीसा के हमारे भाई लोग जानते हैं कि सिंह भूमि ज़िले के बहुत से किसान मयूरभंज और कैंओंझर में बस गये हैं । आदिवासियों में एक प्रथा है कि शादी गमी में जब एक दूसरे को बुलाते हैं तो साथ में इन लोगों को अनाज और कुछ पेय पदार्थ ले जाने पड़ते हैं । इस शादी ग़मी में जिन के यहां ये लोग जाते हैं उन्हें काफ़ी मदद मिल जाती है । लेकिन अब उड़ीसा से कुछ लोग अपने रिश्तेदारों के यहां मुलाक़ात करने आवें तो वे सेर भर चावल भी नहीं ले जा सकते हैं । रास्ते में खाने के लिये भात भी नहीं ले जा सकते हैं ।

एक माननीय सदस्य : परमिशन ले लें ।

श्री देवगम : आप कहते हैं कि परमिशन ले लो । लेकिन परमिशन लेने में तो देर लगेगी, देर हो जायगी । कहीं मृत्यु हो गयी हो तो; तब तो उन लोगों को अपने रिश्तेदारों के यहां जाना पड़ेगा तो परमिशन लेने में तो बहुत दिन लग जायेंगे । इस से तकलीफ़ होती है । मैं अर्ज़ करूंगा कि यह रोक बिल्कुल उठा ली जाय, क्योंकि ये लोग व्यापार के लिये, पैसा कमाने के लिये यह अनाज नहीं ले जाते हैं ।

फिर जापानी तरीक़े की बात है । मैं जापानी तरीक़े में विश्वास करता हूं, क्योंकि मैं भी एक प्रैक्टिकल किसान हूं और जापानी मैथड से मैं ने खेती की है और इस से उपज ज़रूर बढ़ी है । इस कारण मैं चाहता हूं कि इस मैथड का बड़े ज़ोर शोर से प्रचार किया जाय । हर एक उपाय इस में लगाया जाय । स्कूल के शिक्षक, स्कूल के विद्यार्थी और इंस्पैक्टर जो हैं, ये सब भी इस काम में लगाये जायं ।

डा० पी० एस० देशमुख : हां, लगान वाले हैं ।

श्री देवगम : जितने भी साधन सरकार को मिलें, सब साधनों का उपयोग इस ओर लगाया जाय ।

[श्री देवगम]

इस के बाद कीड़े मारने के विषय में कहता हूं । मेरे घर से चिट्ठी आई कि मेरे यहां धान में सब में कीड़े लगे हैं । मैं ने तुरन्त वहां डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर आफ़िस को लिखा और उन्हों ने मेरे क्षेत्र में लोग भेजे । वे बहुत से इंसैक्टीसाइड ले कर गये और सब कीड़े मर गये । कुछ भी आशा नहीं थी कि मेरे यहां धान की कुछ फ़सल होगी । लेकिन सब की सब अच्छी फ़सल हुई । लेकिन ग़रीब किसान इस खर्च का बोझा उठा सकेगा या नहीं इस में हम को सन्देह है क्योंकि इस के दाम देने पड़ते हैं । इस कारण हमारे खाद्य मंत्री को इस विषय पर भी विचार करना होगा ।

मैं ट्राइबल एरिया से आता हूं और हमारी पंच वर्षीय योजना के सफा ३७ पर यह लिखा हुआ है कि आदिवासियों के पास अधिकतर भूमि-पर्वतीय है इसलिए जल का अभाव अधिक है । पीने का जल मिलना भी मुश्किल है । वहां भूमि पथरीली होने के कारण जहां दिल्ली में या उत्तर बिहार में सौ रुपये में कुवां बन जाता है वहां पर दो हज़ार रुपया खर्च करने पर भी नहीं बन सकता । इसलिये कुवें के द्वारा वहां सिंचाई नहीं हो सकती है । हां, खास खास जगहों पर कुवों के द्वारा सिंचाई हो सकती है । जैसे कि मद्रास में पर्वतीय भूमि होने के कारण टैंक ईरीगेशन से काम चलता है उसी तरह मेरे यहां भी टैंक इरीगेशन ज़्यादा फ़ायदेमन्द होगा । हां, थोड़ा बहुत नहर से भी काम हो सकता है । लेकिन हमारे यहां जो कृषि विभाग में काम करने वाले हैं वे उत्तर बिहार से आते हैं । जो योजना उत्तर बिहार में लागू हो सकती है उस को वह हमारे यहां लागू करने की चेष्टा करते हैं । वह यह भूल करते हैं । मैं ने एक बार वाटर वर्क्स के इंजिनियर का विरोध किया क्योंकि वह आगरा कैनाल की तरह या बिहार की कैनाल की तरह रेल लाइन की तरह सीधी कैनाल निकालना चाहते थे । मैं ने उन को समझाया कि हमारे यहां यह योजना नहीं चल सकती । मैं ने उस योजना को देखा और उस योजना के अनुसार चलने पर यह होता है कि रास्ते के जितने खेत थे वह उस नहर से बह जाते । हमारे पर्वतीय देश में कंटूर लाइन्स को फ़ौलो (अनुसरण) कर के सफल योजना बन सकती है । मैं मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करता हूं कि किताबी ज्ञान से ही हमारे इंजिनियर लोग काम नहीं चला सकते हैं । उन लोगों को देखना चाहिये कि किस लोकैलिटी में किस तरह की योजना लाभदायक होगी और उस पर उन को विचार करना चाहिये ।

१९५२ के नवम्बर के महीने में बिहार के एक कृषि विभाग के मंत्री जी नहर का उद्घाटन करने गये । वहां पर होना तो यह चाहिये था कि तालाब का पानी बाहर खेतों में जाय लेकिन हमारे कृषि विभाग के लोगों ने ऐसा बनाया कि बाहर का पानी तालाब में जाता था । इस के बाद पास में एक तालाब भी देखा जिस का एंबेकमेंट ऊंचा करना था । तो उस के लिए तालाब के नीचे से मिट्टी ली गयी । हमारे यहां के अशिक्षित ग्रामीण किसान भी हम लोगों को यह सिखा सकते हैं कि तालाब के भीतर से मिट्टी लेनी चाहिये जिस से तालाब भी गहरा ज़्यादा हो और साथ ही साथ उस का एंबेंकमेंट भी ऊंचा हो । फिर उसी तालाब की नहरों की ओर मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता था । लेकिन उन को समय नहीं मिला । नहरें इतनी गहरी हैं और इस तरह बहती हैं कि वह ऊपर नहीं जा सकतीं और पास की ज़मीन प्यासी रह जाती है ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

अब फ़ारेस्ट की ज़रूरत किसी से छिपी नहीं है । नो फारेस्ट नो लेंड । इस बात की

शिक्षा गांव गांव में पहुंचानी चाहिये, जिस से गांव के लोग इस की सुरक्षा करें । उन का कोआपरेशन हम लोगों को चाहिये । उन लोगों के सहयोग के बिना हम जंगलों की रक्षा नहीं कर सकते हैं । आदिवासी जो जंगलों के आसपास रहते हैं, वह थोड़ी सी मामूली चीज़ की जंगल से चोरी करते हैं, लेकिन कोई अपना रुपया बनाने के लिये नहीं, बल्कि अपनी दैनिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिये । वह बेचारे पकड़े जाते हैं । लेकिन बड़े बड़े ठेकेदार जो एक जंगल को ठेके पर लेते हैं और आस पास के दूसरे जंगलों से भी रुपया बनाने के लोभ से चोरी करते हैं, वह छट जाते हैं, इसलिये कि फारैस्टर और रेंजर, इनको भी तो रुपया बनाना है । अब सरकार की ओर से, मेरी प्रार्थना है, ऐसे जंगल रक्षकों से हमारी रक्षा करें ।

"संतरी ही चोर हो तो कौन रखवाली करे ।
उस बाग़ का क्या हाल हो, माली जो पामाली
करे" ।।

मैं संसद् को याद दिलाना चाहता हूं कि पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत अध्याय ३७ में पिछड़े वर्गों के कल्याणार्थ अनेक योजनायें बनी हैं । इस अध्याय के पैरा १४, १७ और १८ की योजनायें अभी तक काम में नहीं लाई गई हैं । हमारे संविधान की धारा २७५ के अनुसार रास्ते का, जल का प्रबन्ध, सिंचाई की व्यवस्था, कृषि का विकास, पशु पालन, कुटीर उद्योग, शिक्षा और औषधियों का प्रबन्ध अधिकतर होना चाहिये । एक तो हमारी वास भूमि का भाग अधिकतर पर्वतीय है और हम आदिवासी हैं। पैरा १८ के अनुसार मैं समझता हूं कि आदिवासियों को जंगल के उत्पादन का सर्व प्रथम अधिकार मिलना चाहिये यही जंगल की रखवाली करें और यही उपभोक्ता बनें । परन्तु आज मैं देखता हूं कि इसका उल्टा काम होता है, क्योंकि सिंहभूम में फारैस्ट गार्ड तक उत्तर बिहार से लाये जाते हैं । उस के ऊपर के पद का तो कहना ही क्या है । चाइबासा के पास फ़ारैस्ट स्कूल तो हैं, लेकिन इस में बहुत कम आदिवासी शिक्षार्थी हैं । इसी तरह से हाटगमारिया के बेसिक स्कूल में २५ विद्यार्थी ट्रेनी हैं जो कि भविष्य में शिक्षक बनेंगे । उन २५ में केवल एक आदिवासी है । इसी तरह से अगर आदिवासियों का कल्याण कार्य किया जाय तो दस वर्ष में क्या सैकड़ों वर्षों में भी आदिवासियों का कल्याण नहीं हो सकता है । सरकार ने हम को दस वर्ष ही समय दिया है कि हम लोग दूसरों के स्तर पर पहुंच जांय । लेकिन इसी तरह से कल्याण कार्य हो तो हम सौ बर्ष में भी दूसरों के स्तर पर नहीं पहुंच सकते हैं । बस, धन्यवाद ।

श्री के० पी० सिन्हा (पटना मध्य): कुछ लोगों का कहना है कि खाद्य के सम्बन्ध म आत्मनिर्भरता की स्थिति आने का कारण अच्छी वर्षा का होना है परन्तु मैं इस से असहमत हूं । मेरे विचार से इस का कारण वह नीति है जिस के अनुसार माननीय मंत्री ने कार्य किया है ।

चीनी के सम्बन्ध म आत्मनिर्भर हो जाने के बाद भी हम ने आयात की नीति ग्रहण की है । मैं इस के पक्ष में नहीं हूं । यदि हमें आयात करना ही है तो हमें कच्ची खांड का आयात करना चाहिये ।

इस देश की भूमि समस्या के सम्बन्ध में मेरा विचार है कि यह निर्धारित कर देने से, कि एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी भूमि रख सकता है, न तो सरकार का उद्देश्य ही पूरा हो सकता है और न देशवासियों की इच्छायें ही । इस से तो भूमि-हीन जनता की समस्यायें और बढ़ जायेंगी । इस सम्बन्ध में

[श्री के० पी० सिन्हा]

असली कठिनाई तो यह है कि भूमि की क़िस्म तथा उस के गुणावगुण हर स्थान के एक दूसरे से भिन्न हैं यहां तक कि एक ही ज़िले में सारी भूमि एक जैसी नहीं है । सहकारी खेती ही इस समस्या का एकमात्र निदान है ।

इस सम्बन्ध में एक और कठिनाई यह है कि प्रत्येक कृषक के पास कम से कम इतनी भूमि हो जो उस के लिये लाभप्रद साबित हो। अन्यथा कृषक के लिये, कृषि में कोई प्रलोभन नहीं रहेगा । अभी लोग भूमि के लिये उतावले हो रहे हैं । वह इसलिये कि खेती में लाभ हो रहा है । परन्तु यदि १९३२–३३ जैसा उतार या मन्दी आ गई तो, भूमिहीन व्यक्तियों की तो बात ही छोड़िये, जिन के पास भूमि है वह भी खेती छोड़ छाड़ कर कारखानों की राह पकड़ेंगे । मन्दी की स्थिति अभी से उत्पन्न हो रही है । धान का भाव गत वर्ष इन्हीं महीनों में २४ या २५ रुपये मन था परन्तु अब १२ या १३ रुपये मन हो गया है । मोटे नाज का कोई ग्राहक ही नहीं दिखाई देता है । यदि यही स्थिति रही तो बड़ी बड़ी ज़मीनें थोड़े थोड़े बक़ाया लगान के बदले में नीलाम हो जायेंगी जैसा कि १९३२ में हुआ था । इसलिये कोई ऐसी व्यवस्था करने की आवश्यकता है जिस से किसानों की फ़सल अच्छी हो और उन्हें लाभ प्राप्त हो ।

कुछ लोगों का परामर्श है कि यदि किसी के पास ३०–४० एकड़ भूमि हो तो उस के लिये यह अनिवार्य कर दिया जाये कि वह चरी के लिये कम से कम १० एकड़ क्षेत्रफल अलग कर दें । परन्तु यह विचार भ्रांति मूलक है क्योंकि अच्छी फ़सल होने पर चारा तो आप ही आप पैदा होता है । वास्तव में यह उपाय तो ऐसी जमीनों के लिये किया जाना चाहिये जो बंजर हैं या जिन में फ़सल अच्छी नहीं होती है ।

डा० पी० एस० देशमुख : हम लोग जो कुछ थोड़ी बहुत सेवा आप की कर सके हैं उस की आप लोगों ने जो प्रशंसा की है वह केवल आप के विशाल हृदय होने का ही प्रतीक है । आप लोगों के साथ मैं भी अपने प्रधान तथा साथी, श्री क़िदवई, को उस सशक्त तथा बुद्धिमतापूर्ण नीति के लिये बधाई देता हूं जिस के अनुसार उन्हों ने खाद्य मंत्रालय का संचालन किया है । उन का जैसा प्रशासन में दक्ष व्यक्ति ही ऐसी साहसपूर्ण नीति ग्रहण कर सकता था और यदि यह नीति न ग्रहण की गई होती तो आज देश की खाद्य स्थिति में जो सुधार हुआ है उस का होना असंभव था ।

गत वर्ष हम ने जो कार्य किये हैं उन का एक ब्यौरा मैं देता परन्तु इस सम्बन्ध में हम माननीय सदस्यों को न केवल एक संक्षिप्त विवरण ही दे चुके हैं वरन् एक और विवरण भी है जिस का हिन्दी में अनुवाद किया जा चुका है । इसलिये मैं इन बातों को बताने में समय नहीं लगाऊंगा ।

विरोधी दल के कुछ सदस्यों ने ऐसे तर्क दिये हैं जो उन के कथनानुसार हमारे द्वारा कहे गये कथनों पर आधारित हैं और जैसे कि वह सारी बातें हमारी कही हुई हों । हम लोगों ने यह कभी नहीं कहा है कि आज देश की दशा ऐसी हो गई है जिस पर हम संतोष कर सकते हैं । हम ने तो केवल यह कहा है कि देश की खाद्य की आवश्यकतायें आज हम अपने देश से ही पूरी कर सकते हैं । हम ने यह कभी नहीं कहा कि देश के हर व्यक्ति को भर-पेट भोजन मिलता है । हमारी सरकार का उद्देश्य देश के हर व्यक्ति को भर पेट भोजन दिलाना है । इसी लिये आज हम केवल इतनी सफलता से ही संतुष्ट नहीं हैं कि खाद्य के उत्पादन को आज हम ने थोड़ा बढ़ा लिया है तथा देश की साधारण आवश्यकताओं के

लिये हम बाहर से खाद्य आयात करने के लिये विवश नहीं हैं । इसलिये मैं अपने विरोधी पक्ष के मित्रों को सावधान करना चाहता हूं कि यह सोचना ग़लत है कि हम ने जो कुछ किया है उस से हम संतुष्ट हैं । हम अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिये लगातार प्रयत्न करते रहेंगे ।

एक माननीय सदस्य चीनी तथा गन्ने के भाव के सम्बन्ध में तथा कुछ अन्य बातों के सम्बन्ध में बहुत चिन्तित जान पड़ते हैं । इन बातों में एक विरोधाभास है जैसे यंत्रीकरण बनाम अयंत्रीकरण के सम्बन्ध में है हालांकि मैं कृषि के आमूल यंत्रीकरण का विरोधी हूं, फिर भी, मेरा सदा ही यह विचार रहा है कि हमारे जैसे विशाल तथा विस्तृत देश में यंत्रीकरण के लिये बहुत स्थान है । अब भी ऐसे बड़े बड़े चक पड़े हुए हैं जिन पर ट्रैक्टर चला कर हम शीघ्र से शीघ्र अधिक अन्न का उत्पादन कर सकते हैं । ऐसे स्थानों में यंत्रीकरण के लिये बहुत गुंजायश है ।

अमरीका और रूस में काफ़ी मात्रा में यंत्रीकरण हो गया है । बढ़ती हुई जनसंख्या तथा भारतवर्ष के निवासियों के अनुपयुक्त रूप से पोषण के दायित्व को दृष्टिगत रखते हुए यंत्रीकरण करना अच्छा होगा । जब कभी यंत्रीकरण के विरुद्ध शिकायत की जाती है तो हमारा अभिप्राय उस समय आवश्यकता से अधिक यंत्रीकरण से ही होता है जो कि एक प्रकार से हमारे राष्ट्रीय हितों को हानि पहुंचायेगा । जहां तक मेरे मंत्रालय की बात है हम बड़ी सावधानी से आगे बढ़ रहे हैं, खाद्यान्नों की कमी के दिनों में हम ने काफ़ी मात्रा में ट्रैक्टरों से काम लिया था । यहां तक कि अधिक खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए हम ने लानों (घास के मैदानों) को भी जोता था । हम इस मामले में काफ़ी सावधान हैं और इस प्रश्न के दोनों पहलूओं को अच्छी तरह जानते हैं और ऐसी नीति का अनुसरण कर रहे हैं जो समिष्ट रूप में अच्छी है ।

पंडित ठाकुरदास भार्गव ने कहा है कि जंगलों को जानवरों के चरने के लिए वैसे ही छोड़ दिया जाय ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं ने तो यह कहा था कि जंगलों का एक उद्देश्य यह है कि उन से पशुओं को काफ़ी मात्रा में चारा मिले ।

डा० पी० एस० देशमुख : जंगलों में उत्पादित चारा बेकार जाता है ऐसा तो मैं नहीं समझता किन्तु कुछ समय परिवहन सम्बन्धी कठिनाइयां अवश्य होती हैं जिस के कारण चारे को एक स्थान से जहां कि वह पैदा होता है दूसरे स्थान तक सस्ती दरों में नहीं ले जाया जा सकता है । यदि माननीय सदस्य का यह कहना है कि जंगलों से सभी पशुओं को चारा मिल सकता है तो हमारे बहुत से जंगल इसलिये बेकार हो गये हैं कि वहां अति चराई होती है । वास्तव में बात तो यह है कि मेरे पास बहुत से कटौती प्रस्ताव हैं । इन प्रस्तावों का उद्देश्य इन जंगलों का रक्षण एवं उन की उपज को बढ़ाना था और यह तभी हो सकता है जब कि पशुओं को इन से दूर रखा जाय । अतः आप को निश्चित करके बताना होगा कि इस सम्बन्ध में हमें क्या करना है क्योंकि ये दोनों बातें परस्पर विरोधी हैं । पानी ऊपर आ जाने के फलस्वरूप जो भूमि दलदल बन गई है एवं बुरी भूमि हो गई है उस का मुख्य कारण वहां जानवरों के चराने की अति है । यदि आप भूमि रक्षण बोर्ड चाहते हैं तथा भूमि को दलदल होने से रोकना चाहते हैं तो पशुओं की चराई पर प्रतिबन्ध लगाना होगा तथा जंगलों में पशुओं के चरने की स्वतन्त्रता को रोकना होगा । यह हो सकता है कि कुछ भूमि खंडों में कुछ दिनों तक पशुओं के चरने दिया जाय और बाद को वहां चराई बन्द कर के किन्हीं अन्य स्थानों में चरने दिया

[डा० पी० एस० देशमुख]

जाय । अतः ऐसी स्थिति में हमें यह करना होगा कि अपने जंगलों के रक्षण के साथ ही साथ अतिरिक्त भूमि का भी रक्षण हो तथा साथ ही साथ पशुओं की भी देखभाल हो ।

माननीय पंडित ठाकुरदास भार्गव देश में दूध के संभरण में हुई कमी के बारे में भी चिन्तित हैं इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि यदि कोई व्यक्ति नारों तथा भावनाओं से प्रभावित नहीं है, और यदि वह कोई वैज्ञानिक रवैया अपनाना चाहता है और तथ्य देखना चाहता है तो उसे इस के बारे में बड़ी गम्भीरता से विचार करना होगा । मुझे पूर्ण विश्वास है और विज्ञान के आधार पर मैं कह सकता हूं कि यदि आप यह चाहते हैं कि पशुओं से आप को अधिक दूध मिले तो उन की संख्या आप को कम करनी होगी ।

सच्ची बात तो यह है कि हमारे पशुओं को पूरा पूरा खाना भी नहीं मिलता है और वर्तमान आंकड़ों से प्रकट होता है कि हमारे पास जितने पशु हैं उन के लिये हमारे पास काफ़ी मात्रा में खाना नहीं है । जब तक हम पशुओं को अच्छी तरह खिलायेंगे नहीं तब तक उन से हमें दूध नहीं मिल सकता है और यह तब तक नहीं हो सकता है जब तक कि उन की संख्या में कमी नहीं होती है । साथ ही मैं इस बात से सहमत हूं कि गोसदनों ने पर्याप्त उन्नति नहीं की है । किन्तु इस का सम्पूर्ण दोष हमारा नहीं है । जैसा कि पंडित ठाकुर दास भार्गव जानते हैं कि व्यय में से आधा व्यय करने की हमारी योजना है । हम चाहते हैं कि राज्य आगे बढ़ें और गोसदनों की स्थापना करें । कुछ राज्यों ने ऐसा किया है किन्तु दुर्भाग्य की बात है कि पशु वहां नहीं हैं । मेरा विचार है कि सदन इस के लिए मजबूर नहीं करेगा कि वे लोग जानवर रखें । तब परिवहन व्यय का भी विचार करना होगा । अतः इस प्रकार गोसदनों का मामला भी कठिनाइयों से पूर्ण है । मुझे सन्देह है कि राज्यों की इस वर्तमान स्थिति में हम उन को इस बात के लिए बाध्य करेंगे कि वे इस मामले में प्रगतिशील हों ।

हम एक ओर तो यह चाहते हैं कि किसानों को धन मिले और दूसरी ओर कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो कहते हैं कि बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं जिन का पोषण नहीं होता है और उन्हें भोजन नहीं मिलता है क्योंकि खाद्यान्न क्रय करने के लिए उन के पास पैसा नहीं है । जहां तक मूल्य की बात है उस सिलसिले में तो आयात तथा निर्यात की उचित व्यवस्था, अपने हाथ में भण्डार रखकर, आवागमन पर प्रतिबन्ध लगा कर के, तथा अन्य बातों की आज्ञा देकर और बहुत सी अन्य कार्यवाही कर के सरकार पूरा पूरा प्रयत्न कर रही है । किन्तु फिर भी सदैव ऐसा प्रयत्न रहा है कि जहां किसानों के लिए मूल्य आर्थिक दृष्टि से अच्छा रहे वहां उपभोक्ता के लिए यह इतना अधिक भी न हो जाय कि उस के कार्य में रुकावट डाले । मैं समझता हूं कि इस मामले में हम ने सम्पूर्णतया उचित नीति ही अपनाई है । हालांकि हम इस बात के भी इच्छुक हैं कि मूल्य नीचे गिरने चाहियें ताकि उपभोक्ता अधिक ख़रीद सकें । मैं जानता हूं कि जब तक खेती से किसान को अच्छी आय नहीं होती तब तक किसी अन्य अधिक उत्पादन की हम आशा नहीं कर सकते हैं । अतः हमें सावधान रहना होगा कि खाद्य-सामग्री के अधिक संभरण के कारण हमारी खपत कम न हो जाय तथा दूसरी ओर इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि हमारी मूल्य सम्बन्धी नीति के कारण कहीं उत्पादन तो कम नहीं होता है ।

गन्ने के मूल्य के बारे में सदस्यों ने आज पहली बार ही इतने ज़ोर से नहीं कहा अपितु पहले भी कह चके हैं और हम ने चीनी का जो

आयात फिर से किया है उस के बारे में शिकायत की है । मेरा एक निवेदन है कि मूल्य के सम्बन्ध में कुछ बातें कही जा सकती हैं किन्तु सदस्यों को यह ध्यान रखना चाहिये कि ये मूल्य तथा मूल्यों का निश्चित करना मांग तथा स्वतः किसानों के अपने हितों के रक्षण के फलस्वरूप है । मैं एक बार फिर कहता हूं कि यह न्यूनतम मूल्य है न कि अधिकतम । हालांकि यह भी सत्य है कि जिसे हम न्यूनतम मूल्य कहते हैं वह कभी कभी किसानों को अधिकतम मूल्य के रूप में मिलता है । जैसा कि माननीय सदस्यों ने कहा है और जैसा कि हम भी जानते हैं सम्भवतः गन्ने के मूल्य में कुछ रियायत करने की आवश्यकता पड़े । माननीय सदस्य जानते हैं कि हम ने एक ऐसा सूत्र बनाने का प्रयत्न किया है जिस के द्वारा मिल मालिकों को जो अतिरिक्त लाभ होगा वह गन्ना-उत्पादकों को दिया जायगा । हम यह देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के मिल मालिक हमारे इस सुझाव को कहां तक मानेंगे तथा किन अंशों में इस सूत्र को बनाने में हम समर्थ हो सकेंगे । वहां ऐसा करके फिर बिहार में इसे कार्यान्वित करने का हमारा विचार है तथा हम यह देखना चाहते हैं कि कहां तक हमें इसमें सफलता मिलती है ।

मैं माननीय सदस्यों का ध्यान उस प्रणाली की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जो हम ने दक्षिण में सफलतापूर्वक चालू की है और जिस के द्वारा मिलों के अतिरिक्त लाभ को जानने में हमें सफलता मिली है । जब दक्षिण में हमें सफलता मिल गई है तो मैं नहीं समझता कि उत्तर में हम असफल रहेंगे । अपने अनुभव के आधार पर ही मैं यह कह रहा हूं ।

पिछले वर्ष उस से पहले के वर्ष के अपेक्षा ५१ लाख टन खाद्यान्न अधिक पैदा हुआ था किन्तु प्राप्त आंकड़ों से प्रकट होता है कि इस वर्ष अकेले चावल का ही ४० लाख टन से अधिक अतिरिक्त उत्पादन होगा । इस का श्रेय किस को है इस के सम्बन्ध में विस्तृत रूप से मैं कुछ नहीं कहूंगा । इस में से नौ लाख टन का श्रेय अपने आन्दोलन को देता हूं और शेष का अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन तथा उर्वरक योजनाओं को छोड़कर प्रकृति को ।

वनस्पति में रंग मिलाये जाने के सम्बन्ध में भी उल्लेख किया गया है । जैसे ही कोई उचित रंग हमें मिला शीघ्रातिशीघ्र ही उसे वनस्पति में मिला दिया जायगा ।

भूमि सुधारों की भी बात कही गई है । योजना आयोग ने इस सम्बन्ध में सरकार की नीति बना दी है, और उस नीति के विरुद्ध जाने का मेरा कोई विचार भी नहीं है ।

भूमि के वितरण के सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रश्न के बारे में सभी सदस्य तनिक सावधानी एवं सतर्कता से सोचें । मैं श्रीलंका गया था और वहां के किसानों से मिला था । उन्हों ने बताया कि छोटे छोटे किसान अधिक उत्पादन करने में असमर्थ हैं । अब मुख्य बात यह है कि प्रत्येक किसान को कितनी भूमि दी जाय । सभी लोग यह अच्छी तरह जानते हैं कि संभवतः किसी और जगह भूमि इतनी खंडयुक्त नहीं है जितनी कि हमारे देश में है । यह भी शिकायत है कि ऋण व्यवस्था हमारे यहां बहुत ही कम है । इस बात का उदाहरण देने की किसी को आवश्यकता नहीं है कि थोड़ा सा ऋण दिया जाता है और उस के कई गुने रुपये का काग़ज़ लिखा लिया जाता है और गिरवी के द्योतक ये काग़ज़ वास्तव में विक्रय पत्र होते हैं । ये सब बातें मैं जानता हूं ।

यह भी समझना चाहिये कि हम लोग कृषि सम्बन्धी ऋण को बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं, और यदि आप राज्य सरकारों, रक्षित बैंक और केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई राशियों

[डा० पी० एस० देशमुख]

के आंकड़े देखें तो आप को पता चल जायेगा कि गत कई वर्षों की अपेक्षा हम ने इस दिशा में अत्यधिक प्रगति की है । हम ने किसानों को काफ़ी अधिक धन उधार दिया है, फिर भी किसानों की आवश्यकताओं का यह एक बहुत छोटा सा अंश है । यदि और बहुत से लोग खेती करते हैं, तो स्पष्टतः, आप को अपनी ऋण व्यवस्था को उन की संख्या के साथ साथ बढ़ाना होगा । प्रत्येक सम्भव तरीके से हमारे पास ऋण की कमी है और जहां तक पंच-वर्षीय योजना का सम्बन्ध है हमें कठिनाई होती है । मैं योजना आयोग की सिफारिशों को खटाई में नहीं डालना चाहता हूं, परन्तु इस सम्बन्ध में निश्चित रूप से कोई भी नीति बनाने से पूर्व इस से सम्बन्धित अनेक समस्याओं पर ध्यानपूर्वक विचार करना होगा ।

श्री लक्ष्मय्या : औद्योगिक वित्त निगम के नमूने का एक कृषि वित्त निगम क्यों न बनाया जाये ?

डा० पी० एस० देशमुख : केवल ऐसा करने से हमें कोई अतिरिक्त वित्त प्राप्त नहीं हो जायेगा । प्रश्न यह है कि हम तक़ावी ऋण व्यवस्था को अपनायें अथवा किसी अन्य तरीक़े को । मैं यह कह रहा था कि कितने धन की आवश्यकता है और किसानों की आवश्यकतायें कहां तक पूरी की जा सकती हैं । यह काम हम किस (कार) करें । यह एक दूसरा विषय है कि इस को करने के लिये क्या संगठन हों । मुझे प्रसन्नता है कि इस सदन के एक सदस्य ने, जो स्वयं एक व्यवहारिक कृषक हैं और जिन्हों ने खेती के जापानी तरीक़े का प्रयोग किया है, उस की प्रशंसा की है । मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में कोई मतभेद नहीं है, और प्रत्येक वह व्यक्ति, जिस ने इस तरीक़े को देखा है, यह बात मानता है कि इस के द्वारा कहीं अधिक पैदावार होती है । यह एक नई चीज़ है । उड़ीसा के माननीय सदस्य ने अपने भाषण में उन्हीं चीज़ों का सुझाव दिया है, जो हम पहले ही सोच चुके थे । उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिये हम कार्यवाही कर चुके हैं । अगले महीने या उस के लगभग से, प्रत्येक अध्यापक के पास खेती करने के जापानी तरीके की एक प्रतिलिपि, सम्पूर्ण विवरणों सहित होगी और उसे उन चीज़ों को कक्षाओं में विद्यार्थियों को भली प्रकार समझाने का प्रयत्न करना चाहिये । प्राध्यापकों को भी ऐसा ही करना चाहिये । और मैं तो चाहूंगा कि इस सदन के प्रत्येक माननीय सदस्य, विधान मण्डल के सदस्य, और सामाजिक एवं राजनैकित कार्यकर्ताओं को भी इस सदकार्य में हाथ बटाना चाहिये, क्योंकि इस के द्वारा अतिरिक्त पैदावार होती है । परन्तु इतना ही पर्याप्त नहीं है । इस के साथ ही साथ हमें उन लोगों को उर्वरक तथा अन्य चीज़ें उधार देने का प्रत्यन करना चाहिये । यही नहीं हमें उन्हें अच्छे बीज आदि भी देने चाहियें ।

अब मैं और अधिक समय नहीं लूंगा । माननीय सदस्यों ने जो अन्य सुझाव दिये हैं, उन के सम्बन्ध में मैं सदन को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि ऐसे प्रत्येक सुझाव पर विचार किया जायेगा और यथा संभव उन को क्रियान्वित किया जायेगा । इस काम में ढिलाई नहीं की जायेगी । चावल के सौदे के सम्बन्ध में मैं एक वक्तव्य दे चुका हूं । इस सम्बन्ध में एक या दो अल्पसूचना प्रश्न पूछे गये हैं । अतः सारी स्थिति को मैं यथाशीघ्र स्पष्ट कर देना चाहता हूं ताकि श्री मजदूर के बहु प्रकाशित वक्तव्य से यदि कोई ग़लतफ़हमी पैदा हो गई हो, तो वह दूर हो जाये । वह एक बहुत विचित्र व्यक्ति है और हमारे लिये उन को दूर रखना बहुत कठिन हो रहा है, यही हमारी ग़लती है । मैं यह बता दूं कि २३ मार्च, १९५४ तक हमें जो वास्तविक एवं सच्चे प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं,

वे मैं समझता हूं, ५० पौंड प्रति टन से ऊपर के थे। श्री किदवई सभी व्यापारियों से कहते रहे हैं कि वे मुक्त रूप से चावल आयात कर सकते हैं और यह भी कि वे सभी प्रकार की अनुज्ञप्तियां दे देंगे। और ऐसी अनुज्ञप्तियां दी भी गई हैं। परन्तु इतना सब होते हुए भी एक भी दाना अन्न (चावल) नहीं लाया जा सका है। श्री मजदूर ने कभी भी कोई पक्का प्रस्ताव नहीं किया। यह कहना झूठ है कि जो चावल हम चाहते थे, उसे वह ३४ पौण्ड प्रति टन की दर पर देने को तैयार थे, और हम ने उसे खरीदने से इन्कार कर दिया था।

दूसरी बात यह है कि ब्रह्मा और थाईलैण्ड दोनों ही देशों को चावल की बिक्री में एकाधिपत्य प्राप्त है। कोई भी गैर-सरकारी व्यापारी क्रय नहीं कर सकता है। हमारे अनुज्ञप्तियां देने पर भी कोई भी व्यापारी अन्न का एक भी दाना हमें नहीं दे सका। सभी को निराश होना पड़ा।

इसी प्रकार यह बात भी याद रखनी चाहिये कि श्रीलंका और जापान ने भी उसी दर पर चावल खरीदा है जिस पर कि हम ने खरीदा है। इस दर से कम पर थाईलैण्ड अथवा ब्रह्मा की सरकार से अभी तक कोई सौदा नहीं हुआ है। मेरा निवेदन है कि श्री मजदूर द्वारा लगाये गये आरोपों में कुछ भी दम नहीं है। बिड़ला बन्धुओं या चार्टर्ड बैंकों के फंसे हुए धन की पुनः प्राप्ति में भी हमें कोई रुचि नहीं है। ये सब कीचड़ उछालने के प्रयत्न मात्र हैं, जो केवल इसी प्रकार के व्यक्ति कर सकते हैं। दुर्भाग्यवश समाचार पत्रों ने उसे बहुत महत्व दे दिया है। इस विषय पर और अधिक समय नष्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम ने देश के हित में ही ऐसा किया है और जो मूल्य हम ने दिये हैं, वे बहुत उचित हैं। आज भी इस से कम भाव का कोई सच्चा प्रस्ताव प्राप्य नहीं है। उक्त सज्जन ने भी ऐसे चावल को देने का पक्का प्रस्ताव नहीं किया है, जैसा हम चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि जब भी कोई प्रस्ताव आता है, तो उस का चावल १९५३ वाला चावल होता है। वह हम से १९५४ का चावल खरीदने को कहते हैं। पता नहीं १९५४ में कितना चावल खरीदा जा सका होगा और मैं समझता हूं कि अधिकांश चावल, जो आजकल खरीदा जा सकता है, केवल १९५३ वाला चावल है। अतः मैं तो यह कहूंगा कि हमें उन की बातों पर कोई ध्यान नहीं देना चाहिये।

श्री एस० एस० मोरे : क्या यह सच है कि इस देश के एक उद्योगपति द्वारा चलाये जाने वाले एक बैंक ने कुछ ऋण दिया है ?

डा० पी० एस० देशमुख : जी हां। जांच पड़ताल के बाद मालूम होता है कि यह बात सच है कि उन्हों ने उन को कुछ ऋण दिये हैं। परन्तु इस से हमारा कोई सरोकार नहीं है।

श्री इलयापेरुमल (कुडलूर—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : क्या भूमि की अधिकतम मात्रा निश्चित करने का कोई विचार है ? यदि नहीं तो भविष्य में भारत के लाखों भूमिहीन व्यक्तियों के सम्बन्ध में वैकल्पिक सुझाव क्या हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : वास्तव में यह एक ऐसा मामला है जिस का सम्बन्ध राज्य सरकारों से है। हम तो केवल परामर्श दे सकते हैं। योजना आयोग द्वारा निर्धारित नीति के सम्बन्ध के अतिरिक्त हम इस मामले में राज्यों के साथ कोई हस्तक्षेप नहीं करते हैं।

श्री एन० बी० चौधरी : क्या योजना आयोग ने अपनी सिफारिशें देने से पूर्व इस समस्या का अध्ययन नहीं किया था ?

डा० पी० एस० देशमुख : निस्सन्देह जिस समय योजना आयोग ने सिफारिशें की थीं उस समय उस के सामने कुछ आंकड़े थे।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं खाद्य और कृषि मंत्रालय से सम्बन्धित सभी कटौती प्रस्तावों को सदन के मतदान के लिये प्रस्तुत करूंगा ।

कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये प्रस्तुत किये गये तथा अस्वीकृत हुए ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं सदन के मतदान के लिये मांगों को प्रस्तुत करूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा मांग संख्यायें ४३, ४४, ४५, ४६, ४७, १२२, १२३ तथा १२४ मतदान के लिये प्रस्तुत की गईं तथा स्वीकृत हुं ।

इस के पश्चात सभा मंगलवार ३० मार्च १९५४ के दो बजे तक के लिए स्थगित हुई ।